सर्व शिक्षा अभियान

पर्सपेक्टिव प्लान

(2002-2007)

जनपद - हमीरपुर

जनपद हमीरपुर

अनुक्रमणिका

क्र0 सं0	अध्याय	पृष्ठ संख्या
1 -	जिले की पृष्ठ भूमि	1----5
2 -	शैक्षिक परिदृश्य	6---15
3 -	नियोजन प्रक्रिया	16---26
4 -	सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं अध्याय	27---30
5 -	समस्याएं एवं कार्ययोजना	31---34
6 -	शिक्षा की पहुंच का विस्तार (नवीन विद्यालय)	35---38
7 -	शिक्षा के पहुंच का विस्तार (ई0जी0एस0/ए0आई0ई0)	39---49
8 -	ठहराव में वृद्धि	50---60
9 -	गुणवत्ता संवर्द्धन	61---100
10 -	परियोजना प्रबंधन एवं अनुश्रवण	101---119
11 -	परियोजना लागत	
12 -	वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	

परिशिष्ट

महत्वपूर्ण शासनादेश

अध्याय - 1

जिले की पृष्ठभूमि/ जनपद हमीरपुर

परिचयः-

बुन्देलखण्ड का प्रवेश द्वार राजा हमीरदेव की नगरी हमीरपुर एवं विराट नगरी कही जाने वाले राठ, बाबा निजामी की कर्मस्थली मौदाहा, तहसीलों को समेटे हमीरपुर जनपद का गौरवमयी इतिहास रहा है। हमीरपुर जनपद का मुख्यालय हमीरपुर यमुना एवं बेतवा नामक दो पुण्य सलिलओं के संगम पर स्थिति है। जनपद की पूर्वी सीमा पर बॉदा पश्चिमी सीमा पर जनपद जालौन , दक्षिणी सीमा पर जनपद जालौन एवं महोबा तथा उत्तरी सीमा पर कानपुर जनपद एवं यमुना नदी है। इसमें गुप्त कालीन वैभव का प्रतीक संगमेश्वर मन्दिर, यमुना तट पर परम पुनीत कल्प पृक्ष इसके अतिरिक्त पातालेश्वर, मनकामेश्वर (सौख) चौरा देवी मंदिर, सुमेरपुर में रोटीराम बाबा का विरक्त आश्रम आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक स्थल है। राठ तहसील के दीवान शत्रुघन सिंह, पंडित परमानन्द ब्रम्हानन्द जी स्वतंत्रता के पुजारियों की गौरव गाथाओं से सम्बद्ध है।

जनपद हमीरपुर का कुल क्षेत्रफल 4,094वर्ग किलोमीटर है। जनपद के कुल क्षेत्रफल का 5.80 प्रतिशत वनीय क्षेत्र है। कुल क्षेत्रफल के 78.4 प्रतिशत पर फसल बोई जाती है। जिसमें मात्र 26 प्रतिशत ही संचित है। शेष 52.4 प्रतिशत भाग असिचित होने तथा 15.8 प्रतिशत भाग परती पडे रहने के कारण कृषकों की दशा अच्छी नहीं है। यह क्षेत्र आर्थिक सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टिकोण से अत्यन्त पिछड़ा है क्योंवि इस जनपद का अधिकार भाग दुर्गम एवं बीहड़ है। जहां यातायात याधनों का अत्यन्त अभाव है तथा जंगलों के कारण दस्युग्रस्त भी है।आज भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थिति इतनी विषम है कि उनका पीने का पानी एवं यातायात के साधन भी सुलभ नहीं है। यद्यपि सुमेरपुर विकास खण्ड में औद्योगिक नगरी की स्थापना की गई है। जिसमें कुछ की गिनती की ईकाइयों ही कार्य कर रही है। शेष बंद या बीमार है। चालू इकाईयों में भी बाहरी कर्मचारी एवं श्रमिक कार्य कर रहे हैं। स्थानीय लोंगों को रोजगार के अवसर अंशतः ही प्राप्त हो पाये हैं। यहां की जनता रोजगार की तलाश में औद्योगिक शहर की ओर पलायन को तत्पर है।

सिंचित भाग पर गेहूं, चावल तथा गन्ना पैदा किया जाता है। चावल एवं गन्ना मात्रा की दृष्टि से अल्प है। असिंचित भाग में खरीफ की फसल में ज्वार, अरहर, मूंग, बाजरा एवं तिल की फसल तथा रबी की फसल में चना, मटर , सरसों, मसूर तथा धुरिया गेहूं पैदा किया जाता है। जिसमें कम पैदावार होने के कारण आर्थिक विषमता व्याप्त है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण अभिभावक अपने बालकों की पशुओं को चराने में लगाये रहते है। साथ ही बालिकाओं को रूढवादिता एवं आर्थिक तंगी के कारण गृह कार्य में लगाये रहते हैं। पानी का अभाव यातायात के साधन का अभाव तथा जंगली क्षेत्र होने के कारण यह जनपद शैक्षिक दृष्टि में पिछड़ा है।

प्रशासनिक व्यवस्था -

जनपद को प्रशासनिक व्यवस्था में तीन तहसीलों में विभक्त किया गया है। विकासखण्डों के आधारपर जिले में कुल 07 विकास खण्ड है। जनपद में तीन नगर पालिकायें एवं तीन डाउन एरिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 59 न्याय पंचायतें एवं कुल ग्राम 647 हैं। जिनमें 511 आबाद गांव एवं 136 गैर आबाद गांव हैं। जिले में 314 ग्राम पंचायत हैं। जनपद की प्रशासनिक इकाईयां सारणी में दर्शायी गयी हैं।

सारणी 1.1

जनपद की प्रशासनिक इकाई

क्रमांक	स्थान	संख्या
1-	तहसील	4
2-	विकास खण्ड	7
3-	न्याय पंचायत	59
4-	ग्राम पंचायत	314
5-	राजस्व ग्राम	647
6-	बस्तियां	736
7-	गैर आबाद ग्राम	136
8-	नगरीय क्षेत्र	7
9	नगर निगम	0
10-	नगर पालिका	3
11-	नगर पंचायत	4
12-	वार्ड	77

विकास खण्ड सरीला को तहसील का दर्जा दिया गया है। जो सारणी में सम्बद्ध नहीं है।

जनपद हमीरपुर में क्रमशः हमीरपुर, मौदहा एवं राठ कुल 04 तहसीलें हैं। जनपद में क्रमशः कुरारा, सुमेरपुर, मौदहा, मुस्करा राठ, गोहाण्ड, तथा सरीला सहित कुल 07 विकास खण्ड हैं। साथ ही हमीरपुर मौदहा तथा राठ कुल 03 नगर पालिकायें एवं कुरारा, सुमेरपुर, मुस्करा, गोहाण्ड तथा सरीला नगर पंचायतें हैं।

जनसंख्या :-

वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार जनपद हमीरपुर की जनसंख्या 8,84,510 थी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 747550 एवं नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 1,36,960 थी जो कुल जनसंख्या की क्रमशः 15.5 तथा 84.5 प्रतिशत थी। जनपद में ये 1995 ये नया जनपद महोबा सृजित किया गया है।

जनगणना 2001 के अनुसार जनपद की अनुमानित जनसंख्या 10,42,374 है। जिसमें पुरुषों की जनसंख्या 5,62,911 है। जबकि महिलाओं की जनसंख्या 4,79,463 है। 0-6 वर्ग के बच्चों की संख्या 1,83,594 है जो कुल जनसंख्या का 17.85 प्रतिशत है। जिसमें प्रति 1000 पुरुषों के सापेक्ष 852 महिलायें हैं।

अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 1,80,755 है। जो कुल जनसंख्या का 24.18 प्रतिशत है। जनपद में वर्णित जनसंख्या का घनत्व 241 प्रतिवर्ग किलोमीटर है। उपरोक्त विवरण निम्नांकित वर्णित किया गया है।

1991 के अनुसार

	पुरुष	406496
	महिला	341059
	कुल	884510

2001 की जनगणना के अनुसार (अनुमानित)

	पुरुष	562911
	महिला	479463
	कुल योग	1042374

वृद्धि दर गत दशक		17.85 प्रतिशत
लिंग अनुपात (1000 पुरुषों पर)		852 महिलायें
जनसंख्या घनत्व		241 प्रति किलोमीटर
अनुसूचित जाति	पुरुष	1,15,170
	महिला	95,101
	योग	2,10,271

जनपद के विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या में दर्शायी गई है।

सारणी 1.2
विकास खण्डवार/नगर क्षेत्रवार जनसंख्या विवरण

क्र0सं0	नाम	1991 की जनसंख्या कुल संख्या			अनुमानित जनसंख्या 2001 की कुल जनसंख्या			अनुसूचित जाति की 2001 की कुल संख्या		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1.	कुरारा	41178	34706	7583	47478	40449	87927	9931	8278	18209
2.	सुमेरपुर	79413	58454	127867	80274	67626	147900	14541	12005	26546
3.	मौदहा	93389	78239	171628	108116	90600	198716	21205	17487	38692
4.	मुस्करा	57141	47506	104647	66017	54902	120919	12220	10023	22248
5.	राठ	44767	37558	82325	51639	43348	94987	14281 1	1362	25643
6.	गोहाण्ड	51393	43659	95052	59345	50036	1099381	14440	12211	26651
7.	सरीला	49215	40938	90153	56813	47274	104087	12362	10404	22766
योग -	ग्रामीण क्षेत्र =	406496	341059	747555	469682	394235	963917	98985	81770	180755
	नगरीय क्षेत्र =	74505	62452	136957	93229	85558	178457	16185	13331	29516
	ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या	481001	403511	884512	562911	479463	1042374	115170	95101	210271

तालिका की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में सबसे अधिक जनसंख्या विकास खण्ड मौदहा की है। जबकि सबसे कम जनसंख्या विकास खण्ड कुरारा की है। जनपद में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 210271 है जो कुल जनसंख्या का 23.77 है। विकास खण्ड मौदहा अनुसूचित जाति की जनसंख्या 38,692 है तथा विकास खण्ड कुरारा की जनसंख्या 18,209 सबसे कम है। लेकिन विकास खण्ड राठ अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है। जनपद हमीरपुर में 1991 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या नगण्य है।

जनपद सामाजिक संरचना की दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है जिसमें कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 23.77 है। सामाजिक रूढ़वादिता के कारण महिलाओं का शैक्षिक स्तर अत्यन्त पिछड़ा है। कुल जनसंख्या के 88.9 प्रतिशत कृषि कार्य पर निर्भर है। जिसमें समस्त कृषि जोतें का प्रतिशत 46.6 प्रतिशत यह दर्शाता है किजनपद में छोटे कृषकों की अधिकता है। जनपद में कुल 07 विकास खण्ड है। जनसंख्या के मामले में इनमें काफी विषमतायें है। जहां एक ओर कुरारा की जनसंख्या 75,883 है। वहीं विकास खण्ड मौदहा की जनसंख्या 1,71,628 है।

सामाजिक संरचना :-

जनपद हमीरपुर में अभी भी अल्प सामंतवादी समाज देखने को मिलता है। लगभग 69 प्रतिशत सीमान्त कृषकों के पास एक एकड़ या उससे भी कम भूमि है। उत्पादन के साधन कुछ ही लोगों के नियंत्रण में है। और अधिकतर जनसंख्या उनपर आश्रित है। डी0आर0डी0ए0 स्टीमेट के अनुसार 41 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। अधिकांश लोग कर्जदार है। और 5 से 10 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दे रहे है। अधिकांश श्रमिक जीविकोनार्जन हेतु काम की तलाश में बड़े शहरों को चले जातें है। सामाजिक पिछड़े पन का मुख्य कारण निरक्षरता है। जिससे विकास कार्यक्रमों में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त नहीं हो पाती है।

:: :: ::

अध्याय - 2

शैक्षिक परिदृश्य

साक्षरता दर

जनपद हमीरपुर की साक्षकरता दर 58.10 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर नगर क्षेत्र की साक्षरता दर से नीचे है। नगर क्षेत्र की साक्षरता दर 78.65 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर 55.1 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र की मात्र 40.65 प्रतिशत महिलाये ही साक्षर हैं। जबकि पुरूषों का साक्षरता प्रतिशत 72.76 है। अब प्रदेश की कुल महिला साक्षरता 42.98 प्रतिशत (ग्रामीण) के सापेक्ष जनपद हमीरपुर की ग्रामीण महिला साक्षरता दर 40.65 प्रतिशत है।

ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की साक्षरता दर कम होने का कारण सामाजिक, आर्थिक एवं रूढ़वादित है। जनसमुदाय की धारण है कि महिलाओं का कार्य केवल गृहस्थी देखना है। जनपद की साक्षरता दर निम्न सारणी में दर्शायी गई है।

सारणी 2-1

जनपद तथा राजय स्तर की साक्षरता दर

क्रम सं0	साक्षरता का प्रकार	राज्य की साक्षरता दर 2001	जनपद की साक्षरता 2001
1.	कुल साक्षरता	57.36	58.10
2.	कुल पुरूष साक्षरता	70.23	72.76
3.	कुल महिला साक्षरता	42.98	40.65

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 58.10 प्रतिशत है। पुरूष साक्षरता दर 72.76 तथा महिला साक्षरता दर 40.65 प्रतिशत है। विगत दशंक में जनपद की साक्षरता दर में संतोषजनक प्रगति हुई है। उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि महिलाओं की साक्षरता दर नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र में काफी कम है। जनपद की विकास खण्ड वार साक्षरता दर वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित है :-

सारणी 2-2

विकास खण्ड वार साक्षरता दर

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	पुरूष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	योग प्रतिशत
1.	कुरारा	48.4	17.1	34.2
2.	सुमेरपुर	57.4	21.7	41.2
3.	मौदहा	53.3	19.0	39.5
4.	मुस्करा	55.8	19.3	39.5
5.	राठ	53.8	15.7	36.2
6.	गौहण्ड	60.0	17.21	40.5
7.	सरीला	50.2	11.8	32.9
	औसत ग्रामीण क्षेत्र	54.7	17.8	38.1
	औसत नगरीय क्षेत्र	74.6	44.8	58.1

(स्त्रोत) संख्यिकी पत्रिका 1999

नोट- जनगणना 2001 के अनुसार विकासखण्ड वार/क्षेत्रवार साक्षरता दर का विवरण उपलब्ध नहीं है। अतः 1991 की साक्षरता दर अंकित की गई है।

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड सरीला की साक्षरता जनपद की औसत साक्षरता से काफी नीचे है। ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता दर 54.7 है। और नगर क्षेत्र की कुल पुरूष साक्षरता दर 74.6 प्रतिशत है। तथा ग्रामीण क्षेत्र की महिला साक्षरता 17.8 प्रतिशत है नगरीय क्षेत्र की महिला साक्षरता 44.8 प्रतिशत है। सरीला में 11.8 प्रतिशत राठ में 15.7 प्रतिशत, कुरारा एवं गोहाण्ड में 17.1 प्रतिशत महिलायें ही साक्षर है। जो अत्यन्त कम है, इन विकास खण्डों में बलिकाओं के शिक्षा के लिये अतिरिक्त प्रयास करने होंगें। विकास खण्ड गोहाण्ड, सुमेरपुर, मुस्करा, मौदहा की साक्षरता दर क्रमशः 60, 57.4 55.8, 55.3 जो प्रदेश की पुरूष साक्षरता दर से अधिक है। विकास खण्ड सुमेरपुर एवं मुस्करा की महिला साक्षरता दर प्रदेश की महिला साक्षरता दस से अधिक हैं इसका मुख्यालय के पास होना है। साथ ही आवागमन के अच्छे साधन है।

शैक्षिक संस्थाओं का विवरण

जनपद हमीरपुर में उपलब्ध शैक्षिक संस्थायें निम्न सारणी में दर्शायी गयी है

सारणी-2-3

जनपद की शैक्षिक संस्थायें

	परिषदीय			शासकीय मान्यता प्राप्त			कुल विद्यालय योग		
क्र0सं0 विवरण	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग	ग्रामीण	नगरीय	योग
1. प्राथमिक विद्यालय	707	33	740	164	77	241	852	110	962
2. मा0 विद्या0 सम्बद्ध प्राईमरी अनुभाग	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3. उच्च शिक्षा	236	03	239	96	21	117	268	24	292
4. मा0 वि0 सम्बद्ध उच्च प्रा0 अनु0 (अनुमानित)	--	--	--	18	02	20	18	02	20
5. केन्द्रीय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6. नवोदय विद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7. हाई स्कूल	04	--	04	08	03	11	12	03	15
8. इण्टरमीडियट	02	04	06	13	10	23	15	14	29
9. डिग्री कालेज	--	01	01	01	02	03	01	03	04
10. स्ना0 महाविद्यालय	01	01	02	01	--	01	02	01	03
11. विश्वविद्यालय	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12. नकनीकी संसथान (आई0आई0टी0/पालिटेक्निक)	01	01	02	--	--	--	01	01	02
13. कम्प्यूटर शिक्षण संस्थायें	--	--	--	01	--	01	01	--	01
14. आंगनवाड़ी	595	--	595	--	--	--	595	--	595
15. मकतब/मदरसे	--	--	--	01	06	07	01	06	07
16. संस्कृत पाठशालायें	--	--	--	06	--	06	06	--	06
17. बी0आर0सी0	07	-	07	-	-	-	07	-	07
18. एन0पी0आर0सी0	61	-	61	--	--	--	61	--	61
19. डायट	--	--	--	--	--	--	--	--	--
20. विकलांग संस्थायें मूक बधिर विद्यालय	--	--	--	01	--	01	01	--	01

सारणी की विवेचना से स्पष्ट है कि जनपद में केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) एवं मेडिकल कालेज नहीं है। मान्यता प्राप्त विकलांग विद्यालय 01 है। इन संस्थाओं के अभाव से

शिक्षण कार्य बाधित होता है। जनपद में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की विशेष आवश्यकता है।

सारणी 2-4

विद्यालय संख्या

विवरण	2000-01		2001-02		2002-03		2003-0	
	परिषदीय	मान्यता	परिषदीय	मान्यता	परिषदीय	मान्यता	परिषदीय	
प्राथमिक विद्या0	721	248	721	248	721	248	740	2
उच्च प्रा0 विद्या0	175	78	175	114	193	114	239	11

जनपद में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत कार्यरत अध्यापकों का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी 2-5

शिक्षकों की उपलब्धता

	सृजित	कार्यरत	रिक्त	स्वीकृत शिक्षा मित्रों की संख्या
परिषदीय प्रा0 विद्या0	1811	1548	263	259
परिषदीय उच्च प्रा0 वि0	744	422	322	

स्रोत- विभागीय आंकड़े

विद्यालय की संस्था एवं छात्र नामांकन की दृष्टि से प्रथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की अत्यन्त कमी है। तथा कार्यरत अध्यापकों में कुछ अध्यापक वाह्य जनपदों के हैं। शैक्षिक गुणवत्ता की सुधार के लिये नामांकन के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति आवश्यक है।

विद्यालयों की उपलब्धता :--

कुल ग्रामों की संख्या तथा राज्य सरकार के मानक के अनुसार आपेक्षित ग्रामों की संख्या कुल बस्तियों की संख्या एवं आपेक्षित बस्तियों की संख्या निम्न सारणी में दर्शायी गयी है।

सारणी 2-6

प्राथमिक स्तर परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

	1 किलोमीटर सेकम दूरी पर	1 किलोमीटर से अधिक किन्तु 1.5 से कम दूरी पर	1.5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है।	435	[illegible]	[illegible]
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से कम है।	276	[illegible]	0

सारणी 2-6 ए

प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	प्रस्तावित ई.जी.एस.
[illegible]	00

नोट :- 2001-2002 में डी0पी0ई0पी0--III के अन्तर्गत 112 केन्द्र स्वीकृत होने के कारण E.G.S. केन्द्र की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2-7

परिषदीय अथवा मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता

	3 किमी0 से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्धता	3 किमी0 से अधिक दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्धता	मानक के अनुसार आवयश्क उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है।	226	77	[illegible]
ऐसी बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से कम हों	375	58	58

कुल प्राथमिक विद्यालय	740
नये प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय	00
2:1 के अनुपात उच्च प्राथमिक विद्यालय	–
वर्तमान में उपलब्ध उच्च प्राथमिक विद्यालय	239
मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता	00

अगस्त 2003 तक 64 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जा चुके है तथा ए0आई0एफ केन्द्रों को संचालित करके उच्च प्रा0 वि0 की आवश्यकता की पूर्ति कर ली गई हैं वर्तमान में उच्च प्रा0 वि0 की आवश्यकता नहीं है।

विद्यालय में भैतिक सुविधायें

जनपद के विद्यालयों में उपलब्ध भौतिक सुविधायें निम्न सारिणी में दी गई हैं।

सारणी 2.8

	प्राथमिक स्तर	जर्जर
प्राथमिक विद्यालय भवन	कुल विद्यालय 740	00
एक कक्षीय विद्यालय की सं0	17	
दो कक्षीय विद्यालय की संख्या	545	
तीन कक्षीय विद्यालय की संख्या	166	
पांच कक्षीय विद्यालय की संख्या	07	
मरम्मत योग विद्यालय	05	
शौचालय	00	
हैण्डपम्प	युक्त 740 विहिन–0	
चहार दिवारी	युक्त 653 विहिन–87	

उच्च प्राथमिक स्तर		
उच्च प्राथमिक प्राथमिक	239	जर्जर 04
मरम्मत योग्य	लघु 43, वृहत 29	
एक कक्षीय विद्यालय की संख्या	15	
दो कक्षीय विद्यालय की संख्या	53	
तीन कक्षीय विद्यालय की संख्या	35	
चार कक्षीय विद्यालय की संख्या	136	
पांच कक्षीय विद्यालय की संख्या	--	
पांच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय	--	
शौचालय	युक्त 130 विहिन–109	
हैण्डपम्प	युक्त 194 विहिन–45	
चहार दिवारी	--	

स्त्रोत–विभागीय आंकड़े

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों की सुविधाये :–

जनपद में 740 प्राथमिक विद्यालय संचालित है। जनपद संतृप्त है और आगे प्राथमिक विद्यालयों की अवश्यकता नहीं है। 740 शौचालय है। 653 हैण्डपम्प युक्त विद्यालय है तथा 87 विद्यालयों में हैण्डपम्प की आवश्यकता है।

परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में सुविधाये :–

जनपद में 239 उच्च प्रा0 वि0 संचालित है। 130 विद्यालय शौचालय युक्त तथा 109 विद्यालय शौचालय विहीन है। 194 विद्यालय हैण्डपम्प युक्त तथा 45 विद्यालय हैण्डपम्प विहीन हैं। जनपद में वर्तमान में उच्च प्रा0 वि. की आवश्यकता नहीं है।

सारणी 2-9

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की आवश्यकताओं।

क्र0 सं0	सुविधा का नाम	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक		
		कमी	11 वें वित्त आयोग/ डी0पी0ई0पी0	शुद्धमांग	कमी	11वें वित्त आयोग डी0पी0ई0पी0	शुद्धमांग
1.	नवीन विद्यालय	25	--	25	77	--	77
2.	विद्या0 पुर्ननिर्माण	36	--	36	4	--	4
3.	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	2246	117	2129	250	--	250
4.	पेयजल	87	100	87	45	--	45
5.	शौचालय	349	100	249	119	--	119
6.	चहार दीवारी	621	100	621	136	--	136

विद्यालय भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के एवं 11 वें वित्त आयोग में लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़े व महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स (हमीरपुर) :--

यह जनपद जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III का जनपद है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई कार्य कर रही है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अंतर्गत कम्प्यूटर कक्ष की स्थापना की गयी हैं। ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगतवर्ष की स्थित निम्नवत है--

प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन	1999-2000	2000-2001	2001-2002
कक्षा 1	25733	28593	31770
कक्षा 2	25359	30399	33777
कक्षा 3	24576	27307	30341
कक्षा 4	20070	22300	24778
कक्षा 2	1850	24275	22529
योग	1195588	132874	143194
जी0ई0आर0 कुल	81%	83%	85%
बालिका	75%	78%	82%
एन0ई0 आर0	58%	60%	63%
बालिका	54%	57%	61%

	परियोजना के पूर्व की स्थिति	2001 की स्थिति	प्रतिशत वृद्धि
प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय)	701	721	2.85%
प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय)	--	1548	--

जिला प्राथमिक , शिक्षा III के अन्तर्गत विद्यालयों की वृद्धि हुई है।

ड्रॉप आउट दर प्राथमिक स्तर

वर्ष	कक्षा 1	कक्षा 2	कक्षा 3	कक्षा 4	कुल औसत	बालिका
1999	26.16	24.73	23.12	22.24	24.06	28.23
2000	24.23	21.42	18.60	19.46	20.93	25.24
2001	20.13	19.43	15.95	16.21	17.93	21.62

कक्षा 1 में ड्रॉप आउट में कमी आई। क्रमशः इसके पश्चात वृद्धि हुई है। स्रोत : विभागीय आंकड़े

ड्राप आउट दर उच्च प्राथमिक स्तर

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	कुल औसत	बालिका
99	13.25	11.67	12.13	12.35	16.42
2000	12.96	11.43	11.87	12.08	14.75
2001	11.21	10.95	11.31	11.16	12.25

रिपीटीशन दर व 5 कक्षायें पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

वर्ष	रिपीटीशन दर	5 कक्षायेंपूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या
1999	3.98	7.54
2000	3.75	7.32
2001	3.48	7.12

रिपीटीशनदर 3.48 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षायें पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 7.12 वर्षीय लग रहे हैं। अतः शिक्षा प्रणाली की कार्य कुशलता में वृद्धि हो रही है।

अध्यापक छात्र अनुपात वर्ष	2001-2001	1: 68
एकल अध्यापक का	2001-2001	5 : 27
छात्र कक्षा कक्ष अनुपात	2001-2002	1 : 68

उच्च प्राथमिक के आंकडे व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद हमीरपुर

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

वर्ष	कक्षा 6	कक्षा 7	कक्षा 8	योग	गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि
1999-200	9173	8690	7228	25091	--
2000-2001	10193	9656	8032	27881	11.12%
2001-2002	11326	10730	8925	30981	11.11%

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

वर्ष	कक्षा 5	कक्षा 6	ट्राजियन दर
1999-2000	122295	9590	78
2001-2002	14004	11343	81
2002-2003	14796	12281	83

सारणी से स्पष्ट है कि कक्षा 5 उत्तीर्ण काफी बच्चे कक्षा 6 में प्रवेश नहीं ले पाते इसका कारण है कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय न होना है।

उच्चप्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

	संख्या 2000-2001	2001-2002	वृद्धि
उच्च प्राथमिक विद्यालय	175	175	00%
उच्च प्राथमिक अध्यापक	422	422	00%

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

	परि0 प्रा0 विद्यालय संस्था	परि0उच्च वि0 प्रा0वि0 संस्था	उच्च प्रा0वि0 सम्बद्ध मा0 वि0	योग(3+4)	प्रा0वि0 उच्च प्र प्रा0वि0 अनुपात
1	2	3	4	5	6
योग	721	175	20	195	168

अध्याय - 3

नियोजन प्रक्रिया

सर्व शिक्षा अभियान ऐसा अभियान है जिसके अन्तर्गत विद्यालय न जाने वाले कक्षा 5 तक के बच्चों को वर्ष 2003 तक नामांकन सुनिश्चित करना एवं वर्ष 2008 तक उनको शत प्रतिशत शिक्षित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा कक्षा 8 तक के बच्चों का 2007 तक शत प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करना तथा 2010 तक सभी को शिक्षित करना है। इस अभियान के अन्तर्गत ड्राप आउट दर को कम करना तथा ठहराव को बढ़ावा दिया जायेगा। ग्राम एवं मजरे से एकत्र की गयी सूचनाओं के आधार पर जिला स्तरीय योजना तैयार की गयी है।

सूक्ष्म नियोजन तथा शिक्षा योजना :-

उत्तर प्रदेश जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन प्रक्रिया को विशेष महत्व दिया गया है इसका प्रयोजन यह हैं कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वयवर्ग के बालक तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थितका आकलंन किया जाये। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिये इसके उद्देश्यों तथा विधियों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण आयोजित किये गयें है और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई है। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गई है। इस जनपद में सर्व प्रथम 1999-2000 में ग्राम वासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सूचनायें, जिनकी सूची पहले से तैयार थी एकत्रीकरण किया गया और एकत्र सूचनाओं का विश्लेषण करके समस्याओं/आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्मनियोजन से प्रत्येक ग्राम से निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गई।

- ग्राम में 6-11 वयवर्ग के कुल बच्चों की संख्या।
- विद्यालय/अन्य शिक्षा केन्द्र में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या।
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या।
- शिक्षाग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/अन्य शिक्षाकेन्द्रों में न जाने का कारण।
- यदि ग्राम में विद्यालय/अन्य शिक्षा केन्द्र नहीं है तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है।
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भ्व नहीं है। तो ग्राम वासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं।
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक के विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक साधन पर्याप्त है।
- यदि नहीं तो इनके सुधार के लिये ग्रामवासियों के क्या विचार हैं।
- क्या विद्यालय में तैनाती छात्र संख्या के अनुरूप है तथा छात्र अध्यापक अनुपात क्या है।

- क्या अध्यापक नियमित रूप से विद्यालय जाते है
- शिक्षण कार्य की स्थिति/शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचना एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

1. परिवार सर्वेक्षण

2. स्कूल का मानचित्रण/शैक्षिक मानचित्र

3. सूचनाओं का विश्लेषण

4. ग्राम शिक्षा योजनाओं का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी :-

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक युवतियों, शिक्षकों/शिक्षकाओं की एक बैठक बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांवो के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया।

इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्र के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्र के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गांव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनाई गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्न लिखित सूचनायें एकत्र की गई।

1. बस्ती की पूरी जनसंख्या

2. विभिन्न आयु वर्ग की संख्या

3. स्त्री पुरुषों की जनसंख्या

4. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या

5. बाल श्रमिकों के बारे में जानकारी

6. विकलांग बच्चों के बारे में जानकारी

7. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त तथ्यों एवं समस्याओं आदि पर बस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों के विचार विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुये परिवारों एवं बस्तिओं के विवरण को संकलित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई

ताकि ग्राम व बस्ती वार योजना तैयार हो सके। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड विद्यालय स्तर, न्याय पंचायत स्तर, विकास खण्ड स्तर एवं जिला स्तर पर रखा जाना है। वर्ष 2000-2001 में माइक्रोप्लानिंग का कार्य कराया गया।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवार/बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकास खण्ड के बेसिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत एवं विकास खण्ड वार संकलित किया गया 16-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक शिक्षा/नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुये विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गई इन बच्चों में बालकों तथा बालिकाओं की संख्या पृथक-पृथक आंकलित की गयी इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या अंकलित की गयी जो काम काजी है। पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते है। अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रेन) है।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गई जो नवीन विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा करते है। तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गई जिनमें शिक्षा गारण्टी केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा के अर्न्तगत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्र कर उपयोग में लायी गई तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों का आंकलन करते हुये उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विवरण विस्तार से पुस्तिका के अध्याय 7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का आधवृधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घ कालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2002-2003 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायेगा। उसके द्वारा प्राप्त आंकड़े/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002-2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायेगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्र के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ो का सम्बन्ध है। इस क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्रीप्रोजेक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सरणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002-2003 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार करते हुये किया जायेगा।

सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों का प्रति वर्ष अध्ययन किया जायेगा तथा इसका उपयोग आगामी वार्षिक योजनाओं में एवं बजट के निर्माण के समय ई0जी0एस0/एस0आई0ई0 कार्यक्रम के निर्धारण में किया जायेगा।

1. विद्यालय असेवित क्षेत्र।

2. शालात्याग के कारण।

3. विद्यालय भवनों तथा संसाधनों की स्थिति।

4. विद्यालय कार्यक्रमों में जनभागिता की स्थिति।

5. वंचित वर्ग तथा बालिकाओं कि शिक्षा सम्बन्धी बाधायें।

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत प्रमुख बल ठहराव में वृद्धि लाने विशेषकर बालिकाओं के ठहराव पर दिया जाता है। और तदानुसार बालिकाओं को अभिप्रेरित किया जाता है। जिसके लिये सामुदायिक गति शीलता के कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं। आगे भी स्कूल चलो अभियान में मुख्य बल नामांकन की अपेक्षा बालिकाओं के ठहराव में वृद्धि पर अधिक रहेगा। ताकि नामांकित बालिकायें प्राथमिक कि करने उपरान्त ही विद्यालय छोड़ें।

जनपद हमीरपुर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- III के अन्तर्गत आच्छादित है। इस योजना के लागू करने से पूर्व जिले की शैक्षिक समस्याओं को चिन्हित करने के लिये निचले स्तर तक बैठकों का आयोजन किया गया था तथा समस्याओं को पहचाने के उपरान्त उनके निदान हेतु जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम- III में प्रावधान किये गये थे।

सर्वशिक्षा अभियान के महत्व को दृष्टिगत रखते हुये विचार किया गया कि ग्राम, न्याय पंचायत ब्लाक, जनपद स्तर तक बैठके करके एक बार पुनः शैक्षिक समस्याओं का चिन्हांकन किया जाये। इसी उद्देश्य से जनपद में अनेक बैठको का आयोजन किया गया। यह बैठकें ग्रामों , न्याय पंचायतों, ब्लाकों और जनपद में आयोजित की गई। इन बैठकों में विभिन्न स्तर पर ग्रमवासी, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य सहायक एवं प्रधान अध्यापक न्याय पंचायत समन्वयक ब्लाक समन्वयक, सह समन्वयक स्वयं सेवी संस्थाओं के सदस्य विकास खण्ड अधिकारी सहायक बसिक शिक्षा अधिकारियों प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी, उप बेसिक शिक्षा अधिकारी आदि ने प्रति भाग किया। तथा जिले के शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी के प्राचार्य, उप प्रचार्य, प्रवक्ता गण आदि के साथ बैठकर सर्व शिक्षा अभियान की योजना बनाते समय गहन विचार विर्मश किया गया।

जनपद में उक्त आयोजित बैठकों का तिथिवार एवं स्थान वार विवरण निम्नवत है।

क्र0 सं0	ब्लाकस्तर/ग्रामस्तर	तिथि	स्थान	प्रतिभागीगण	विचार विमर्श के बिन्द
1.	ग्राम स्तर	7-11-2001	1. म्होड़ी (मौदहा)	अधिकारी-1 ग्रामप्रधान	1. शौचालय की कमी
			2. कुनेहटा	अभिभावक-1	2. विद्यालय में छात्र एवं

			3. पुरा	जनसमुदाय	छात्राओं के वैठने के। लिये फर्नीचर/टाट पट्टी की कमी
			4. खेड़		
			5. पुरैनिन का पुरवा		
			6. पारा		3. विद्यालय में चाहार दीवारों का न होना।
			7. बनी		
2.	ग्राम स्तर	9-11-2001	1. मझगंवा-राठ	अधिकारी-	2 हैण्डपम्प की स्थापना
			2. लिधौरा	ग्राम प्रधान	2- विद्यालयों में बिजला का न होना
			3. मलेहटा	न्याय पं0समन्व्यक	3-परिषदीय विद्यालय का न होना।
			4. सरगांव	प्र0अध्यापक	
			5. इकडौरा	प्र0अध्यापक	
			6. टोलाखेंगारन	अध्यापक	
			7. नौरांया	अभिभावक अनुसूचित जाति के सदस्य एवं अधिकांश ग्राम के सदस्य	
3.	ग्राम स्तर	12-11-2001	1. बरौली खरका	अधिकारी	1- विद्यालयों में अध्यापकों की कमी
			(गौहाण्ड)	ग्राम प्रधान	2- नामांकन में समुदाय का सहयोग न मिलना
			2. अतरा	ब्लाक सम0	
			3. रिहुंटा	अध्यापक	3- समुदाय में जागरूकता की कमी
			4. इटौलियाबाज	अभिभावव	4. प्रभावी निरीक्षण एवं

					पर्यवेक्षक का अभाव
			5. सिकरौंधा 6. बीरा 7. बिलगांव नवीन		
4.	ग्रमास्तर	13-11-2001	1. सुरौली बुजुर्ग (सुमेरपुर)	अधिकारी ग्राम शिक्षा समिति	1- विकलांग बच्चों की शिक्षा की समस्या
			2. पत्यौरा	समिति के सदस्य अभिभावक	2- कृषि प्रधान पेशा होने के कारण कृषि कार्य में लगे बालकों की शिक्षा की समस्या।
			3. सिमनौडी 4. बड़गांव 5. बरूआ	प्र0 अध्यापक अभिभावक न्याय पं0 सम0 पढ़े लिखे ग्राम के लोग	3- अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन की समस्या
5.	ग्राम स्तर	19-11-2001	1. बिन्दपुरी (कुरारा) 2. बेरी 3. खरौंज	अधिकारी ग्राम प्रधान स्वयं सेवी संस्था के सदस्य	1- निर्धनता के कारण पाठ्य पुस्तकों एवं स्टेशनरी आदि के क्रय में कठिनाई
			4. गुजौरा 5. लहरा 6. बैजे इस्लामपुर	अध्यापक अभिभावक	2- अध्यापन के साथ-अध्यापक से अन्य कार्यों का लिया जाना।
6.	ग्राम स्तर	21-11-2001	1. कुसमरा (कुरारा) 2. चन्दूपुर 3. सिकरौठी	अधिकारी न्याय पं0 प्रभारी ब्लाक समन्वयक प्र0 अध्यापक	अभिभावको एवं अध्यापकों में सामंजस्य का अभाव
			4. गंगवाफा डेरा 5. ब्रम्हा का डेरा 6. बदनपुरा	अध्यापक	2-ग्राम शिक्षा समितियों से आपेक्षित सहयोग का न मिल पाना।

7.	ग्राम स्तर	24-11-2001	1. अरतरा (मौदहा) 2. ब्रम्हरौली डीहा 3. खैरी 4. परछछ 5. तिलरस 6. सढा 7. किन्दुही	अधिकारी ब्लाक सम0 न्याय पंचायत समन्वयक अध्यापक अनु0 जाति के सदस्य	1- अध्यापकों का समय से न पहुंचना एवं समय से पूर्व विद्यालय छोड़ देना। 2- अध्यापकों की अध्यापन में रुचि का अभाव। 3. अध्यापन में पराम्परागत विधियों का प्रयोग।
8.	ग्राम स्तर	26-11-2001	1. इमिलिहा(मुस्करा) 2. न्यूरिया 3. टीहर 4. खेडा 5. मुगैंचा 6. चिकसोना 7. तगारी	अधिकारी ग्राम प्रधान ब्लाक सम0 प्र0 अध्यापक अध्यापक अभिभावक	1. छात्रों का पूरे समय विद्यालय में न रहना 2. क्राफ्ट सम्बन्धी शिक्षा का अभाव।
9.	ग्राम स्तर	27-11-2001	1. केन्द्रीय विद्यालय (सरीला) 2. करियारी 3. बरगवां 4. ममना 5. खेडा शिलाजीत 6. घमना 7. पुरैनी 8. जलालपुर	अधिकारी न्याय पं0 सम0-4 प्रधानाध्यापक-3	1. अध्यापकों का अपने निवास स्थान के पास ही पदस्थ रहने की इच्छा 2- मुस्लिम वर्ग कीबालिकाओं के कम नामांकन की समस्या
10	ब्लाकस्तर	27-11-2001	1. सरीला 2. इमिलिहा	अधिकारी वि0ख0अधि0 ब्लाक सम0	1. परीक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता।

			3. पारा 4. पनधरी 5. नरायनपुर 6. धर्मेश्वरबाबा	न्याय पं0 सम0 अभिभावक एवं गांव के अन्य लोग	2- छात्र-छात्रओं को स्वस्थ्य रखने के लिये समय- समय पर उनके स्वास्थ्य का परीक्षण
11.	जनपदस्तर	3011-2001	बी0एस0ए0 उप बेसिक शिक्षा अधिकारी सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी जिला समन्वयक सहायक देसिक शिक्षा अधिकारी प्रति उप विद्यालय निरीक्षक		1- छात्र-छात्राओं के सतत् मूल्यांकन्की कमी 2- अध्यापकों के स्थानांतरण की स्पष्ट नीतिका न होना एवं स्थानातरण मे राजनीतिक हस्तक्षेप की अधिकता।
12.	डायटस्तर 28-11-2001		डायट (चरखरी)	प्राचार्य उप प्राचार्य व. प्रवक्ता जिला समन्वयक प्रवक्ता	1. अध्यापकों की अध्यापन के सम्बन्ध में नवीन दिधियों के ज्ञान हेतु प्रशिक्षणों पर बल 2- पाठ्यक्रम के कठिन अंशों के ज्ञान हेतु रिफ्रेशर कोर्स की आवश्यकता पर बल

फोकस ग्रुप डिस्कशन की बैठकें

क्रसं0	बैठक का स्तर	बैठकों की संख्या
1.	ग्राम स्तर	65
2.	ब्लाक स्तर	1
3.	जनपद स्तर	1
4.	डायट स्तर	1

प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय सहयोग

प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है।

(ए) आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय :-

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा स्वास्थ्य कर्मी, एन0जी0ओ0 आदि को सम्मिलित कर जिला सन्दर्भ समूह तथा विकास खण्ड सन्दर्भ समूह का गठन किया जाता है। और निम्नवत आई0सी0डी0एस0 के साथ समन्वय स्थापित किया जाता हैं

1. आंगनवाड़ी केन्द्रों का समय, स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता हैं

2. आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।

3. आंगनवाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।

4. केन्द्रों के सुद ढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाताहै।

5. केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु अनुपातिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(ब) स्वास्थ्य विभाग के साथ सभन्वय :-

स्वास्थय विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्यापन रत छात्र-छात्रों का स्वास्थय परीक्षण कराया जायेगा जिससे चिन्हित रोगी छात्र-छात्रओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा रहा हैं तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देखभाल होसके। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्यक अथव पंजीकृत चिकित्सकों को सेवायें ली जाती हैं चिकित्सों के आने जाने व्यवसीा विभाग से की जाती है।

(सी) समाज कल्याण विभाग से समन्वय :-

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुसूचित जाति के सभी बच्चों को सभी शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु 300/- एवं 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(डी) ग्राम पंचायतों से समन्वय :-

असेचित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है। जहां पर विद्यालय का निर्माण कर आंगनवाड़ी केन्द्रों संचालित किया जाता है।

(ई) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय :-

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्व्य एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-

छात्रा को 3 किलो ग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरित कराया जाता है।

(एफ) विकालांग कल्याण विभाग से समन्वय :-

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (टायर साइकिल, बैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है।

(जी) उ0 प्र0 जल निगम/यू0पी0 एग्रो से समन्वय :-

इन दोनो विभागोंा के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र-छात्रओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है

(एच) युवा कल्याण विभाग से समन्वय :-

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीड़ा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेत भावना का विकास हो सके नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते है। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सहभागिता विकसित की जाती है।

(आई) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्प संख्यक कल्याण विभाग से समन्वय :-

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति दी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन-पाठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(जे) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय :-

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकारण (डी आर डी ए) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि पी0एम0जी0वाई0 से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

हाउस होल्ड सर्वेक्षण 2002 एक संकलन

क्र0	ब्लाक का नाम	6–11 वय वर्ग के बच्चे									11–14 वय वर्ग के बच्चे								
		कुल बच्चों की सं0			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चे			कुल बच्चों की सं0			विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या			विद्यालय न जाने वाले बच्चे		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	कुरारा	8768	7162	15930	7658	5985	13643	1110	1177	2287	4129	3059	7188	3684	2544	6228	445	515	960
2.	सुमेरपुर	12581	11340	23921	10997	9636	20633	1584	1704	3288	7503	6771	14274	6904	6010	12914	599	761	1360
3.	मौदहा	13489	10859	24348	11891	9315	21206	1598	1544	3142	6496	4978	11474	6045	4468	10513	451	510	961
4.	मुस्कुरा	10262	8470	18732	9493	7625	17118	769	845	1614	4983	3755	8738	4542	3233	7775	441	522	963
5.	राठ	8758	7016	15774	7354	5859	13213	1404	1157	2561	3485	2411	5896	3316	2231	5597	169	180	349
6.	गोहाण्ड	8931	7650	16581	7928	6764	14692	1003	886	1889	3801	2713	6514	3611	2532	6143	190	181	371
7.	सरीला	11844	8949	20793	9513	7695	17208	2331	1254	3585	4857	3541	8398	4490	3153	7643	367	388	755
8.	नगर क्षेत्र	7805	6584	14389	6750	5738	12488	1055	846	1901	4314	3344	7658	4145	3206	7351	169	138	307
	योग	82438	68030	150468	71584	58617	130201	10854	9413	20267	39568	30572	70140	26149	27377	53526	2831	3195	6026

परिवार सर्वेक्षण के अनुसार 26293 बच्चे विभिन्न कारणों से विद्यालय नही जा रहे है। सर्वेक्षण के अनुसार मुख्य रूप से घरेलू कार्य में लगा रहना, भाई–बहनों की देख–भाल में लगे रहने के कारण विद्यालय नहीं आ रहे है। यह निम्न सारणी से स्पष्ट है–

विद्यालय न जाने वाले बच्चों का विवरण–

क्र.	कारण	बालक	बालिका	योग
1	घरेलू कार्य	5991	5228	11219
2	मजदूरी	183	124	307
3	भाई'–बहनों की देख–भाल	1358	1265	2623
4	विद्यालय दूर होना	54	40	94
5	अन्य	6065	5958	12050

विद्यालय से बाहर इन बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु विभिन्न रणनीतियां जिला परियोजना समिति द्वारा प्रस्तावित की गयी है।

घरेलू कार्य में लगे बच्चें :–

ऐसे बच्चें जो अपने घर के कार्य में लगे रहते है को विद्यालय में लाने हेतु ब्रिज कोर्स तथा समर कैम्प तथा समर कैम्प चलाने की व्यवस्था की गयी है।

क्र	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1	एन.पी.आर. सी. स्तरीय	59	2360	59	2360	59	2360	59	2360
2	वै0 शिक्षा केन्द्र	113	3390	113	3390	113	3390	113	3390
3	ब्रिज कोर्स	59	2360	59	2360	59	2360	59	2360

उक्त कोर्स इन बच्चों की आवश्यकताओं को देखते हुए इनको घरों के पास तथा इनकी सुविधा के अनुसार समय निर्धादित करके इन्हीं के ग्राम निवासी अनुदेशक!/आचार्य द्वारा संचालित किये जायेगें।

मजूदरीः–

कुछ बच्चें मजदूरी कार्य में लगे होने के कारण विद्यालय नही आ पाते। ऐसी समस्या 11 से 14 आयु वय के बीच अधिक पायी गयी है। इन बच्चों के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर ए0आई0ई0 खोले जा रहे है। जिनका समय इनके कार्य समय के बाद संध्या में रखे जाने का प्रस्ताव है। जिससे ये बच्चे शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे।

क्र	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1	ए0आई0ई0	21	630	21	630	21	630	21	630
2	आवासीय ब्रिज कार्स	3	180	3	180	3	180	3	180
3	विद्या केन्द्र	112	3360	112	3360	112	3360	112	3360

भाई बहनों की देखभाल :–

छोटे भाई–बहनों की देखभाल में लगे होने 2623 बच्चें विद्यालय नहीं जा पा रहे है ऐसे बच्चों को विद्यालय लाने हेतु इनकी छोटे भाई–बहनों की देखभाल के लिए विशेष रूप से ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की व्यवस्था की गयी है।

क्र	ब्रिज कोर्स	2003–04		2004–05		2005–06		2006–07	
		संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें	संख्या	बच्चें
1	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र	100	3000	100	3000	100	3000	100	3000
2	समर कैम्प	59	2360	59	2360	59	2360	59	2360

विद्यालय से दूर होना :–

जनपद में 54 बालक एवं 40 बालिकाएं कुल 94 बच्चे विद्यालय दूर होने के कारण विद्यालय नहीं आ पा रहे है इनके लिए असेवित क्षेत्रों में मानक के अनुरूप

विद्यालय खोले जा रहे है तथा अन्य स्थानों पर वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है।

विद्यालय	वर्ष	नवीन विद्यालयों की संख्या
प्राथमिक स्तर	2003–04	19
उच्च प्राथमिक स्तर	2003–04	64

अन्य कारण :–

उक्त के अतिरिक्त गरीबी, धार्मिक तथा रूढ़िवादिता के कारण भी कुछ बच्चे विद्यालय नहीं जा रहे है। इसके लिए स्कूल चलों अभियान चला कराकर, ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षित कर, विद्यालयों को आकर्षक बनाकर, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा मिड डे मील आदि का विवरण कराकर अभिभावकों को अपने बच्चे विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस प्रकार उक्त सभी गतिविधियों द्वारा हाउस होल्ड सर्वे से चिन्हांकित स्कूल न जाने वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की मुख्य धारा में जोड लिया जायेंगा।

स्कूल चलो अभियान :–

शिक्षा के सार्वनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से हाउस होल्ड सर्वे में चिन्हित स्कूल न जाने वाले बच्चों के शत् प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जुलाई 03 में "स्कूल चलो अभियान" शासन के निर्देशनुसार चलाया गया। जिससे जनपद के नामांकन की दर में वृद्धि हुई अभियान के सफल बनाने हेतु विभागीय व उच्च अधिकारियों/कर्मचारियों, स्वैच्छिक संगठनें के पदाधिकारियों, प्रतिनिधियों/ग्राम/विकास खण्ड, स्तरीय सदस्यों/ग्राम शिक्षा समितियों व पत्रकारों का पूर्ण सहयोग प्राप्त किया गया।

अभियान को सुल बनाने हेतु 27.06.03 को जनपद स्तर उक्त सभी प्रकार के लोगों की बैठक का आयोजन अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में किया गया। जिसमें सभी ब्लाक तहसील व जिला स्तर के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नोडल अधिकारियों के दायित्व रूप में सौंपा गया। अन्त में निर्णय लिया गया की 4 जुलाई 03, जिला स्तर, 5 जुलाई 03 को तहसील/ब्लाक स्तर पर प्रभात फेरी/रैली का आयोजन कर 15 जुलाई 03 तक सभी अध्यापक/अध्यापिकाअओं घर जा–जाकर सम्पर्क स्थापित कर चिन्हित बच्चों का दाखिला विद्यालयों में कराये। इस कार्य हेतु एन0जी0आ0, ग्राम शिक्षा समितियों, ग्राम सदस्यों/प्रतिनिधियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त क्रें और विभिन्न माध्यम से अधिक से अधिक प्रचार–प्रसार भी करे जिससे बच्चों का शत्–प्रतिशत नामांकन विद्यालय में कराया जा सके।

बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार जनपद तहसील, ब्लाक, एन0पी0आर0सी0, ग्राम स्तर पर सभी कार्यक्रम को सफलता पूर्वक सभी के सहयोग से चलाया गया जिसमें ग्राम शिक्षा समितियों की उक्त कार्यक्रम को सफल बनाने में अहम भूमिका रही जिससे सकारात्मक उपलब्ध की प्राप्ति हुई।

जनपद	6–11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या			6–11 वय वर्ग के स्कूल न जाने वाले बच्चें			स्कूल चलो अभियान से पूर्व का नामांकन			31.07.03 तक का नामांकन		
	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग	बालक	बालिकाएं	योग
मीरपुर	82438	68030	150468	10854	9413	20267	71584	58617	130201	80050	65688	145738

अध्याय -4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1-8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिक हेतु राज्यों में "सर्वशिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा पूर्वनिर्धारित योजना के रुप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15 दशांत् पंचवर्षीय योजना में अशंदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु जनपद स्तर पर मुख्य रुप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गांरटी केन्द्र वैकिल्पक स्कूल, बैंक टूस्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करना-
- गुणवत्ता परक प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्पर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्व भौमिक ठहराव।

उक्त अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिये विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गयें हैं, जिनका विवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गई विधा :-

जनगणना 2001 से प्रदेश की जनपद वार जनसंख्या के आंकड़े प्राप्त हो गये हैं जनगणना 1991 की जनसंख्या के आंकड़ों के आधार मानते हुये विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नई दिल्ली के माड्यूल में वर्णित कम्पाउण्ड रेट ग्रोथ मेथेड से ज्ञात की गई है। जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गई जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.7 प्रतिशत है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की

कुल जनसंख्या प्रेरित की गई है।

जनगणना 2001 की आयु वर्ग वार जनसंख्या के आकड़े अभी उपलब्ध नहीं है। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्ग वार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तक इससे आगे की प्रेषित जनसंख्या में 6–11 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 14.9 प्रतिशत तथा 11–14 वर्ष की बाल संख्या ज्ञात करने के लिए 6.2 प्रतिशत अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/नगरीय, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ठ आंकड़े उपलब्ध होने पर इन आंकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया गया है।

नामांकन में प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी0ई0आर0 को आधार मानते हुए नीपा, नई दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेन्ट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी0ई0आ0 प्रेक्षित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेक्षित किया गया। प्राथमिक स्तर पर 6–11 के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर 11714 के लिए वर्ष 2007 तक शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवरऐज तथा अन्डर ऐज बच्चे भी होंगे। अतः जी0ई0आर0 का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। वह उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी0ई0आर0 में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6–11 वर्ष एवं 11–14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेगें।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6–11 वर्ष की बाल संख्या नामांकन तथा 11–14 की बाल संख्या व नामांकन सारणी 4.1 एवं सारणी 4.2 है।

सारणी 4.1
प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद हमीरपुर

क्रमांक	वर्ष	6-11 वर्ष के कुल बच्चों की सं०	कुल नामांकित बच्चों की सं०	मान्यता/नॉट मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की सं०	परिषदीय नामांकित बच्चों की सं०	विद्यालय से बाहर जो बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं
1	2	3	4	5	6	7
1.	03-04	150468	147795	45250	102545	2673
2.	04-05	153182	153182	48742	104440	0
3.	05-06	156771	156771	50810	105961	0
4.	06-07	159950	159950	52648	107302	0

सारणी 4.2

उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य जनपद हमीरपुर

क्रमांक	वर्ष	11-14 वर्ष के कुल बच्चों की सं०	कुल नामांकित बच्चों की सं०	मान्यता/नॉट मान्यता प्राप्त नामांकित बच्चों की सं०	परिषदीय नामांकित बच्चों की सं०	विालय से बाहर जो बच्चे विालय नहीं जाते हैं
1	2	3	4	5	6	7
1.	03-04	70140	67909	35759	32150	2231
2.	04-05	71625	71625	36959	34666	0
3.	05-06	73072	73072	37674	35398	0
4.	06-07	74502	74502	38552	35950	0

ड्राप आउट दर (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक)

वर्ष	प्राथमिक स्तर पर	उच्च प्राथमिक स्तर पर
2001–2002	17.93	11.16
2002–2003	14	10
2003–2004	10	09

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में ड्राप आउट के सम्बन्ध में हुई प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर पर ड्राप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्राप आउट करने हेतु पृथक–पृथक 'को होर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

———

ब्लाकवार वर्ष 03-04 की 6-11 व्यय वर्ग की कुल संख्या एवं नामांकन

जनपद : हमीरपुर

ब्लाक का नाम	6-11 वय वर्ग की संख्या			परिषदीय वि० में नामांकन			मान्यता प्राप्त वि० में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुरारा	8768	7162	15930	6032	4889	10921	3940	2040	5980
सुमेरपुर	12581	11340	23921	10068	10181	20249	5330	3910	9240
मौदहा	13489	10859	24348	9938	9559	19497	3121	1059	4180
मुस्कुरा	10262	8470	18732	6021	6197	12218	4154	2042	6196
राठ	8758	7016	15774	5800	5664	11464	1236	1064	2300
गोहाण्ड	8931	7650	16581	5935	6266	12201	3181	1879	5060
सरीला	11844	8949	20793	6703	6695	13398	1982	1127	3009
नगर क्षेत्र	7805	6584	14389	1292	1305	2597	5930	3355	9285
योग	82438	68030	150468	51789	50756	102545	28874	16376	45250

ब्लाकवार वर्ष 03-04 की 11-14 व्यय वर्ग की कुल संख्या (उच्च प्राथमिक) एवं नामांकन

जनपद : हमीरपुर

ब्लाक का नाम	11-14 वय वर्ग की संख्या			परिषदीय वि० में नामांकन			मान्यता प्राप्त वि० में नामांकन		
	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
कुरारा	4129	3059	7188	2135	839	2974	2590	993	3583
सुमेरपुर	7503	6771	14274	2511	4604	7115	3210	2483	5693
मौदहा	6496	4978	11474	4204	2814	7018	3112	1762	4874
मुस्कुरा	4983	3755	8738	2521	1305	3826	2875	1706	4581
राठ	3485	2411	5896	1050	863	1913	2780	1196	3976
गोहाण्ड	3801	2713	6514	1123	994	2117	2370	1827	4197
सरीला	4857	3541	8398	2241	1864	4105	2615	1572	4187
नगर क्षेत्र	4314	3344	7658	2050	1032	3082	3570	1098	4668
योग	39568	30572	70140	17853	14315	32150	23122	12637	35759

अध्याय- 5

समस्याऐं एवं रणनीति

जनपद में विभिन्न स्तरों पर करायें गये फोकस ग्रुप डिस्कसन में प्राप्त विचारों के विशलेषणोंपरान्त उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष व्यवहारिक एवं सन्तुलित रणनीति बनायी गयी है। इसमें छात्र नामांकन के अनुसार अध्यापक/अध्यापिकाओं की तैनाती, नये भवनों का निर्माण, जीर्ण-शीर्ण भवनों की मरम्मत, हैण्डपम्प एवं शौचालयों का निर्माण, साज-सज्जा एवं विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण कर निम्नवत प्रयास किया गया।

समस्याऐं रणनीति

(अ) पहुंच

महिलाओं की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने हेतु महिला मंगल दल महिला समाख्या, बाल विकास परियोजना के कार्यकत्री/कार्यकर्त्ता, ए.एन.एम. कला जत्था, जनसम्पर्क ग्राम शिक्षा समितियों की सक्रिय सहभागिता एवं जागरुक नागरिकों का सहयोग लिया जायेगा।

शिक्षा की उपादेयता संदिग्ध है।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में व्यवहारिक शिक्षा के कार्यक्रमों को जोड़ा जायेगा जिससे विद्यार्थियों को स्वालम्बन एवं सीखने की प्रकृति का विकास हो सके। और आर्थिक पिछड़ापन दूर हो सके। विशषकर ग्रामीण आंचल की बालिकाओं के लिए सिलाई, कढ़ाई, फल संरक्षण, बुनाई स्थानिय क्राफ्ट एवं नगरीय क्षेत्र एवं इससे निकट के ग्रामीण क्षेत्रों में मेहदी, फाइन आर्ट, ब्यूटी पार्लर, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, चटाई निर्माण जूट कपड़े के बैग आदि सिखाने का प्राविधान किया जायेगा सिलाई शिक्षा के लिए मशीनों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

असेवित एवं मलिन बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय सुविधा का न होना।

1.5 किमी तथा 300 से अधिक आबादी वाले 25 ग्रामों/बस्तियों में 25 विद्यालयों की स्थापना की जायेगी। तथा 6 से 8 वर्ग तक 30 बच्चों में 1 किमी विद्यालय से दूरी के मानक पर 44 ई.जी.एस. केन्द्र खोले जायेगे। तथा प्राथमिक स्तर के लिए 25 ए.आई.ई. केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। नगर क्षेत्र में छात्र संख्या ज्यादा होने पर दो पाली में विद्यालय संचालित किये जावेंगे।

भौगोलिक कठिनाई जैसे नदी, नाल, जंगल आदि के कारण शिक्षा में अवरोध विद्यालयों में भौतिकसंसाधनों, बिजली, नामांकन के सापेक्ष उपस्थिति के आधार पर कक्षा कक्षों की अनुपलब्धता

उद्देश्य से मानक के अनुसार शिक्षा गारंटी योजना एवं वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा के केन्द्र खोले जायेंगे तथा कालान्तर में मुख्यधारा से जोड़ा जायेगा। छात्र संख्या के आधार पर विद्यालय में स्वच्छ पेयजल एवं शौचालयों चहारदीवारी की व्यवस्था नहीं है। वहां पर इनका निर्माण प्रस्तावित किया जायेगा। उच्च प्राथमिक विद्यालय/प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के बैठने के लिए का ठोपकरण की व्यवस्था उपलब्ध है।

(ब) ठहराव के लिए रणनीति :-

अध्यापकों की कमी को पूरा किया जाना। अतिरिक्त कक्षा-कक्षाओं का निर्माण एवं जर्जर भवनों का पुनिमार्ण किया जायेगा।

शिक्षा के प्रति अभिभावक बच्चों में जागरूकता का अभाव अभिभावक की सोच की शिक्षित होकर रोजगार से जुड़े

शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्तित्व का विकास है न कि एक मात्र रोजगार उपलब्ध कराना। जबकि अभिभावक की सोच है कि उसका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी करें। यथा स्थिति में रोजगार के सीमित अवसर है। इस सोच में सकरात्मक सोच पर बल दिया जायेगा तथा छात्रों को विद्यालय में ठहराव हेतु अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी तथा जिन विद्यालयो छात्रों की संख्या ज्यादा है एकल कक्ष का निर्माण कराया जायेगा तथा जर्जर भवन में पुनः निर्माण करा कर ठहराव को रोका जावेगा।

बच्चों के व्यक्तित्व रूचि में कमी

बच्चों को बोझिल न लगे इस हेतु रूचि पूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाये।

शिक्षक को व्यवहार एवं व्यक्तित्व में ह्रास

शिक्षक को छात्र के प्रति मृदु व्यवहार हो, मूल्यों एवं संवेदनओं में समन्वय हो। शिक्षा छवि छात्रों के मस्तिष्क में सकारात्मक गुणवत्ता परख एवं विशिष्ठ प्रभावोत्पाद के रूप में प्रतिबिम्ब हो इस हेतु शिक्षक को प्रेरित किया जायेगा।

विद्यालय मे छात्र संस्था के सापेक्ष अध्यापकों की कमी

ग्राम शिक्षा समिति का सहयोग प्राप्त कर व्यवसायी शिक्षण सुचारू की जायेगी 40:1 के अ नुपाम पर अध्यापकों एवं शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की जायेगी।

उच्च अध्यापक से अपने विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों के कार्यों का निष्पादन कराया जाना

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालयध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। जहां पर प्राथमिक विद्यालय के साथ-साथ-प्राथमिक उच्च विद्यालय संचालित हो सके वहां उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक ही प्रबन्ध तन्त्र का पूर्ण संचालन करें। कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम से भलीभाँति परिचित होंगे तथा अध्यापकों की कमी दूर होगी।

अपरिहार्य परिस्थितियां में ही राष्ट्रीय महत्व के कार्य अध्यापकों से कराये जायें। जिससे उनके शैक्षिणिक कार्य में व्यवधान उत्पन्न न हो तथा छात्र प्रत्येक दिन विद्यालय में आकर आपने कार्य को उपेक्षित महसूस न करें। अध्यापकों को पठन-पाठन के लिए पूर्ण उत्तर दायी बनाया जायेगा।

विद्यालय का वातातरण अनाकर्षण होना

बच्चों को समहों में बैठाकर शिक्षा कार्य कराने तथा समूह चर्चा हेतु विद्यालय अनुदान में 6XX6X की प्लास्टिक की चटाई आवश्यकतानुसार क्रय की जाय। सहायक शिक्षण सामग्री (टी.एल.एस.) बच्चों की सहायता से तैयार की जायेगी। जो पाठ के अनुरुप होगी इससे करके सीखने की क्षमता का विकास होगा तथा अध्यापकों का शिक्षण कार्य प्रभावी होगा।

गरीबी के कारण छात्रों के पाठ्य पुस्तक का न होना।

कक्षा 1 से 8 तक के समस्त छात्राओं तथा अनूसुचित जाति के छात्रों को पाठ निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित है।

(गुणवत्ता) :-

अध्यापकों का छात्रानुपात/मानक के अनुरूप न होना।

विद्यालयों में अध्यापकों की कमी अथवा अधिक छात्रों में कम अध्यापकों के कारण पठन-पाठन में गुणवत्ता का ह्रास बना रहता है। अतः 40:1 के मानक के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों की नियुक्ति प्रस्तावित है। तथा प्राथमिक स्तर पर कम से कम 02 अध्यापक प्रति विद्यालयों में विषयाध्यापकों की कमी के फलस्वरूप विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं संस्कृत, उर्दू शिक्षा में व्यवधान हो रहा है। बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान का अभाव है। गुणवत्ता में वृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार अतिरिक्त अध्यापकों की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अध्यापक, अभिभावकों एवं छात्रों में सामंजस्य न होना

अभिभावकों का निरन्तर अध्यापक के साथ सम्पर्क बना रहे इस हेतु त्रैमासिक अभिभावक सम्मेलन आयोजित कराया जायेगा। जिसमें अधिकतर महिलाओं/विशेषकर अपवंचित/उपेक्षित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित कराई जायेगी। इस सम्मेलन में कोटिपूरक शिक्षा पर बल दिया जायेगा तथा उनके विचारों/समस्याओं की जानकारी प्राप्त कर निदान की कार्यवाही की जावेगी। नियमित अध्यापक/अभिभावकों समिति की बैठकें भी होती रहेगी। उपरोक्त सभी प्रकार के कार्यक्रमों में ग्राम शिक्षा समिति का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा।

सतत् मूल्यांकन का अभाव

कोटिपूरक शिक्षा के लिए सतत् एवं प्रभावी मूल्यांकन अति महत्वपूर्ण है। मूल्यांकन मासिक त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के रुप में कराया जायेगा। मूल्यांकन क पश्चात कमजोर छात्रों के अभिभावकों से सम्पर्क स्थापित कर निदानात्मक शिक्षा की व्यवस्था छुट्टियों में कमी जायेगी।

सक्रिय समाज सहभागिता का अभाव।

अभिभावकों/ग्रामवासियों में यह सोच विकसित हो सके कि यह विद्यालय हमारा है, विद्यालय में अच्छी पढ़ाई से ही हमारे बच्चों का भविश्य उज्जवल होगा। और इसी से आने वाले समय में गांव की प्रगति हो सकेगी तथा जागरुक नागरिक बनेंगे इस कार्य में ग्राम पंचायतों स्कूलों का सतत् पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेगी। गरीब बच्चों के लिए गणवेश, स्लैट, कापी, पेन्सिल तथा प्रतिभावन बच्चों पुस्तक हेतु समुदाय को प्रेरित किया जायेगा।

विशेष आवश्यकता वाले अधिकारी अथवा विकलांग बच्चों के शिक्षण की व्यवस्था

विकलांग बच्चों का सर्वेक्षण कराकर सूचना ली जायेगी। मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से ए.डी.पी.आई. के द्वारा बच्चों के उपकरण उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव भेजना सुनिश्चित किया जायेगा विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के प्रति अध्यापक को संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जायेगा। प्रत्येक प्रकार के प्रशिक्षण में इस प्रकार के बच्चों के प्रति व्यवहार शिक्षण आदि के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी।

अध्याय - 6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार - नवीन विद्यालय

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन करने हेतु यह आवश्यक है कि ऐसी बस्तियाँ जहाँ के बच्चे अन्य निकटस्थ विद्यालयों में पहुँचने में कठिनाई महसूस करते हैं और अपनी शारीरिक अथवा भौगोलिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उन बस्तियों में शिक्षा की व्यवस्था करके नामांकन को बढ़ावा दिया जायेगा। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत विद्यालयों का निर्माण कराया जायेगा। उसके लिए सर्व प्रथम सम्पूर्ण जनपद की भौगोलिक स्थित को ध्यान में रखते हुए असेवित एवं अपहुँच वाली बस्तियों को चिन्हित किया जा चुका हैं क्योंकि यह जनपद पूर्व में भी डी0ई0पी0 से अच्छादित रहा है। अतः कतिपय अवशेष बस्तियां ही इस माइक्रोप्लानिंग के पश्चात असेवित के रूप में उभर कर आई है। चूंकि सर्व शिक्षा अभियान की मंशा 2003 तक समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शत प्रतिशत नामांकी की है अतः अवशेष चिन्हित निर्माण कार्य की इस अवधि के पूर्व की करा लिए जायेंगे। ताकि 2003 तक शत-प्रतिशत नामांकन के लक्ष्य को पूर्ण किया जा सके। असेवित बस्तियों में नवीन विद्यालयों की स्थापना के प्रस्ताव आगे सारणी में दर्शायी गये हैं।

निर्माण की प्रक्रिया

निर्माण की प्रक्रिया निम्नवत होगी :-

1. माइक्रोप्लानिंग के आधार पर चिन्हित असेवित बस्तियों में आवश्यकता के अनुसार नवीन प्राथमिक विद्यालयों एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों को प्रस्तावित किया जायेगा।
2. स्थल चिन्हांकित तथा भूमि की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति द्वारा कराई जायेगी।
3. स्थल चयन के पश्चात ग्राम शिक्षा निधि में प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायेगी।
4. विद्यालय निर्माण के लिए ग्राम प्रधान एवं प्रधानाध्यापक पूर्णरूप में जिम्मेदार होंगे। धन का हिसाब किताब प्रधानाध्यापक के पास रहेगा।
5. धनराशि ग्राम शिक्षा निधि पहुँच जाने पर निर्माण कार्य तीन माह के अन्दर पूर्ण कराया जायेगा। इस आशय का शपथ पत्र निर्माण कार्य आरम्भ करने से पूर्व ही प्राप्त कर लिया जायेगा।
6. निर्माण कार्य की अबाध गति से चलाने एवं निर्माण कार्य के तुरन्त वा नामांकन प्रारम्भ करने के लिए निर्माण कार्य के प्रस्ताव पास होने के साथ ही एक प्र०अ० को उस नवीन विद्यालय में पद स्थापित कर दिया जायेगा। एवं निर्माण कार्य पूरा होते ही एक शिक्षा मित्र की व्यवस्था कर दी जायेगी।

2. फर्नीचर/साज सज्जा :-

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 04 कुर्सी, 02 मेंज एवं एक अल्मारी, टाट-पट्टी, बाल्टी, लोटा एवं घण्टी की व्यवस्था की जायेगी जिसके लिए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी जिसके लिए प्राथमिकता निर्धारित की जायेगी विद्यालयों हेतु 10,000/- रु0 एवं उच्च प्राथमिक स्तर हेतु 50,000 रु0 धनराशि प्रस्तावित है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उच्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी। जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चहारदीवारी आदि भौतिक संसाधानों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरुप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकती है।

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने तथा विद्यालयों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। इस धनराशि से निम्न सामग्री क्रय की जायेगी - मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, ग्लास, टाट पट्टी, आलमारी, संदूक, श्याम पट, कूड़ादान, म्युज़िकल इक्वेपमेण्ट (ढोलक, मजीरा, हारमोनियम, रिंग,गेन्द, कूदने की रस्सी, टायर युक्त कूदने की रस्सी) कक्षा शिक्षण सामग्री (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, शब्द कोश, ज्ञान कोष, खिलौने, बौद्धिक खेल-वुड के ब्लाक आदि) उक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी किन्तु, ग्रामीण अंचलों में विज्ञान किट, गणित किट, सुलभता से उपलब्ध नहीं हो पाती है इसलिये इनकी व्यवस्था जपनदीय क्रय समिति के माध्यम से की जायेगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न सामग्री क्रय की जायेगी - मेज, कुर्सी, बाल्टी, लोटा, ग्लास, घण्टा, कूड़ादान, म्युजिकल इक्विपमेन्ट, क्रीड़ा सामग्री (फुटबाल, बालीबाल, स्कीपिंग से हवा भरने का पम्प) क्लास रूम टीचिंग मैटेरियल, गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, ग्लोब, ज्ञान कोष, टू-इन-वन, आदि तथा शिक्षक सहायक सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से की जायेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :-

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बस्ती की आवादी व दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। बस्ती में छात्र-छात्रओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए जनपद में नवीन

प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रति वर्ष कराया जायेगा। जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्यजोजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिए रुपये दो लाख का वित्तीय प्राविधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

नवीन भवन निर्माण में मितव्ययिता :-

सर्व शिक्षा अभियान में मानक के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने का प्राविधान है ऐसी दशा में यथा संभव नई भूमि न लेकर प्राथमिक विद्यालय परिसर में ही नवीन विद्यालय भवन स्थापित किया जायेगा जिससे, अतिरिक्त हैण्ड पम्प सौचालय, चाहरदीवारी, बागवानी, इत्यादि के अतिरिक्त व्यय से बचा जा सकेगा। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु मानक के अनुसार धनराशि का बजट में प्राविधान किया गया है।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकि पर्यवेक्षक :-

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चहारदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकि पर्यवेक्षण विकास खण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का अध्याय 10 परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु कम्प्युटर शिक्षा :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं में कम्पयूटर शिक्षा का समावेश एक शैक्षिक नवाचार के रुप में किया जाने का निर्णय लिया गया है । प्रारम्भिक शिक्षा में कम्पयूटर के उपयोग किए जाने से सार्थक परिणाम की सम्भावना है । कम्प्युटर शिक्षा से जहां एक ओर जहां लक्ष्यों को सीखने में मदद मिलेगी वही दूसरी ओर शिक्षकों को विषय सामग्री बच्चों के सम्मुख प्रस्तुतीकरण में सुविधा होगी । शिक्षकों तथा बच्चों दोनो को नवीनतम ज्ञान के अन्वेषण के अवसर मिल सकेंगे । कम्प्युटर शिक्षा को उपयोगी एवं रोचक बनाने के लिए परियोजना जनपदों में कुछ चयनित स्कूलों में कम्प्युटर कार्यक्रमो के अन्तर्गत प्रथमता प्रतिवर्ष 5 विद्यालयों का चयन किया जाएगा । इस हेतु प्रतिवर्ष एक मुश्त प्रति कम्प्युटर के हिसाब से 60,000/- रू. वयय किये जायेंगे ।

वर्षवार	2002-2003	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09
कम्प्यूटर हेतु उ.प्रा.वि. की संख्या	0	5	5	5	5	–	–

सारक्षी 6.1

प्राथमिक स्तर आधार – 2003–04

योजना	विद्यालयों की सं0	डी0पी0ई0पी0 के वर्षवार अन्तर्गत	योग
		1–2 2–3 3–4	——
डी0पी0ई0पी0 तृतीय से पूर्व	701	20 24 ——	——
एस0एस0ए0 के अन्तर्गत	——	—— —— 19	
योग	701	20 24 19	740 (764–24)

नोट– 24 प्राथमिक विद्यालय नव सृजित जनपद महोवा में चले जाने के कारण वर्ष 2003–04 की स्थिति के अनुसार 740 प्राथमिक विद्यालय है।

2003–04 में एस0एस0ए0 के अन्तर्गत 19 प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। निर्माण कार्य चल रहा है, तथा जनपद प्राथमिक विद्यालयों से संतृप्त हो गया है।

सारणी 6.2

प्रस्तावित नवीन निर्माण प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय

वर्ष वर्षवार	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय
2002–03	7	18
2003–04	12	46
2004–05	00	00
2005–06	00	00
2006–07	00	00
योग	19	64

अध्याय - 7

शिक्षा गारन्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा ई0जी0एस0/ए0आई0जी0 योजना

1. शिक्षा गारन्टी योजना (ई0जी0एस0) :-

इस योजना के अन्तर्गत डी0पी0ई0पी0 - (1) में 112 केन्द्र वर्तमान समय में संचालित किये जा चुके हैं। अगले वर्षों में भी इन्ही केन्द्रों को संचालित रखा जायेगा।

2. वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा (ए0आई0ई0) :-

यह कार्यक्रम 9-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए है। जो किन्ही केारणों से न तो स्कूल गये अथवा ड्राप आउट हो गये ऐसे सुविधा वंचित अभावग्रस्त बच्चों के लिए वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी। जिस बस्ती, मजरे में 30 बच्चे उपलब्ध होंगे वहां ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायेंगे। ए.आई.ई. केन्द्र दो प्रकार के होंगे :-

1. प्राथमिक स्तर
2. उच्च प्राथमिक स्तर

प्राथमिक स्तर के केन्द्र पर एक अनुदेश तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर दो अनुदेशक की व्यवस्था की जायेगी।प्रतिवर्ष तथा उच्च प्रा0 स्तर पर वर्ष 2002-03 में 25 केन्द्र खोले जायेंगे जिनका संचालन 2010 तक होता रहेगा।

3. माइक्रो प्लानिंग के आधार पर नियोजन :-

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

(ख) जिन बस्तियों में बालिकाओं की शिक्षा प्रतिशत कम हो।

(ग) जिन क्षेत्रो में ड्राप आउट के कारण विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या अधिक न हो।

(घ) बाल श्रमिक घुमन्तु, विकलांग बच्चों की संख्या अधिक हो।

4.वैकल्पिक शिक्षा :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2000-01 में 56 ई.जी.एस. तथा 11 ए.एस.तथा 2001-02 में 56 ई.जी.एस. एवं 102 ए.एस. केन्द्र प्राविधानित हैं। इस प्रकार जनपद में कुल 112 ई.जी.एस. और 113 ए.एस. केन्द्र स्वीकृत हैं। एस.एस.ए. के अन्तर्गत अतिरिक्त ई.जी.एस./ए.एस. केन्द्रों का प्रस्ताव नहीं किया गया है। डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत स्वीकृत केन्द्रों को ही एस.एस.ए. के अन्तर्गत संचालित रखा जायेगा।

सारणी–7.3

विद्यालय न जाने वले छात्र (वर्ष 2003–04)

क्र.	विकास	5–6 न पढ़ने वाले			7–10 वय वर्ग			11–14 वय वर्ग		
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	कुरारा	750	701	1451	360	476	836	445	515	960
2	सुमेरपुर	971	907	1878	613	797	1410	599	761	1360
3	भौदहा	1161	1051	2212	437	493	930	451	510	961
4	मुस्करा	440	410	850	329	435	764	441	522	963
5	राठ	1198	909	2107	206	248	554	169	180	349
6	गोहाण्ड	806	692	1498	197	194	391	190	181	371
7	सरीला	1575	969	2244	756	585	1341	367	388	755
8	नगर क्षेत्र	825	621	1446	230	225	455	169	138	307
	योग	7726	5960	13686	3128	3453	6581	2831	3195	6026

सारणी– 7.4

शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा प्रथम चरण हेतु प्रस्तावित केन्द्र

क्र.स0	ब्लाक का नाम	अवेसित बस्तियों	प्रस्तावित केन्द्र ए0आई0	
			प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1	कुरारा	0	02	04
2	सुमेरपुर	0	04	10
3	भौदहा	0	05	12
4	मुस्करा	0	04	07
5	राठ	0	01	04
6	गोहाण्ड	0	01	06
7	सरीला	0	08	15
	योग	0	25	58

7.1

क्र. सं.	ब्लाक का नाम	ए.आई.एस.	
		बच्चों की संख्या	केन्द्र का नाम
1.	कुरारा	805	02
2.	सुमेरपुर	2694	04
3.	मौदहा	2041	05
4.	गुस्करा	1103	04
5.	राठ	535	01
6.	गोहाण्ड	497	01
7.	सरीला	1209	08
	योग		25

सारणी नं0 7.1 में 9-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के लिए 25 ए0आई0ई0 केन्द्र प्रस्तावित किये गये हैं।

ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों को चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रस्ताव

वर्ष	ए.आई.ई.
2002-03	25
	--
	--
कुल योग	25

5. शिक्षा गारण्टी केन्द्रों का संचालन :-

ई0जी0एस0 केन्द्रों का संचालन का समय प्रातः 10 बजे से 4 बजे तक होगा। ए0ई0आई0 केन्द्रों को संचालन का समय प्रतिदिन चार घण्टे का होगा। यह सभी केन्द्र दिन में ही संचालित किये जायेंगे।

6. अनुदेशकों का चयन :-

अनुदेशकों का चयन ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। अनुदेशक उसी स्थान तथा समुदाय का होगा जहाँ पर

ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्र स्थापित होना है। अनुदेशक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल होगी। तथा उम्र 18 वर्ष अनिवार्य है। महिलाओं को वरीयता दी जायेगी। चयन का आधार हाईस्कूल के प्राप्तांको का प्रतिशत होगा। अनुदेशकों को आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्गत किया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोष जनक न होने पर आमंत्रण पत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। उसके स्थान पर समिति दूसरे व्यक्ति को आमंत्रण पत्र निर्गत करेगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

नगर क्षेत्र के ई0जी0एस0 एवं ए.आई.ई. केन्द्रों पर अनुदेशकों का चयन शिक्षाधीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप बेसिक शिक्षाधिकारी, सभासद, वरिष्ठ प्रधानाध्यापक की समिति द्वारा किया जायेगा। ई0जी0एस0 एवं ए.आई.ई. केन्द्र मकतव एवं मदरसों, में भी खोले जायेंगे। इन मकतव एवं मदरसो के अनुदेशक मौलवी एवं मुस्लिम समुदाय के ही सदस्य होंगे। उच्च प्राथमिक केन्द्र हेतु अनुदेशक के न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट होगी तथा आयु 21 वर्ष होगी। तथा महिला अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी।

7. अनुदेशकों का प्रशिक्षण :--

अनुदेशकों का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान डायट में सम्पन्न होगा। यह प्रशिक्षण 30 दिन का होगा। एवं आवासीय होगा। अनुदेशकों के प्रशिक्षण डायट के प्रवक्ता एवं ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 द्वारा किया जाएगा। प्रशिक्षण में अनुदेशकों को मानदेय के रूप में कोई भी धनराशि नहीं दी जायेगी।

8. अनुदेशकों का मानदेय वितरण :--

अनुदेशकों का मानदेय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रिम रूप से 1000/- रू0 प्रति अनुदेशक की दर से 6 माह का मानदेय ग्राम शिक्षा समितियों के संयुक्त खाते में भेज दिया जायेगा। जिसे अनुदेश के पूरे माह केन्द्र पर कार्य करने के पश्चात ग्राम प्रधान एवं सचिव चेक के माध्यम से माह के प्रथम सप्ताह में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दिया जायेगा।

नगर क्षेत्र के अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान शिक्षाधीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। अनुदेशक का कार्य संतोषजनक होने पर ही शिक्षाधीक्षक भुगतान की कार्यवाही करेंगे। यह धनराशि वरिष्ठ प्रधानाध्यापक एवं सभासद के संयुक्त खाते में स्थानान्तरित कर दी जायेगी, अनुदेशकों का मानदेय चेक द्वारा भुगतान किया जायेगा।

पर्यवेक्षण :--

ई0जी0एस0 एवं ए.आई.ई केन्द्रों का पर्यवेक्षण ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0, बी0आर0सी0 प्रभारी एन0पी0आर0सी0 तथा ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों द्वारा किया जायेगा।

नगर क्षेत्र में शिक्षाधीक्षक, सहायक शिक्षाधीक्षक, सभासद द्वारा किया जायेगा। अनुदेशकों की मासिक बैठकें ए0बी0एस0ए0, एस0डी03आई0 द्वारा की जायेगी।

नगर क्षेत्र की मासिक बैठकें शिक्षाधीक्षक द्वारा सम्पन्न की जायेंगी।

अनुदेशकों के मासिक बैठकों में जनपदस्तरीय अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षधिकारी, उप बेसिक शिक्षाधिकारी अनुश्रवण हेतु पहुंचेंगे। इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक करते रहेंगे। ग्राम शिक्षा समिति की शिकायत स्वरूप इन केन्द्रों के संचालन पर नजर रखेंगी और समय-समय पर अनुश्रवण हेतु जायेंगे। पर्यवेक्षण का कार्य सभी अधिकारियों द्वारा एक रोस्टर प्रणाली द्वारा किया जायेगा। जिससे सभी केन्दों का पर्यवेक्षण नियमित होता रहे।

9. निःशुल्क शिक्षण सामग्री :--

ई0जी0एस0/ए.आई.ई. केन्द्रों की साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री हेतु धनराशि जिला बेसिक शिक्षाधिकारी द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के खातों में भेज दी जायेगी। यह समितियों अपनी आवश्यकतानुसार उपरोक्त सामग्री नियमानुसार बाजार मूल्य पर क्रय करके सीधे अनुदेशको को उपलब्ध करायेंगे। केन्द्र पर पढ़ने वाले बच्चें की पाठ्य पुस्तकें भी ग्राम शिक्षा समिति क्रय करके अनुदेशकों के माध्यम से बच्चों को उपलब्ध करायेगी। यह पाठ्य पुस्तकें वही होगी जो प्राथमिक विद्यालयों में पूर्व से ही चल रही है। अर्थात् अलग से काई इनकी पाठ्य पुस्तकें नहीं होगी।

10. छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन :--

शिक्षा गारण्टी योजन एवं वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों का यूनिट मूल्यांकन प्रतिमाह अनुदेशकों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा बच्चों का त्रिमाही, छमाही तथा वार्षिक मूल्यांकन मौखिक तथा लिखित परीक्षा के आधार पर किया जायेगा। अनुदेशकों द्वारा यह प्रयास किया जायेगा कि ई0जी0एस0 और ए0आई0ई0 केन्द्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा में उपर्युक्त कक्षा में जिसके लिए वह योग्य है। किसी भी समय प्रवेश कराया जायेगा। अनुदेशकों का यह मुख्य दायित्व होगा कि अधिक से अधिक बच्चों को कम से कम समय में शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित करायें।

अनुदेशक के शिक्षण कार्य का मूल्यांकन ए0बी0एस0ए0/एस0डी03आई0/बी0आर0सी0/प्रभारी संकुल प्रभारी ग्राम शिक्षा समितियाँ तथा जिला स्तरीय अधिकारी प्रतिमाह करेंगे। मूल्यांकन आख्याएं सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के पास सुरक्षित रखी जायेगी। और उच्चाधिकारियों के निरीक्षण के दौरान वह आख्यायें अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

जो बच्चे कक्षा 5 के स्तर का पाठ्यक्रम पूर्ण कर लेंगे उनकी वार्षिक परीक्षा औपचारिक विद्यालय के कक्षा 5 के बच्चों साथ अनुदेशक एवं सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा नियमानुसार करायी जायेगी तथा उत्तीर्ण छात्रों को कक्षा 6 में प्रवेश लाया जायेगा।

11. प्रबन्धन लागत :--

ई0जी0एस0/ए0आई0एस0 केन्द्रों की अधिकतम लागत में 5 प्रतिशत धनराशि राज्य एवं जिला/विकास खण्ड स्तर पर ासनिक प्रबन्धन पर होने वाला व्यय भी समिम्मलित हैं। विकास खण्ड स्तर पर प्रबन्धन की अधिकतम लागत ्नवत् रखी जायेगी --

80-100 केन्द्रों के मध्य	2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष
50-80 केन्द्रों के मध्य	2.00 लाख रुपये प्रति वर्ष
25-50 केन्द्रों के मध्य	1.5 लाख रुपये प्रति वर्ष
25 केन्द्रों से कम	100/- रुपये प्रति छात्र/छात्रा प्रतिवर्ष

12. ब्रिज कोर्स/ग्रीष्म कालीन शिविर :--

ब्रिज कोर्स ऐसे स्थानों पर खोले जायेंगे जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी में सामूहिक रूप से सैकड़ों की संख्या में लोग रहते हैं र इनके बच्चों के लिए कोई प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था न हो। 9-14 वय वर्ग के बच्चों के लिए ही ब्रिज कोर्स खोले येंगे। ब्रिज कोर्सहेतु यह ध्यान रखा जायेगा कि जहाँ ब्रिज कोर्स खोला जायेगा वहां सरकारी भवन पुसि चौकी/थाना, न के पानी की व्यवस्था बच्चों के लिए अन्य आवश्यकताएं जैसे खेल का मैदान आदि उपलब्ध हो। इन शिविरों का मुख्य द्दश्यों आपैचारिक विद्यालयों से वंचित रहें बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा। ब्रिज कोर्स न से कम 30 बच्चों की उपलब्धता पर संचालित किया जायेगा। इन शिविरों में बच्चों के रहने खाने एवं उनकी सुरक्षा बन्धी व्यवस्था आदि निःशुल्क होगा। यह शिविर चार माह से 18 माह तक संचालित किये जायेंगे। उसके लिए 1.5 ार रुपया प्रति छात्र अनुमन्य होगा और इसी मानक से सम्पूर्ण व्यवस्था का संचालन किया जायेगा।

13. जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन :--

जिला स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन किया जायेगा जो कालान्तर में सर्व शिक्षा भयान को संचालित करने वाली समिति कही जायेगी। जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति का गठन जिला धकारी की अध्यक्षता में किया जायेगा जिसमें निम्न सदस्य होंगे :--

1. जिलाधिकारी अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष
3. जिला बेसिक शिक्षा आफीसर सदस्य
4. डिस्ट्रिक्ट लेवर आफीसर सदस्य
5. प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान सदस्य
6. डिस्ट्रिक्ट लेवर आफीसर सदस्य
7. जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य
8. वित्त एवं लेखाधिकारी (बे0शि0 परिषद) सदस्य
9. स्वैच्छिक संगठनों के दो प्रतिनिधि सदसय

जिलाधिकारी द्वारा नामित

14. ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका :--

प्रस्तावित शिक्षा गारण्टी/वैकल्पिक शिक्षा योजना के लिए ग्राम शिक्षा समिति में निम्नलिखित कर्तव्य एवं दायित्व प्रस्तावित है :--

6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों की माइक्रोप्लानिंग के आधार पर सर्वेक्षण कर उन्हें चिन्हित करना।

: कार्यक्रमों के संचालन हेतु वातावरण सृजित करना।

: अनुदेशकों का चयन करना।

: केन्द्रों का समय निर्धारित करना।

: केन्द्रों की साज-सज्जा हेतु शिक्षण हेतु शिक्षण सामग्री की बाजार मूल्यों पर नियमानुसार क्रय कर केन्द्रों का संचालन हेतु अनुदेशकों को उपलब्ध कराना।

: अनुदेशकों को प्रशिक्षणोपरान्त ही केन्द्र को दायित्व सौंपना

: अनुदेशकों की उपस्थिति बच्चों की उपस्थिति एवं केन्द्र का प्रबन्धन एवं निरीक्षण करना।

: केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चों को औपचारिक विद्यालयों प्रवेश कराने के लिए लगातार प्रोत्साहित करना।

: नियमित रूप से अनुदेशक के मानदेय का भुगतान करना।

विकास खण्ड स्तरीय समिति की भूमिका :--

कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विकास खण्ड पर समिति की निम्न भूमिका प्रस्तावित है।

: ग्राम शिक्षा समिति से प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करना।

: ग्रामीण क्षेत्रों की माइक्रोप्लानिंग करना, समीक्षा करना तथा प्रस्तावों को तैयार करना।

: क्लस्टर रिसोर्स पर्सन/न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र समन्वयक की सहायक से केन्द्रों/शिवरों का भ्रमण एवं पर्याप्त पर्यवेक्षण:अनुश्रवण की व्यवस्था करना।

: जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर उपलब्ध सन्दर्भदाताओं की सहायता से प्रशिक्षण केन्द्र आयोजित करना।

जिला प्राथमिक शिक्षा सलाहकार समिति के प्रमुख कर्तव्य एवं दायित्व :--

जनपद में सफल ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ई0 हेतु जिला शिक्षा सलाहकार समिति को निम्नांकित दायित्व प्रस्तावित है।

: शिक्षा गारण्टी/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र एवं नवाचार शिक्षा हेतु सम्पूर्ण जनपद में माइक्रोप्लानिंग कर आवश्यकतानुसार अपवंचित वर्ग के बच्चों को शिक्षित करने हेतु विभिन्न योजनाओं के प्रस्तावों को ग्राम स्तर/विकास खण्ड स्तर से तैयार कराकर जिला स्तर पर प्रतिमाह समीक्षा करना।

: केन्द्र/ब्रिज कोर्स/ग्रीष्मकालीन क्षेत्र विशिष्ट सेमिनार/शिविर के प्रस्ताव को स्टेट सासाइटी को प्रस्तुत करना।

: कार्यक्रमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना।

: अन्य विभागीय अधिकारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कार्यक्रमों का संचालन कराना।

: स्टेट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराई गई मदवार धनराशियों को विकासखण्ड स्तरीय समितियों के माध्यम से ग्राम शिक्षा समिति अथव स्वैच्छिक संगठनों के कार्यक्रमों से संचालनार्थ अग्रिम रूप में उपलब्ध कराना।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :--

जनपद हमीरपुर में न पढ़ने वाले विकलांग बच्चो की संख्या 892 है। इन बच्चों का विकास खण्डवार चिन्हांकन कर प्राथमिकता के आधार पर ई0जी0एस0 एवं ए0आई0ए0 केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

विकलांग बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र पर अधिकतम् 14 वर्ष के स्थान पर 18 वर्ष की आयु तक रखने का प्राविधान है इसमें न्यूनतम छात्र संख्या 15 से कम न किये जाने का प्रस्ताव है। जिस ग्राम/बस्ती/मजरे/टोले/मुहल्ले में

विकलांग बच्चे है। उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर छात्र संख्या एवं उम्र में पूरी छूट दिया जाना प्रस्तावित है। कोई भी विकलांग शिक्षा से वंचित न रह जाये इस बात का पूर्ण प्रयास किया जायेगा। चलने में यदि असमर्थ है तो य तो उसके घर पर केन्द्र खोला जायेगा। अथवा साइकिल अथवा बैसाखी उपकरणों की आवश्कता के अनुसार उपलब्ध करना प्रस्तावित है।

बालिकाओं के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :--

जिन ग्रामों/बस्तियों/मजरों/टोलों/मुहल्लों में बालिका साक्षरता दर न्यूनतम है। ऐसे ग्रामों में बालिका वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खेले जायेंगे तथा महिला अनुदेशिका की व्यवस्था की जायेगी। उसमें सामुदायिक सहभागिता, कलाजत्था, महिला युवक मंगलदल, मां-बेटी मेला, किशोर संघ आदि के सहयोग से चेतन जाग्रति एवं बालिका शिक्षा में रूचि को बढ़ाने का प्रयास किया जायेगा। महिला साक्षरता दर में न्यूनता के आधार पर ब्लाक सीला एवं ब्लाक राठ में बालिका शिक्षा केन्द्र प्राथमिकता के आधार पर खोले जाने प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यकों के लिए वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र :--

जनपद का अधिकांश 6 से 14 वर्ष का निरक्षर बच्चा अल्पसंख्यक समुदाय से सम्बन्धित है जो केवल मकतब में धार्मिक शिक्षा ग्रहण करता है। इस कार्यक्रम में मकतबों, मदरसों में वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव फोकसग्रुप डिस्कसन के अन्दर आया तथा जिला स्तरीय फोकस ग्रुप डिस्क्सन की बैठक में निर्णय लिया गया कि इन मकतबॉ/मदरसों में उसी धर्म का व्यक्ति यदि हाईस्कूल उत्तीर्ण है तो उसे अनुदेशक के रूप में चिन्हित किया जाये और वहाँ पर निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराकर उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ा जाये। इनका चयन मकतब कमेटी/ग्राम शिक्षा समिति के अनुमोदन से किया जायेगा।

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण :-

माइक्रो पलानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 एवं 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर "आउट आफ स्कूल" बच्चों को चिन्हित किया जाता हैं। 'अण्डर ऐज' एंव 'ओवर ऐज' बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुवार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संसोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ां अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रुपये 50,000/- मात्र की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के 6391 आउट आफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये है। आगामी

वर्षों मे आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय पर इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा भें ड्राप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु :--

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिए जो औपचारिक विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं करणों से असमर्थ रहे हैं उनके लिए नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्कताओं तथा कालान्तर मे औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय इन्नोवेटिव माडॅल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव माडॅल्स विसित करने के उद्देश्य से जनपद में रु0 50000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्ष में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदो, अनुभवी स्वयं सेवी संगथनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता :--

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयंसेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्टआप अप्रेजन तथा व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजन एवं चिन्हींकरण किया जयेगा। उपर्युक्त पाये गये स्वयंसेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को ज्ञान संख्या रा0प0नि0/466/2001-2002 दिनांक 15 जून द्वारा 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके है। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0सी0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकारी प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001-2002 दिनांक 7जून,

2001 द्वारा जिला **प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 111** के **अधीन गठित की** जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गयी है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकारी प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0एस0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त है। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजूकेशन गारण्टी स्कीम वैकल्पिक शिक्षा एवं न्वाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0 एजुकेशन स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इस स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थानों के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गयी है।

विद्यालय वापस चलो कैम्प :–

जनपद में ऐसे बच्चों के लिये, जो विभिन्न कारणों से ड्राप आउट हो जाते है तथा उनमें शिक्षा के प्रति रूचि नहीं रह जाती, विद्यालय वावस चलो कैम्पों का आयोजन किया जायेगा। यह कैम्प 10 दिवसीय होगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालय वापस चलो कैम्पों का प्रस्ताव निम्न है :–

वर्ष	2002–03	2003–04	2004–05	2005–06	2006–07
कैम्पों की संख्या	7	25	25	25	25

अध्याय - 8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता :-

विद्यालयों में पहुचाने पर बच्चों की शिक्षा को गुणवत्ता पूर्ण बनाने के उद्देश्य से प्राथमिक विद्यालय में कम से कम प्रधान अध्यापक तथा एक सहायक अध्यापक की व्यवस्था की जायेगी। अधिक छात्र संख्या वाले विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य कम विगत वर्ष 2000-2001 से संचालित की गई है संचालन के समय जनपद में शालत्याग की दर 40.5 प्रतिशत थी जो कि वर्तमान समय में घटकर 24.86 प्रतिशत रह गयी है जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत ठहराव में वृद्धि तथा ड्राप आउट कम करने के लिये डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रयास किये गये।

1. 77 असेचित बस्तियों में जहाँ की जन संख्या 300 पर अधिक है, एवं नजदीकी विद्यालय की दूरी 1.5 कि0मी0 से अधिक है ये नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की जावेगी।
2. प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या की अधिक संख्या को देखते हुये 300 अतिरिक्त कक्षा कक्ष प्रदान किये गये।
3. 400 शौचालय विहीन विद्यालय में से 300 विद्यालयों में शौचालय का निर्माण किया गया।
4. जर्जर/ध्वस्त विद्यालयों का पुनः निर्माण किया गया।
5. सभी शिक्षकों को साधन माड्यूल के माध्यम से विषय वस्तु आधारित दिवसीय प्रशिक्षण पदान किया गया।
6. ठहराव में वृद्धि के लिये समुदाय के सहयोग की प्राप्ति हेतु ग्राम शिक्षा समिति के साथ गाँव के पृबुद्ध वासियों का भी प्रशिक्षण किया गया।

7. बालिकाओं के ड्राप आउट रोकने के लिये माड्ल क्लस्टारों का चयन किया गया एवं बालिकाओं के प्रति लिंग भेद को समाप्त करने के लिये लिंग संवेदीकरण के कार्यक्रम किये गये मीना फिल्म, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण बाल मेला माता शिक्षक संघ (एम0टी0ए0) अभिभावक शिक्षक संघ (पी0टी0ए0) महिला प्रेरक समूह (डब्ल्यू0एम0जी0) का गठन किया। ग्रीष्म कालीन कैम्प किया। गाँव-गाँव में प्रभात फेरी रैली आदि के माध्यम से बालिकाओं के प्रति भेदभाव पूर्ण व्यवहार को रोकने के सफल प्रयास किये गये।

प्राथमिक विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता

सारणी 8.1

वर्ष	परि0कुल नामांकित बच्चे	40:1 दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	नवीन विद्या0 में कक्ष कक्ष	डी0पी0पी0 द्वारा निर्मित कक्षा कक्ष	योग (4+5+6)	आवाश्यक कक्षा कक्ष
1	2	3	4	5	6	7	8
2003—04	102545	2564	1601	57	300	1958	606
2004—05	104440	2611	1958	606	——	2564	47
2005—06	105961	2649	2564	47	——	2611	38
2006—07	107302	2682	2611	38	——	2649	33
					योग	724	

सन 2001 की जनगणना के आधार पर गांववार विस्तृत आंकड़े प्राप्त नहीं हुए है। आंकड़े प्राप्त होने पर आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों (यथा वार्ड, टाउन एरिया, नगर पालिका एवं नगर महापालिकाओं) में एवं जनसंख्या वृद्धि के कारण आगामी वर्षो में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का प्राविधान वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में किया जायेगा।

उच्च प्राथमिक के लिए अतिरिक्त कक्षा कक्ष

सारणी 8.1ए

वर्ष	परि0 उच्च प्रा0 विद्यालय	1:5 की दर से कक्षा कक्ष	वर्तमान कक्षा कक्ष	आवाश्यक कक्षा कक्ष
2003–04	239	1195	770	425
2004–05	239	1195	1195	–––
2005–06	239	1195	1195	–––
2006–07	239	1195	1195	–––

अतिरिक्त कक्षा कक्ष (प्राथमिक के लिए)

वर्ष 2003–04 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में छात्र नामांकन 102545 होने के कारण 40:1 के अनुपात से कुल आवाश्यक कक्षा कक्ष 2564 है। सम्बन्धित वर्ष में कक्षा कक्षों की उपलब्धता 1958 है। अतः वर्ष 2003–04 में 606 अतिरक्त कक्षा कक्षों की और आवाश्यकता है। आगामी वर्षो में छात्र नामांकन में वृद्धि के कारण 2004–05, 2005–06, 2006–07 में क्रमशः 47, 38, 33 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की और आवाश्यकता पडेगी एस0एस0ए0 के अन्तर्गत कुल 724 अतिरक्ति कक्षा कक्षों का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष (उच्च प्राथमिक के लिए)

वर्ष 2003–04 में परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 239 हैं। 1:5 के अनुपात से कुल 1195 कक्षा कक्षों की आवाश्यकता है। 2003–04 में कुल 770 कक्षा कक्ष उपलब्ध है। अतः सम्बधित वर्ष में 425 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की और आवाश्यकता है। आगामी वर्षो में इसके अतिरिक्त और अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवाश्यकता नहीं पड़ेगी।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र (प्राथमिक स्तर)

प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की स्थिति एवं आगामी वर्षो में आवाश्यकता

सारणी 8.2

वर्ष	परि० प्रा०विद्या०में नामांकन	वर्तमान शिक्षक	वर्तमान शिक्षा मित्र	योग (3+4)	40:1 दर से शिक्षक	आवाश्यक शिक्षक	नियमित शिक्षक	शिक्षा मित्र
2003–04	102545	1768	259	2027	2564	536	268	
2004–05	104440	2036	527	2563	2611	46	24	292
2005–06	105961	2060	551	2611	2649	38	19	19
2006–07	107302	2079	570	2649	2683	34	17	17
					योग	657	328	328

उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की स्थिति एवं आवाश्यकता

सारणी 8.2ए

वर्ष	कुल विद्यालय	नवीन विद्यालय	1:5 की दर से शिक्षक	वर्तमान शिक्षक	आवाश्यक शिक्षक
2003–04	193	46	1195	770	425
2004–05	239	——	1195	1195	00
2005–06	239	——	1195	1195	00
2006–07	239	——	1195	1195	00

वर्ष 2003–04 में परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में कुल 1768 शिक्षक व 259 शिक्षा मित्र कार्यरत है। इनका योग 2027 है। वर्ष में छात्र नामांकन 102545 है। 40:1 अनुपात से कुल 2564 शिक्षकों की आवाश्यकता है। अत: 536 शिक्षा मित्र (2564–2027=536) और चाहिए। इनमें से 268 नियमित शिक्षकों द्वारा व 268 शिक्षा मित्रों के द्वारा भरे जायेंगे इसी प्रकार आगामी वर्षो 2004–05, 2005–06, 2006–07

के लिए शिक्षक और शिक्षा मित्र क्रमशः 24 – 25, 19 – 19, 17 – 17 चाहिए। 2006–07 तक कुल 328 नियमित शिक्षक 238 शिक्षा मित्र नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव है।

अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र (उच्च प्राथमिक विद्यालय) वर्ष 2003–04 में कुल 239 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। 1:5 की दर से कुल 1195 शिक्षकों की आवाश्यकता है। कार्यरत शिक्षकों की संख्या 770 है। अतः 425 और शिक्षक रखना पडेगा। इसके पश्चात आगामी वर्षो के लिए शिक्षकों की आवाश्यकता नहीं पडेगी।

प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाए

सारणी 8.4

पेय जल सुविधाः–

वर्ष	हैण्डपम्प प्राथमिक स्तर (प्राथमिक विद्यालय संख्या 740)			हैण्ड पम्प उच्च प्राथमिक स्तर (उच्च प्राथ0 विद्यालय संख्या 239)		
	आवाश्यकता	उपलब्धता	प्रस्ताव	आवाश्यकता	उपलब्धता	प्रस्ताव
2003–04	740	655	——	239	194	——
2004–05	740	670.	70	239	224	30
2005–06	740	723	17	239	224	15
2006–07	740	740	00	239	239	00

वर्ष 2003–04 तक कुल प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 740 हैं। 655 प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल सुविधा है। शेष 87 प्राथमिक विद्यालय पेय जल सुविधा से वंचित है। वर्ष 2004–05 व 2005–06 में क्रमशः 70 व 17 प्राथमिक विद्यालयों में हैण्ड पम्प लगाने का प्रस्ताव है।

वर्ष 2003–04 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 239 है। जिनमें 194 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पेय जल सुविधा है शेष 45 उच्च प्राथमिक विद्यालय इस

सुविधा से वंचित है। वर्ष 2004–05 व 2005–06 तके क्रमशः 30 व 15 उच्च प्राथमिक विद्यालयों मे हैण्ड पम्प लगवाने का प्रस्ताव एस0एस0ए0 के अन्तर्गत किया गया है।

स्व चालित प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालयी सुविधा।

सारणी 8.5

वर्ष	प्राथमिक स्तर शौचालय (प्राथमिक विद्यालय संख्या 740)			उच्च प्राथमिक स्तर शैचालय (उच्च प्राथ0 विद्यालय संख्या 239)		
	आवाश्यकता	उपलब्धता	प्रस्ताव	आवाश्यकता	उपलब्धता	प्रस्ताव
2003–04	740	740	––	239	130	07
2004–05	740	740	00	239	137	52
2005–06	740	740	00	239	189	50
2006–07	740	740	00	239	239	00

वर्ष 2003–04 तक प्राथमिक विद्यालयों की संख्या कुला 740 है। समस्त प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध है। अतः नये शौचालयों का प्रस्ताव नही किया गया है।

वर्ष 2003–04 तक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 239 है। समबन्धित वर्ष तक 130 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शौचालय उपलब्ध है। शेष 109 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2003–04, 2004–05, 2005–06 वर्षो में क्रमशः 7, 52, 50 शौचालयों के निर्माण का कार्य एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

विद्यालय अनुदान

विद्यालय विकास अनुदान (2000 की दर से)

सारणी 8.6

वर्ष	परिषदीय प्रा0 विद्यालय	परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय	राजकीय/सहायता प्राप्त इण्टर एवं हाईस्कूल	योग (3+4)
1	2	3	4	5
2003–04	721	175	--	175
2004–05	740	239	44	273
2005–06	740	239	44	273
2006–07	740	239	44	273

विद्यालय विकास अनुदान (रख रखाव) (5000 की दर से)

सारणी 8.7

वर्ष	परिषदीय प्राथ0 विद्यालय	परिषदीय उच्च प्रा0 विद्यालय
2003–04	721	175
2004–05	740	239
2005–06	740	239
2006–07	740	239

विद्यालय विकास अनुदान (2000 की दर से)

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत वर्ष 2003–04 से प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 2000 की दर से विद्यालय विकास अनुदान दिया जायेगा। वर्ष 2004–05 से यह सुविधा राजकीय/सहायता प्राप्त इण्टर हाईस्कूल को ही देय है। सारणी 8.6 में इस सुविधा का वर्ष वार विवरण अंकित है।

विद्यालय रख रखाव अनुदान (5000 की दर से)

एस0एस0ए0 के अन्तर्गत प्रत्येक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए रख रखाव हेतु 5000 की दर से अनुदान दिये जाने का प्रस्ताव है। वर्षवार इस सुविधा से लाभान्वित विद्यालयों का विवरण सारणी 8.7 में अंकित है।

शिक्षकों के लिए टी0एल0एम0 अनुदान

सारणी 8.8

वर्ष	प्राथमिक अध्यापक	उच्च प्राथमिक अध्यापक	सहायता प्राप्त विद्यालयों (44) के अध्यापक प्रति विद्या0 3 की दर से	योग (3+4)
1	2	3	4	5
2004–05	2611	1195	132	1327
2005–06	2649	1195	132	1327
2005–07	2683	1195	132	1327

वर्ष 2004–05 से एस0एस0ए0 के अन्तर्गत परिषदीय ,प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक, परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक और राजकीय/सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रत्येक विद्यालय से 3 अध्यापको के लिए टी0एल0एम0 निर्माण हेतु प्रति अध्यापक 500 रूपये की धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है। इस सुविधा से लाभान्वित अध्यापकों का वर्षवार विवरण सारणी 8.8 में अंकित है।

नि:शुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण :–

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक और राजकीय/सहायता प्राप्त इण्टर/हाई स्कूल के अनुसूचित जाति के बालक व समस्त बालिकाओं हेतु नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराये जाने की योजना हैं। नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकों का वर्षवार वितरण तालिका सं0 8.9 में दर्शाया गया है।

नि:शुल्क पाठ्य वितरण तालिका 8.9

वर्ष	प्राथमिक स्तर			उच्च प्राथगिक /सहायता प्राप्त		
	कुल बालिका	अनु0 जाति बालक	योग	कुल बालिका	अनु0 जाति बालक	योग
03–04	–	–	–	22621	7929	30550
04–05	–	–	–	23125	8036	31161
05–06	52725	17913	70638	23602	8231	31833
06–07	53522	18421	71943	24237	8471	32708

6.	2006	4300	7491	10851
7.	2007			
8.	2008			
9.	2009			
10.	2010			

प्रतिवर्ष निर्धारित मानक के अनुसार सभी वर्ग की बालिकाओं व अनुसूचित जाति के बालकों हेतु निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी जानी प्रस्तावित हैं। प्रत्येक विद्यालयों में बुंक बैंक की स्थापना विद्यालयों के लिये की जायेगी। जिसमें विद्यालय की छात्र संख्या का 30 प्रतिशत रखा जाना प्रस्तावित है।

बालिका शिक्षा हेतु योजना :-

जनपद हमीरपुर की भौगोलिक संरचना इस प्रकार की है कि वर्ष के आधे से अधिक बालिकाओं का ग्राम से बाहर जना सम्भव नही हो पाता है। इससे यहां की बालिकाओं की शिक्षा का प्रतिशत अत्यन्त न्यून है। इसमें भी अनुसूचित जाति की बालिकाओं की साक्षरता दर अत्याधिक न्यून है। बालिकाओं में शत प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त करने हेतु प्रत्येक गांव एवं मजरों में विद्यालय/शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिकाओं के साक्षरता दर कम होने का प्रमुख कारण उनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति का भी कमजोर होना है। परिवार के अधिकतर सदस्यों की रोजी रोटी के लिए मजदूरी पर जाना पड़ता है। तथा 6-14 वय वर्ग की बालिकाओं को गृहकार्य छोटे भाई/बहनों की देखरेा भोजन पकाने हेतु ईधन आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ती है।

ऐसी बालिकाओं हेतु जिन्हें, अभिभावक के मजदूरी पर जाने के कारण परिवार के छोटे बच्चों की देखरेख करनी पड़ती है उन्हें विद्यालय में लाने हेतु शिशु शिक्षा केन्द्रों की व्यवस्था की जायेगी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु निम्न विशेष रणनीतियां अपनायी जा रहीं हैं :-

<u>माडल कलस्टर संकल्पना</u> :- उपरोक्त प्रयासों के बावजूद जनपद में बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव हेतु विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता अनुभव की गयी । व्यवहारिक रुप से बड़े पैमाने पर समय व संसाधनों का निवेश उपयुक्त नही समझा गया। अतः समस्या की गम्भीरता को देखते हुये यह अनुभव किया गया कि कई प्राकर के कार्यबिन्दुओं को सुनियोजित ढंग से अमल में लाये जाने की आवश्यकता है । इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये माडल क्लस्टर विकास संकल्पना को अपनाया गया । मॉडल क्लस्टर में बालिकाओं के नामांकन व ठहराव हेतु निम्न लिखित गतिविधियों

को एक साथ संचालित किया गया-

1. वातावरण सृजनः- मॉडल क्लस्टर में समुदाय को प्रेरित कर अधिकाधिक जनसहभागिता प्राप्त करने हेतु निम्न लिखित प्रयास किए गये-

न्याय पंचायत के समस्त ग्रामों में घर घर जाकर प्रेरणात्मक भ्रमण तथा उसका पश्चप्रेषण किया गया ।

पद यात्राओं, प्रभात फेरियों, दीवार लेखन आदि के माध्यम से बालिका शिक्षा सम्बन्धी संदेश प्रसारित किया गया।

स्थानीय मेलों, प्रदर्शनियों में शिविर लगा कर बालिका शिक्षा सम्बन्धी प्रचार प्रसार एवं शिक्षा सम्बन्धी प्रेरणात्मक नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया गया ।

यूनीसेफ द्वारा तैयार की गयी विशष शैक्षिक वीडिओ फिल्म मीना का प्रदर्शन कर समुदाय को बालिका शिक्षा हेतु प्रेरित करना तथा बालिकाओं की असवश्यकताओं के बारे में समुदाय में समझ विकसित करने का कार्य किया गया ।

2. कोर टीम की पहचान व गठनः- मॉडल क्लस्टर में बालिका शिक्षा हेतु अधिकाधिक समुदायिक सहभागिता प्राप्त करने तथा समुदाय को शिक्षा के प्रति उनके दायित्वों का बोध कराने हेतु न्याय पंचायत स्तर पर कोर टीम का गठन किया गया। कोर । टीम की पहचान हेतु समुदाय के साथ गोष्ठियों आयोजित की गयी तथा शिक्षा के प्रति सक्रिय रूचि रखने वाले व्यक्तिओं को चिन्हित किया गया । कोर टीम का सहयोग निम्न लिखित कार्यो में लिया जा रहा है-

फोकस ग्रुप की पहचान व उनके साथ अन्तः क्रिया करके चेतना जागृत करना,

विशेष नामांकन अभियान, वातावरण सृजन व जनसम्पर्क में सहयोग,

बानिका शिक्षा को बढावा देने हेतु कार्य योजना का निर्माण,

स्कूल संचालन में समुदाय की भागीदारी बढाने हेतु समुदाय को प्रेरित करना,

बालिका शिक्षा हेतु किये जा रहे हस्तक्षेपों का अनुश्रवण करना।

3. माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन :- मॉडल क्लस्टर में संचालित समस्त प्राथमिक विद्यालयों में माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ का गठन कर समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया । इन संघो की त्रैमासिक गोष्ठी कर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराया जाता है । ड्राप आउट बच्चों को पुनः विद्यालय लाने, विद्यालय से बाहर बच्चों की पहचान कर विद्यालय में नामांकित कराने हेतु जनसम्पर्क करने आदि कार्यों में इनका सहयोग लिया जाता है

4. महिला प्रेरक समूह का गठन व प्रशिक्षणः- ऐसे गॉव/मजरे जहॉ प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण माता शिक्षक

4. महिला प्रेरक समूह का गठन व प्रशिक्षण :- ऐसे गॉवा/मजरे जहॉ प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ गठित नहीं है, उन गॉवो में बालिकाओं के नामांकन, विद्यालय में उनके ठहराव को सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक समूहों का गठन किया गया है। इन समूहों कोउनके कार्य व दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने तथा लिंग भेद को समाप्त कर बालिकाओं को व्यक्तित्व विकास के समान अवसर प्रदान करने हेतु अभिभावकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से दो दिवसीय जण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण दिया गया। जनपद की 15 आदर्श न्याय पंचायतों में महिला अभिप्रेरक समूहों का गठन किया गया।

5. ग्रीष्मकालीन शिविरो का आयोजनः- बालिकाओं में शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने तथा शालात्यागी बालिकाओं को पुनः शिक्षा की मुक्त धारा से जोड़ने हेतु 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविरो का आयोजन किया गया। शिविर के आयोजन से पूर्व गत पॉच वर्षो की उपस्थिति पंजीकाओं का अवलोकन करके ऐसी बालिकाओं को चिन्हित कर लिया जाता है जो कक्षा पॉच उत्तर्ण करने से पूर्व ही विद्यालय छोड़ चुकी हों। इन बालिकाओं के विद्यालय भेजने हेतु प्रेरित किया गया।

6. ठहरावः- जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बालिकाओं के ठहराव हेतु निम्न लिखित रणनीतियॉ अपनायी गयी-

ठहराव परिक्रमा- बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा बालिकाओं में शालात्याग की प्रवृत्ति को रोकने हेतु अक्टूबर से मार्च तक साप्ताहिक ठहराव परिक्रमा का आयोजन किया जाता है। उक्त कार्य में माता शिक्षक संघ/अभिभावक शिक्षक संघ, महिला अभिप्रेरक समूहों, कोर टीम के सदस्यों , ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों आदि का सहयोग लिया जाता है।

उपस्थिति पंजिका तारांकनः- प्रत्येक माह के अन्त में बच्चों की मासिक उपस्थिति के आधा पर उन्हें तारांकित किया जाता है। 15 दिन या पीला निशान तथा 7 दिन या उससे कम उपस्थित पर लाल निशान प्रदान कर बच्चों की विद्यालय नियमित उपस्थित रहने हेतु प्रेरित किया जाता है। अभिभावकों की गाष्ठी में बच्चों की उपस्थिति तारांकन के आधार पर दिये गये निशान के बारे में उन्हें अवगत कराया जाता है।

7. कोहार्ट स्टडीः- बालिकाओं में शालात्याग के कारणों को जानने हेतु चिन्हित गॉवों में स्थित विद्यालय की गत 5 वर्षो की उपस्थिति पंजिका का अवलोकन कर शालात्यागी बालिकाओं की सूची तैयार की जाती है तथा उन बालिकाओं के अभिभवकों से सम्पर्क करके, बालिका की पारिवारिक पृष्ठभूमि, विद्यालय का परिवेश तथा उसमें उपलब्ध सुविधाएँ,

परिवार मे बालिका की स्थिति आदि का अध्ययन करके बालिका द्वारा शालात्याग के कारणों की जानकारी प्राप्त की जाती है। काहार्ट स्टडी से प्राप्त निष्कर्षो के आधार पर समस्या का यथा सम्भव निराकरण कर बालिकाओं को पुनः शिक्षा

की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया गया है।

8. **जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण :-** बालिकाओं के नामांकन बढाने एवं ठहराव में वृद्धि हेतु जनपद में कार्यरत समस्त प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की योजना है। जिससे कक्षा-कक्ष में पढाते समय अध्यापक बिना किसी भेदभाव के बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान कर सकें।

बालिका शिक्षा के अवरोधक तत्व :-

बालिका शिक्षा हेतु किये गये विभिन्न हस्तक्षेपों के उपरान्त भी जनपद के कुछ क्षेत्रों में , विशेष रूप से अल्प संख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में बालिकाओं के शत प्रतिशत नामांकन व ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका। इस सम्बन्ध में विभिन्न स्तरो पर समुदाय के साथ की गयी गोष्ठीयो, एम. टी. ए./ पी. टी. ए., महिला प्रेरक समूह के सदस्यों व ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों से वार्ता की गयी जिसमें कई समस्यायें उभर कर सामने आयीं एवं पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक एवं विद्यालयी कारणों से बालिकाओं का पूर्ण नामांकन नहीं हो पाता है एवं बालिकायें अपनी शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व विद्यालय छोड़ देती हैं। बालिका शिक्षा के अवरोधों के निवारण हेतु निम्न रणनीतियां अपनायी जायेगीं।

- बालिकाओं की आवश्यकता के प्रति अभिभवकों की जागरुकता को बढाना।
- बालिकाओं के नामांकन ठहराव एवं विद्यालय प्रबंधन स्थानीय समुदाय की भागीदारी को बढाना।
- समुदाय को जेन्डर के प्रति संवेदनशील बनाना जिससे समाज बालिकाओं की शिक्षा की समानता को सहजता से समझ सकें।
- शिक्षकों को कक्षा में जेन्डर आधारित क्रियाकलापों को रोकने हेतु जेन्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण कराना।
- विद्यालय के वातावरण को बालिका की शिक्षा के अनुरुप बनाना।
- महिला समुहों का गठन एवं जेन्डर संवेदीकरण का प्रशिक्षण देना।
- ग्राम शिक्षा समितियों में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना।
- किशोरी केन्द्रों की स्थापना।

समाजोपयोगी उत्पादक कार्य :- (SUPW)

बालिका शिक्षा हेतु ऐसे पाठ्य क्रम को लागू किया जायेगा जिसके द्वारा उन्हें साक्षर बनाने के साथ-साथ गृह कार्य सिलाई बुनाई, रंगाई, छपाई एवं आर्थिक प्रगति के सहयोगी अन्य गृह उपयोगी जैसे आचार निर्माण जैसी विधायों का

समावेश किया जायेगा। अभिभावक के मन की इस भ्रांति को दूर करने के लिये कि बालिकाओं के लिए शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे प्रिन्टमीडिया, वैनर पोस्टर एवं जनसाधारण अभियान चलाकर ये समझाया जाना आवश्यक है कि यदि वालिका अशिक्षित रह गयी तो समाज की किसी भी प्रकार से विकास संभव नहीं हो सकेगा। क्योंकि ये समस्त वालिकायें ही आगे चलकर एक परिवार का भार अपने कन्धों पर लेंगी और यदि वे स्वयं शिक्षित नहीं है तो समाज की अगली पीढ़ी को शिक्षित कर पाने में अपना सहयोग नहीं दे पायेंगी। इसके लिये ऐसी बालिकायें जो ग्रामीण क्षेत्रों में काफी उम्र बीत जाने के बाद भी स्कूल नहीं पहुंच सकी है एवं अब अधिक उम्र की वजह से कक्षा 1 या 2 में प्रवेश लेने में झेप महसूस करती हैं। उनके लिये बालिका शिक्षा शिविर लगाकर उन्हें योग्यता के अनुसार सीधे अगली कक्षाओं में प्रवेश दिलाया जायेगा।

समेकित शिक्षा :-

विकलांगता दूर करने के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बावजूद भारत में अभी भी लगभग 8-10 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में विकलांगता की श्रेणी में आते हैं। जब तक इन बच्चों को विद्यालय न लाया जाये तब तक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता कुछ विकलांग बच्चों में शिक्षा प्राप्त करने के प्रति रूचि होती है, लेकिन शिक्षकों में विशेष दक्षता का अभाव होने के कारण इन विकलांग बच्चों को ठीक प्रकार से शिक्षा नहीं दी जा पाती है। सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकलांग बच्चों की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है। जनपद में कराये गये सर्वेक्षण के अनुसार श्रेणी व विकास खण्ड वार विकलांगता की स्थिति निम्न है :-

क्रम सं0	विकास खण्ड का नाम	विकलांगता के प्रकार					योग
		अस्थि	दृष्टि	श्रवण	मानसिक	अन्य	
1.	कुरारा	25	08	07	02	13	55
2.	सुमेरपुर	50	15	20	01	46	132
3.	मौदहा	90	30	35	10	40	205
4.	मुस्करा	40	22	10	03	13	88
5.	राठ	105	35	30	07	26	203
6.	गौहाण्ड	32	14	17	00	14	77
7.	सरीला	38	12	19	02	13	84
	योग ग्रामीण	380	136	138	25	165	844
	नगर क्षेत्र	15	04	05	01	15	40
	महायोग	395	140	143	26	180	884

विकलांगता के कारण बच्चों में आत्म निर्भरता में कमी, आत्म विश्वास में कमी तथा समाज से उपेक्षा आदि के कारण बच्चे के मानसिक विकास पर असर पड़ता है। परिवार एवं समाज को ऐसे बच्चों पर सामान्य बच्चो की अपेक्षा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिये इन बच्चों के लिये सबसे पहले हमें अपना, अपने परिवार का तथा समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन करने का प्रयास करना होगा जिससे, बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साह बढे एवं वे भविष्य में आत्मनिर्भर बन सकें। इस हेतु इन्हें पढाने वाले शिक्षकों को भी विशेष रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है जिसकी पूर्ति सर्वशिक्षा अभियान के अर्न्तगत की जायेगी।

8.10

मॉडल क्लस्टर, ग्रीष्मकालीन शिविर एवं कार्यानुभव कार्यक्रमो का वर्षवार विवरण

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	योग
मॉडल क्लस्टर	15	15	15	15	15	-	-	-	75
ग्रीष्मकालीन शिविर	70	70	70	70	70	-	-	-	350
कार्यानुभव उ० प्रा० स्त०	15 88	102	102	102	102	-	-	-	496
महिला मंच	—	—	20	20	19				59

बालिका शिक्षा के उन्नयन हेतु तालिका सं० 8.10 में समस्त गतिविधियों का वर्षवार प्रस्ताव दर्शाया गया है।

अध्याय-9

गुणवत्ता संवर्द्धन

जनपद में शिक्षा की गुणवत्ता का परिदृश्यः-

हमीरपुर जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 2000 में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III आरम्भ की गई थी। परियोजना के अन्तर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन लिया जा रहा है। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण/अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग-समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में स्थापित बी0आर0सी0 तथा एन0पी0आर0सी0 की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। बी0 आर0 सी0, एन0 पी0 आर0सी0 समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्व के सम्बन्ध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के सन्दर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 तथा बी0आर0सी0 का उनके भौतिक-अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यह अनुभव किया गया कि डी0पी0ई0पी0 से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण प्रदान नहीं किया जा पा रहा है-

1- उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षक की आकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।

2- अशासकीय हाईस्कूल, इण्टरकालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षक की परिधि में नहीं लाया गया है।

जनपद में उपलब्ध शैक्षिक सुविधायें:-	परि0	मान्यता	=	योग
1-जनपद में प्राथमिक विद्यालय की संख्या	721	248	=	969

2-जनपद में प्राथमिक विद्यालय की संख्या 175 114 = 289

3-जनपद में माध्यामिक विद्यालयों की संख्य (कक्षा 6, 7, 8) संचालित है। -20

4-जनपद में ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की संख्या- 100

2- स्कूल पूर्व शिक्षा:- (ई.सी.सी.ई.)

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में स्कूल पूर्व शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए जनपद में शिशु केन्द्रों का संचालन किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 100 केन्द्रों का चयन कर उन्हें शिशु केन्द्रों के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनमें से 61 केन्द्रों की कार्यकत्रियों को 07 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिया जा चुका है। इनके पर्यवेक्षण हेतु सम्बन्धित एन0पी0आर0सी0सी0 को प्रशिक्षित कराने का कार्य प्रस्तावित है। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटे बढ़ाकर बच्चे खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। वर्तमान में डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 100 शिशु शिक्षा केन्द्र प्रस्तावित हैं। जनपद में कुल 711 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहें हैं जिन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में डी.पी.ई.पी. द्वारा संचालित किये जाने का लक्ष्य है। एस.एस.ए. के अन्तर्गत इन्हीं केन्द्रों को संचालित रखा जायेगा इस हेतु बजट में प्रावधान किया गया है।

डी.पी.ई.पी. 111 की ओर से केन्द्रों की कार्यकत्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष 07 दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए सेल, सामग्री, उपकरण शिक्षण सामग्री हेतु रुपये 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रुपया 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया। इस सुविधा से काफी प्रभाव पड़ा है।

1- बच्चों का विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है।

2- बालिकाओं के नामांकन में भी वृद्धि हुई है।

3- बच्चों के विद्यालयों में रुके रहने की आदत विकसित हो रही हैं

4- शिक्षा के प्रति बच्चों में रुचि बढ़ी है।

5- जो बच्चे विशेष तौर पर लड़कियाँ जो छोटे भाई बहनों की देखरेख की वजह से विद्यालय नहीं आती थी आने लगी है।

ग्राम शिक्षा समितिः-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से डी. पी. ई. पी. के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। तथा इसमें महिलाओं, अभिभावकों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तर दायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III के अन्तर्गत 150 ग्रामशिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा शेष का प्रशिक्षण कराया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला सन्दर्भ समूह (डी0 आर0 जी) तथा ब्लाक सन्दर्भ समूह (बी0 आर0 जी) का गठन किया गया। ब्लाक सन्दर्भ समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी0आर0 जी0 सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया है तथा इस अनुक्रम में बी0 आर0 जी0 के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये। तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थेः-

1- प्रतिभागिता परख विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य

2- कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।

3- समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण।

4- प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेक्षण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योग दान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग भी अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनाएं तैयार की गई। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर सुरक्षित की गई हैं। तथा उनका क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया जा रहा है। ग्राम शिक्षा समितियों को प्रशिक्षण के दौरान ग्राम शिक्षासमिति संकल्प एवं प्रयास नामक माडल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म

सर्व शिक्षा अभियान में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समुदाय का सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है। पंचायतीराज व्यवस्था के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया के अनुसार विभिन्न स्तरों पर समितियों का गठन किया जा चुका है एवं सर्व शिक्षा अभियान अन्तर्गत ब्लाक शिक्षा समितियों को सुदृढीकृत एवं क्रियाशील बनाने पर जोर दिया जायेगा। शैक्षिक गोष्ठियों, नामांकन, ठहराव परिक्रमा सूक्ष्म नियोजन, शैक्षिक नियोजन एवं क्रियान्वयन आदि शिक्षा से संबंधित समस्त विकास कार्यो एवं एस.एस.ए. के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु पचायतीराज सामेतियों का सहयोग लिया जायेगा।

नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों से समुदाय की भागीदारी बढ़ी है। स्कूल के क्रियाकलापों के स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है। तथा स्कूल न आने वाले बच्चों को खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम आयोजन के अवसर पर भी समुदाय के लोगों को सम्मिलित किये जाने की आवश्यकता है, बच्चों की प्रगति जानने के लिए अभिभावकों को आमंत्रित किया जा सकता है। शिक्षण के समय तथा प्रशिक्षण के समय भी समुदाय के लोगों को कक्षा में शिक्षण देखने के लिए आमंत्रित किये जाने की आवश्यकता है।

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर बच्चों की शिक्षा में परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका है। अभिभावक के जागरूक होने पर बच्चों का विद्यालय में नामांकन व नियमित उपस्थिति सुनिश्चित होने पर सहयोग मिलता है। यदि माता-पिता शिक्षित हैं या परिवार के अन्य सदस्य, भाई-बहन शिक्षित हैं तो बच्चों को गृहकार्य करने में मदद मिलती है। छोटी कक्षाओं के बच्चों को उच्च कक्षाओं की तुलना में अभिभावकों से अधिक सहयोग मिलता है। शिक्षित अभिभावकों में अपेक्षाकृत शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण देखने को मिलता है।

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश अभिभावक कम पढ़े-लिखे या निरक्षर हैं। और कृषि कार्य में लगे होते हैं ऐसी स्थिति में वे बच्चों की शिक्षा में सहयोग नहीं दे पाते हैं। और न ही उनकी शिक्षा के प्रति ध्यान दे पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालयों में अधिकांश बच्चे गरीब परिवारों से आते हैं। इनके माता-पिता या अभिभावक अधिकांशतयः मजदूरी का कार्य करते हैं तथा स्वयं भी शिक्षित नहीं होते हैं। इसलिए इन परिवारों के बच्चों को भी शिक्षा में कोई सहयोग नहीं मिल पाता। इस प्रकार ग्रामीण एवं शहरी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षा के लिए बच्चों को शिक्षकों का ही एक मात्र सहयोग है।

शिक्षकों को सहयोग समर्थन की व्यवस्था :-

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने मे शिक्षक की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान चरखारी (महोबा) के नेतृत्व में शिक्षक की क्षमता बढ़ाने उनके विषयवस्तु ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनायी गई ।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अन्तर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों-परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मास्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खण्ड स्तरीय

इन प्रशिक्षणों का पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

शिक्षकों ने शैक्षिक सपोर्ट के लिए जिला स्तर पर डायट, ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 समन्वयकों की व्यवस्था है। प्रति माह एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों द्वारा विद्यालय का अकादमिक पर्यवेक्षण किया जाता है। तथा शिक्षकों को शैक्षिक तथा विद्यालय परिवेश सम्बन्धी समस्याओं के लिए आवश्यक समाधान सुझाये जाते हैं। बी0आर0सी0 समन्वयकों एवं डायट के मेन्टर द्वारा भी समय-समय पर विद्यालयों का अकादमिक पर्यवेक्षण कर सुधार हेतु आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं। आकदमिक पर्यवेक्षण की इस प्रकार व्यवस्था तो है लेकिन इन सुझावों को कार्य रूप में परिणित नहीं अथवा कम हो पा रहा है। इसको प्रभावी बनाने के लिए उपाय किये जाने की आवश्यकता है।

शैक्षिक सपोर्ट देने के लिए डायट के सदस्यों निरीक्षक वर्ग, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0, समन्वयकों को तीन दिवसीय शैक्षिक सपोर्ट एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से डायट स्तर पर प्रशिक्षित किया जाता है। राज्य स्तर पर तैयार किये गये पैरामीटर/इन्डीकेटर्स का प्रयोग करते हुए विद्यालयों बीआरसी तथा एनपीआरसी को श्रेणीबद्ध किया जाना सुनिश्चित है। जनपद में स्कूलों की ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति सारणी 9.1 के अनुसार निम्नवत है-

सारणी 9.1

जनपद में, स्कूलों के अनुसार ग्रेडिंग के अनुसार स्थिति

विकासखण्ड	स्कूलों की सं0 जिनका निरीक्षण हुआ	श्रेणी				पर्यवेक्षण डायट सेन्टर शिक्षक प्रशिक्षण के सुझाव बिन्दु
		ए	बी	सी	डी	
कुरार	82	-	02	39	41	
सुमेरपुर	113	-	14	87	12	
मौदहा	147	-	21	100	26	
मुस्करा	78	-	08	51	19	
राठ	81	-	11	15	55	
गोहाण्ड	88	-	08	35	45	
सरीला	99	-	19	45	35	

स्रोत :- डायट चरखारी (महोबा)

विभिन्न स्तर के पर्यवेक्षक के दौरान जो मुद्दे/समस्यायें चिन्हित की जाती है इनका निस्तारण मासिक बैठकों/कार्यशालाओं में किया जाता है। सहयोग एवं समर्थन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने की दिशा में कुछ नवाचार किये जाने की आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III अन्तर्गत सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण विवरणः-

प्राथमिक स्तर :-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था है। गत वर्ष प्रशिक्षण दिया जा चुका है। ये प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित किये गये। प्रशिक्षण बी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये गये। इनकी व्यवस्था ब्लाक समन्वयक द्वारा की गई।

प्रशिक्षण देने के लिए प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को खुली चयन प्रतियोगिता के द्वारा चयनित किया गया और उनको टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रथम वर्ष में टी0ओ0टी0 प्रशिक्षण डायट स्तर पर तथा जनपद से बाहर राज्य के प्रशिक्षकों द्वारा दिया जाता है।

प्रथम चक्र (शिक्षक अभिप्रेरण) प्रशिक्षण 08 दिवसीय आयोजित किये। गये इस प्रशिक्षण के मुख्य विन्दु थे :-

1- शिक्षकों को अभिप्रेरित कर अपने दायित्वों के प्रति जागरूक बनाना।

2- शिक्षकों में सीखने सम्बन्धी बच्चों की कठिनाइयों को समझना और उनके प्रति समझ विकसित करना तथा उनके प्रति संवेदनशील बनाना।

3- शिक्षण में बच्चों की सक्रियता और भागीदारी बढ़ाना।

4- कक्षा का वातावरण जिज्ञासापूर्ण बनाना।

5- सहायक सामग्री के प्रयोग से शिक्षण में रोचकता लाना।

6- गतिविधि आधारित शिक्षण में रोचकता लाना।

7- वंचित वर्ग विशेष कर बालिकाओं की शिक्षा में कठिनाइयों के प्रति संवेदीकरण तथा स्थानीय समुदाय से

सहयोग प्राप्त करना।

8- विषय वस्तु आधारित प्रशिक्षण।

9- दक्षताधारित शिक्षण पर बल।

10- सहायक सामग्री निर्माण एवं प्रयोग की जानकारी।

11- विभिन्न विषयों के लिए गतिविधियों का निर्माण करना एवं उनके द्वारा शिक्षण करना।

उच्च प्राथमिक स्तर:-

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए डी0पी0ई0डी0 III योजना में प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। इस दृष्टि से इन शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की आवश्यकता है।

सारणी 9.2

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति का विवरण :-

	शैक्षिक योग्यता	प्राथमिकता स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1-	शिक्षकों की कुल संख्या	1811	422
2-	हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक	56	--
3-	केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण	238	42
4-	केवल इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण (अप्रशिक्षित)	46	124
5-	स्नातक (अप्रशिक्षित)	40	93
6-	परास्नातक (अप्रशिक्षित)	06	40
7-	इण्टर मीडिएट (प्रशिक्षित)	592	65
8-	स्नातक एवं प्रशिक्षित	492	40
9-	परास्नातक एवं प्रशिक्षित	341	18

स्त्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हमीरपुर

सारणी से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक विद्यालय में 56 शिक्षक हाईस्कूल से कम योग्यतावाले हैं। जिन्हें विभिन्न विषयों की विषयवस्तु का ज्ञान देने की विशेष आवश्यकता होगी। शिक्षकों में 92 शिक्षक अप्रशिक्षित हैं जिन्हें प्रशिक्षण सम्बन्धी बाल मनोविज्ञान की जानकारी, शिक्षण विधियों की जानकारी, तथा अन्य शिक्षण विधाओं की जानकारी दिये जाने की आवश्यकता है।

सारणी 9.2 ब

	शिक्षण अनुभव	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
1-	05 वर्ष से कम	510	14
2-	05 से 10 वर्ष तक	462	51
3-	10 से 15 वर्ष तक	68	43
4-	15 से 20 वर्ष तक	145	85
5-	20 से 25 वर्ष तक	127	75
6-	25 से 30 वर्ष तक	181	41
7-	30 वर्ष से अधिक	318	113

स्रोतः बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, हमीरपुर

सारणी से स्पष्ट होता है कि जनपद में 510 शिक्षक 05 वर्ष से कम अनुभव वाले हैं उनके छोटों बच्चों की शिक्षण विधाओं बहुकक्षा शिक्षण, विद्यालय समय सारणी, कक्षा प्रबन्धन आदि की विशेष जानकारी उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी। सारणी के अनुसार 1301 शिक्षक 05 वर्ष या उससे अधिक सेवा अवधि वाले हैं। इनके ज्ञान को नवीन विषय वस्तु के अनुसार अद्यतर करने की आवश्यकता होगी। साथ ही नवीन पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण करने के लिए इनको जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक स्तर पर भी सारणी अ को देखने से स्पष्ट होता है कि 42 शिक्षक हाईस्कूल की योग्यता वाले हैं। इन्हें भी पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विषयों की नवीन जानकारी दिये जाने की आवश्यकता होगी। सारणी ब के अनुसार 14 शिक्षक 5 वर्ष या कम शिक्षण अनुभव वाले हैं। इन्हें भी कक्षा की प्रक्रिया बच्चों के व्यवहार बहुधा शिक्षण सम्बन्धी विधाओं से परिचित कराने की आवश्यकता होगी। जो शिक्षक 30 वर्ष से अधिक सेवा अवधि के है इन्हें भी नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी देने की आवश्यकता होगी।

योग्य उत्साही तथा नवाचार कार्यक्रमों का संचालित करने वाले शिक्षकों को प्रोत्साहन/पुरस्कृत करने की आवश्यकता है। विद्यालय का भवन उसके आसपास का वातावरण स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए शिक्षिकों छात्रों तथा अभिभावकों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। विद्यालय का शैक्षिक वातावरण प्रभावी बनाने के लिए शिक्षकों द्वारा कक्षा की दीवारों पर वर्णमाला, अंकज्ञान सम्बन्धी चार्ट, कहानी चित्रण आदि बनाने की आवश्यकता है।

प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :-

पर्यवेक्षकों, शिक्षिकों से वार्ता करने तथा बच्चों से जानने पर पता चला है कि शिक्षकों में जागरूकता बढ़ी है। सहायक सामग्री का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक हो रहा है। बच्चों की कक्षा में भागीदारी बढ़ी है। गतिविधियों के प्रयोग से विशेषकर छोटी कक्षाओं (1,2,3) के बच्चों में रुचि बढ़ी है। और उनके लिए शिक्षा आनन्ददायी हुई है। बच्चे कक्षा में सक्रिय नजर आते हैं।

प्राथमिक विद्यालयों में एक ही स्थान पर दो या अधिक कक्षायें लगायी जाती हैं। जिससे गतिविधि आधारित शिक्षण में दूसरी कक्षाओं के शिक्षण में बाधा उत्पन्न होती है। साथ ही गतिविधियों के लिए कक्षा में पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता। एकल अध्यापकीय विद्यालयों में सभी कक्षाओं के संचालन में भी कठिनाई होती है।

अभी बी0 आर0 सी0 भवन पूर्ण नहीं हुए हैं। इसलिए ब्लाक स्तर पर भी प्रशिक्षण वैकल्पिक स्थलों पर आयोजित किये गये जिसमें पर्याप्त स्थान न मिल पाने के कारण कठिनाई का अनुभव हुआ। प्रशिक्षण ब्लाक स्तर पर आयोजित करने से शिक्षकों को सुविधा हुई प्रशिक्षण जिन उद्देश्यों को लेकर किये गये वे ठीक थे।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण:-

डी0पी0ई0पी III के अन्तर्गत जनपद हमीरपुर में बी0आर0सी तथा एन0पी0आर0सी0 की स्थापना की गई। बी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक तथा दो सह समन्वयक और एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदास्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही है। इनको निम्न बिन्दुओं पर आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया गया :-

1- बी0आर0सी0 के कार्य तथा दायित्व सम्बन्धी आधारभूत पांच दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन माड्यूल पर आधारित था।

2- अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण यह प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों, सह-समन्वयकों को उनके कार्य दायित्वों के सम्बन्ध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों पर प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये गये।

समन्वयकों की भूमिका :-

बी0आर0सी0 द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं-

1-बी0आर0सी0 सन्दर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।

: विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप

: विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।

: वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।

: शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।

: एन0पी0आर0सी0 स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।

: ई0एम0आई0एस0 के आंकड़ों का संकलन।

: डायट के मार्गदर्शन में विकास खण्ड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन0 पी0 आर0 सी0 समन्वयकों की भूमिका :-

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्र बिन्दु एन0पी0आर0सी0 है। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण करना, शिक्षकों के अनुभव का परस्पर-विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं।

1- शिक्षकों की मासिक बैठकों, तथा कार्यशालाओं का आयोजन।

2- वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।

3- स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।

4- ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।

5- बी0आर0सी0 को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान-प्रदान।

6- कार्यो तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी0आर0सी0 तथा डायट को भेजना।

7- शिशु शिक्षा केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण।

प्रोत्साहन योजनाएँ

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक तथा पिछड़ी जाति के अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर अनु0जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं।

शेष सभी बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रदान की गई है। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया। जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

बच्चों का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव बनाये रखने के लिए विद्यालयों में बच्चों के लिए छात्रवृत्ति पोषाहार योजना तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की योजनाएँ संचालित है। इन सुविधाओं से अभिभावकों को सहायता मिलती है। और बच्चों का नामांकन विद्यालयों में बढ़ा है तथा हास की समस्या पर भी अंकुश लगा है। छात्रवृत्ति का लाभ अनु0 जाति के सभी बालक-बालिकाओं पिछड़ा वर्ग के प्रति कक्षा कुछ बच्चों को दिया जाता है। पोषाहार योजना का लाभ प्राथमिक विद्यालय के 80 उपस्थिति बालक-बालिकाओं को प्रतिमाह प्राप्त होता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण की व्यवस्था डी0पी0ई0पी0 योजनान्तर्गत की गई है। जिसमें कक्षा-1 से 5 तक के अनुसूचित जाति के सभी बालकबालिकाएं तथा अन्य वर्गो की सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें प्रतिवर्ष वितरित की जाती हैं। तथा इससे 69446 बालक

तथा बालिकाएं लाभान्वित हुए है। शेष को बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा निःशुल्क पुस्तकें दी गई जिनकी संख्या 33976 है।

विशेष बच्चों के बारे में :-

समाज के प्रत्येक बच्चे को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना हमारी प्रथम प्राथमिकता है। सभी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन हो ठहराव हो और वे निर्धारित स्तर की विद्यालयी शिक्षा प्राप्त कर सके।

समाज में कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो विद्यालयी शिक्षा से वंचित रह जाते हैं इनमें बाल श्रमिक खेतिहर बाल श्रमिक, मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे आते है। जो अपनी कठिनाइयों/समस्याओं, परिस्थितियों के कारण विद्यालय नही आ पाते है। इनके विद्यालय से न जुड़ने के कारण शिक्षा के सार्वजनीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं होता है।

इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उनके माता-पिता तथा अभिभावकों से सम्पर्क कर उनसे मानसिक रूप से जुड़कर उनकी सोच में सकारात्मक परिवर्तन लाना होगा।

इन बच्चों में आत्म विश्वास जगाने की आवश्यकता है।

इन विशेष बच्चों की पहचान कर उनकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को डायट स्तर पर विशेष रूप प्रशिक्षित किये जाने की आवश्यकता है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है। अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों की निर्धारित समय सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते है। अतः इनका प्रवेश कक्षा के बजाए इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम और तदनुरुप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों की जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

स्कूल की कक्षाओं की स्थिति-

परिषदीय विद्यालय	एक शिक्षक विद्यालय	दो शिक्षक विद्यालय	तीन शिक्षक विद्यालय	चार शिक्षक विद्यालय
प्राथमिक स्तर	20	493	134	69

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमीरपुर

विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या सारणी को देखने से ज्ञात होता है कि प्राथमिक विद्यालयों में 2.77 प्रतिशत विद्यालय एक शिक्षक वाले 69.09 प्रतिशत विद्यालय दो शिक्षक वाले हैं। 18.58 प्रतिशत तीन अध्यापक वाले तथा 9.5 प्रतिशत चार शिक्षक विद्यालय है। इस स्थिति में अधिकांश विद्यालयों में एक अध्यापक को एक समय में एक साथ कई कक्षायें पढ़नी पड़ती है। इसके लिए शिक्षकों को बहु कक्षा शिक्षण विधियों की जानकारी होनी चाहिए। अतः बहु कक्षा शिक्षण का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता होगी।

उच्च प्राथमिक विधालयों में भी जनपद में बहुकक्षा शिक्षण की स्थिति बनी हुई हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में भाषा गणित, विज्ञान के विषयों के लिए विशेष प्रशिक्षित अध्यापक होने चाहिए तभी वह इन विषयों का शिक्षण ठीक प्रकार से कर सकते है। उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को विषयों के नवीन ज्ञान का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। जिससे शिक्षक इन विषयों का शिक्षण उचित प्रकार से कर सके।

प्रभावी शिक्षण हेतु सहायक शिक्षण सामग्री के उपयोग का बहुत महत्व है। जहाँ तक सहायक शिक्षण सामग्री के द्वारा

शिक्षण की बात है, देखने में आया है कि इसका प्रयोग कम हो रहा है। प्राथमिक स्तर पर तो सहायक सामग्री का प्रयोग देखने को मिलता है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हो पाता है। अतः उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रयोगशाला की आवश्यकता है। इसके लिए ब्लाक स्तर पर किसी केन्द्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय अथवा विकास खण्ड के किसी माध्यमिक विद्यालय को संकुल विद्यालय बनाकर उसमें प्रयोगशाला की सामग्री दी जायेगी और इन्हीं विद्यालयों में विकास खण्ड के विद्यालयों को प्रयोगशाला की सुविधा प्रदान की जायेगी।

स्कूल भ्रमण, शिक्षकों से विचार-विमर्श के दौरान शिक्षक अपनी शैक्षिक कठिनाइयां इस प्रकार बताते हैं :--

1. प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। जिससे एक समय में एक साथ एक से अधिक कक्षायें पढ़ानी पड़ती है।
2. अन्य विभागीय कार्यों में लगाा दिये जाने के कारण शिक्षण के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है।
3. अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता नहीं है। जिससे बच्चों को वे नियिमित विद्यालय नहीं भेजते व उन्हें घरेलू कार्यो में अक्सर लगाा दिया जाता है।
4. बच्चों को गृह कार्य पूरा करने में अभिभावकों से सहयेग नहीं मिलता जिससे वे गृह कार्य पूरा करके नहीं ला पाते हैं।

5. विभिन्न पाठों के शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के बनाने व प्रयोग करने की पर्याप्त जानकारी नहीं है। जानकारी दी जाने की आवश्यकता है।

6. विज्ञान, गणित के कुछ कठिन स्थलों के शिक्षण में भी कठिनाई है जिसकी जानकारीदी जाने की आवश्यकता है।

7. उच्च प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे आते है वे पूरी तरह तैयार नहीं होते है। नवीन ज्ञान देने में कठिनाई होती है। उन्हें समझाने में अधिक समय लगता है।

8. उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी विषयों के अध्यापक नहीं है। सामान्य विषयों के अध्यापकों को गणित, विज्ञान भाषा विषय पढ़ाने पड़ते हैं।

प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक स्पोर्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत न्याय पंचातय स्तर पर एन0पी0आर0सी0 ब्लाक स्तर पर बी0आर0सी0 है। उच्च प्राथमिक विद्यालय इस व्यवस्था आच्छादित नहीं है। उनके लिए भी इस प्रकार की व्यवस्था की आवश्यकता है। यह शैक्षिक स्पोर्ट उच्च प्राथमिक विद्यालयों को डायट द्वारा जनपद स्तर पर तथा संकुल विद्यालयों के द्वारा ब्लाक स्तर पर किसी माध्यमिक विद्यालय या केन्द्रीय विद्यालय बनाकर दी जा सकती है।

समुदाय शिक्षकों से किस तरह की अपेक्षाएं रखता है। उसकी जानकारी समुदाय से सम्पर्क एवं प्रशिक्षण के दौरान तथा संस्थान द्वारा वर्ष 2000-2001 में डायट द्वारा लैव ऐरिया के 5 विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों में अभिभावकों की अपेक्षायें विषय पर शोध/सर्वेक्षण के द्वारा यह बातें उभर कर सामने आयी।

1. अभिभावक अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि विद्यालय के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा व्यवस्था हो।

2. शिक्षक नियमित रूप से शिक्षण कार्य करें व अन्य कार्यों में उन्हें न लगाया जाये।

3. विद्यालय में नैतिक शिक्षा भी दी जाये जिससे इनमें अच्छे संस्कार विकसित हो।

4. विद्यालय में बच्चों का स्वास्थ्या परीक्षण भी होना चाहिए।

इन निष्कर्षो के आधार पर समुदाय की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं के अनुरुप शिक्षा व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकांश क्षेत्रों में अधिकांश बच्चों के अभिभावक निरक्षर है या अपने कृषि कार्यो में लगे है जिससे वे बच्चों की शिक्षा में कोई सहयोग नहीं दे पाते है। इसलिए विद्यालय में ही ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। जिससे

बच्चों को सीने से अधिक अवसर प्राप्त हो सके।

एस0एस0 ए0 के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण :--

सर्व शिक्षा अभियान गुणवत्ता परक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण की अत्यन्त महत्वकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद हमीरपुर में 6-14 वय वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा कुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य हैं जस स्कूली शिक्ष व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार है :--

1. 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई0जी0एस0 केन्द्र वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र में लाया जायेगा।

2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करे यह लक्ष्य वर्ष 2008 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।

3. सभी बच्चे कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करें यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।

4. गुण.वत्ता परख शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हैं प्रदान की जायेगी।

5. प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक समग्र प्रारम्भिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।

6. लक्ष्य समून (16-14) के सभी बच्चों को स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2020 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एकविजन विकसित किया जायेगा। जिसमें जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों के लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। जिसमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयें तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियां तय की जायेगी। इन कार्यशालाओं के प्रति समान विचार अवधारणायें बन सके। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि तथा उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक

प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षण प्रशिक्षण वर्ष में एक बार अयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत् प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षण का इस प्रकार श्रृखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी0आर0सी0 और मुख्यतः एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत प्रशिक्षण अनुभवी वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा बहुकक्षा-बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी वास्तविक शिक्षण सपमय के बढ़ाना प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्य वस्तुओं के वेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के अलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण :--

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तकों पर केन्द्रित 08 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक प्रधान अध्यापकों और शिक्षा मित्रों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त इसी अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालायें भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है :--

1. वीजनिंग कार्यशाला 8 दिवसीय- एन0पी0आर0सी0 स्तर पर।
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालायें एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।
3. मैटीरियल मेला एक दिवसीय-एन0पी0आर0सी0 स्तर पर।
4. विकास खण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण फालोअप के अन्तर्गत एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/ कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होगी।

ये वर्ष के पांच महीनों में आयोजित की जायेगी। इनका प्रशिक्षण कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी0आर0सी0 तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रू0 70/- की दर से रू0 अनुमानित है तथ इस

हेतु रू0 12 लाख प्रस्तावित है

द्वितीय वर्ष में इस प्रकार भाषा तथा गणित की विषय वस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 07 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस सात दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार है।

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी0आर0सी0 स्तर पर तीन दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें मुख्य : शिक्षण विधियों प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबन्धन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

2. एन0पी0आर0सी0 स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इसमें बी0आर0सी0 स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।

3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बन्धी तीन दिवसीय प्रशिक्षण एन0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षण पर प्रति प्रतिभागी रू0 70/- प्रतिदिन की दर से अनुमानित है तथा रू0 12 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी0पी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी। जिनका विवरण इस प्रकार है :-

1. बी0आर0सी0 स्तर पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रूचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

2. बी0आर0सी0 स्तर पर दो, दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला को सामाजिक विषय पर शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।

3. बी0आर0सी0 स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन0पी03आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं पांच माह में आयेजित की जायेगी। जिनका एजेण्डा डायट द्वारा किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानित है तथा रु0 12/- लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग पर केन्द्रित पांच दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य में बी03आर0सी0 एवं एन0पी03आर0सी0 स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेगी जिनका विवरण इस प्रकार है :--

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन0पी03आर0सी0 स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालायें वर्ष के सात महीनों में आयोजित की जायेगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैया किया जायेगा।

2. एन0पी03आर0सी0 स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु दो दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी जिसमें न्याय पंचायत में स्थिति प्राथिमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन0पी03आर0सी0 स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुति तथा सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

4. कक्षा शिक्षण में दृश्य श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बन्धीन दो दिवसीय कार्यशाला एन0पी03आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानित है। तथा इस हेतु 12 लाख प्रस्तावित है।

पांचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख विन्दु होगा। इसके उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तु का निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आाधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से रु0 12 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

1. प्रत्येक विद्यालय में एक-एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के सम्बन्ध में होगा।

2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी बच्चे तथा शिक्षक है ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट अथवा उससे कम है उनके लिए विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15-20 वर्षो से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।

5. नव नियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिससे प्रतिवर्ष नियुक्त होते वाले सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनेंगे उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय-प्रबन्धन, विद्यालयी अभिलेखों के रख-रखाव, स्कूल आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण :-

डी0पी0ई0पी0 के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं थी, अतः उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए भी प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षक शिक्षिकायें प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्य वस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेगें :-

प्रथम वर्ष में शिक्षकों को विज्ञान विषय के शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकास खण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा

पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण की फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एल0पी0आर0सी0 स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन0पी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी0आर0सी0 स्तर पर एक दिवसीय मैटीरियल में आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दस से अनुमानतः रु0 5 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय वस्तु शिक्षण विधियों सामग्री तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं, एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा। जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। उसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी एक दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70/- की दर से अनुमानतः रु0 5 प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथाा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा। जो 05 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति पाठ योजना तथा सम्बन्धित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गये एजेण्डा के आधार पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर दो दिवसीय या एक दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेगी। तृतीय

वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानतः रु0 12 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निमार्ण हेतु दो दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हे डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी। जिना पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बन्धी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरान्त इस तारतम्य में टेस्ट आइटम बनाने हेतु दो दिवसीय तथा एक दिवसीय तथा एक दिवसीय कार्यशालायें क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दरें अनुमानतः रु0 5 लाख प्रस्तावित है।

पांचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 6 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा उन प्रशिक्षणें के अनुभवों तथा फीडबैंक के आधार पर निर्धारित की, जायेगी। तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पांचवें वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70/- की दर से अनुमानतः रु0 12 लाख प्रस्तावित है।

प्रशिक्षणों में दूरस्थ शिक्षा माध्यम का अधिकतम उपयोग किया जायेगा।

उपर्युक्त प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेगें

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है --

कम्प्यूटर उपयोग सम्बन्धी प्रशिक्षण :--

सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधीत जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड में कुल 175 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिए डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान करने के उपरान्त उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिए एक माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधीत शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा। तथा कार्यक्रमों की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

2. जेण्डर सेन्टिसटाइजेशन :-

कक्षा में बालिकाओं के प्रति व्यवहार में संवेदनशीलता लाने हेतु बी.आर.सी. स्तर पर दो दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी जिसमें प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय से एक शिक्षक प्रतिभाग करेंगे।

3. नेतृत्व प्रशिक्षण :

सभी उ0प्रा0 वि0 के प्रधानाध्यापकों की नेतृत्व प्रशिक्षण तथा समय प्रबन्धन एवं विद्यालय प्रबंधन का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा तथा इसके लिए प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेट इलाहाबाद के सहयोग से डायट द्वारा किया जायेगा।

4. अन्य प्रशिक्षण :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथिमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के तिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है --

1. शिक्षामित्र/आचार्य जी प्रशिक्षण :- जनपद के 495 शिक्षामित्रों तथा 112 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्रों के लिए सेवारत शिक्षक

प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त [illegible] आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय प्रशिक्षण का भी प्रतिवर्ष आयोजन किया जायेगा।

2. वैकल्पिक शिक्षा :-

जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशक के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा [illegible] प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। उसके [illegible] दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. एवं बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता संवर्द्धन हेतु समन्वयकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे।

3. ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण :-

पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 100 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकत्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 10 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, द्वारा विकसित प्रशिक्षण माड्यूल का उपयोग किया जायेगा।

ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकत्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस माड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया है। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार आधार शिला (भाग-1 तथा 2) प्रशिक्षण माड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं :- स्कूलरेडीनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु [illegible] बच्चों के संज्ञानात्मक शारीरिक विकास भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक संवेदनात्मक और सृजनात्मक अभिवृद्धि, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास और संसोधित प्रशिक्षण 10 दिवसीय है तथा इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है। उसके अतिरिक्त [illegible] भ्रमण भी कराया जाता है। इस माड्यूल का आगामी 3-4 वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनन्तर इसकी समीक्षा की जायेगी।

4. बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का प्रशिक्षण :- डी0पी0ई0पी :-

डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया जा रहा है। एस0एस0ए0 परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल- इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 समन्वयकों का उसके कार्य तथा दायित्व सम्बन्धीन अकादमिक परिवेक्षण के सम्बन्ध में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर किये जायेंगे। इस प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है। तथा उसे जनपद की आवश्यकताओं अनुरुप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 के समन्वयक शिक्षा सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे। तथा उसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षा मित्र, वैकल्पिक शिक्षा गारन्टी योजना, ई0सी0सी0ई0 तथा अकदमिक परिवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण माड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकेंगे।

5. ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्रशिक्षण :-

जनपद पर विकास खण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए0बी0एस0ए0 एवं एस0डी0आई0 की महत्वपूर्ण भमिका है। इस दृष्टि से इनका पांच दिवसीय ओरियन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास सीमेंट द्वारा डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत किया गया है। ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेन्ट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के बिन्दु इस प्रकार है :-

अपने क्षेत्रार्न्तगत प्रशासनिक नियन्त्रण तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण विद्यालयों, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों ई0जी0एस0 केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण ई0एम0आई0एस0 माइक्रो प्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागित कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में प्रतिभाग करेंगे।

6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण :-

स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत-प्रतिशत करने ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर

आयोजित किये जायेंगे। यह प्रशिक्षण प्रत्येक 2 वर्ष के अन्तराल पर आयोजित किये जायेंगे। तथा एस0एस0ए0 के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण माड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी0पी0ई0पी0 III के अन्तर्गत किया गया है। जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगें :-

ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य, और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, माड्ल क्लस्टर डेवलपमेन्ट एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता के प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू0एम0जी0, एम0टी0ए0, पी0टी0ए0, युवक मंगल दल के सदस्यों के प्रशिक्षण मे प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त ऑकड़ों और स्कूल विकास योजनाएं प्राप्त होती है। उसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम् उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्ये में सामुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों का समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस0एस0ए0 परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के सम्बन्ध में जनपदीय टीमों को प्रशिक्षित किया जायेगा। आगामी वर्ष में आवश्यकतानुसार रिफ्रेसर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे। सभी प्रकार के प्रशिक्षणो के अनुभवों के विभिन्न स्तरों पर शेयरिंग की जायेगी। तथा उनका डाक्यूमेन्टेशन भी किया जायेगा।

शिक्षण को बढ़ावा :-

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारणी का प्रयोग अधिकांश वियालयों में किया जाता है। वर्ष में 220

दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ तथा 168 दिवस शिक्षण के लिए उपलब्ध हुए।

सारणी-1

	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर
कुल कार्य दिवस	220	220
शिक्षण दिवस	168	168
परीक्षा	10	10
अन्य कार्य	12	12
नष्ट हो जाने वाले दिन	10	10
समुदाय से सम्पर्क	10	10

स्रोत : डायट चरखरी (महोबा)

सारणी

स्कूल समय (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार :-

	प्राथमिक स्तर वादन/समय	उच्च प्राथमिक स्तर वादन/समय
भाषा-1 हिन्दी	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 9	40 मिनट X 9
भाषा-2 अंग्रेजी	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 3	40 मिनट X 3
भाषा-3 संस्कृत	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 3	40 मिनट X 5
विज्ञान	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
गणित	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 10
सामाजिक विषय	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 6
समाजोपयोगी कार्य	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 5	40 मिनट X 4
कला शिक्षण	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 4	40 मिनट X 3
अन्य प्रशिक्षण शारीरिक शिक्षा	प्रतिघण्टा 40 मिनट X 8	40 मिनट X 3
कृषि शिक्षा पर्यावरणीय अध्ययन		

स्रोत : डायट, चरखारी

उपर्युक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 168 दिन और उच्च प्राथमिक

स्तर पर 168 दिन ही उपलब्ध हो पाते है। जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश है। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परीक्षा समुदायों से सम्पर्क और अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा।और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय के अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षक को समय प्रबन्धन/सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया है। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओ की नवीन पाठ्य पुस्तकों को जुलाई 2000 के सत्र में प्राइमरी स्तर पर लागू किया गया इन पाठ्य पुस्तकों का उपयोग सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत भी 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एन0सी0ई0आर0टी0 उत्तर प्रदेश द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पुस्तको का आवश्यक संशोधन किये जाने पर तद्नरुप पाठ्य पुस्तकों के वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण से लगभग 103472 बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे। और इस पर लगभग 37 लाख रुपये व्यय होगा। नवीन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गयी थी उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा। तथा इस पर अनुमानतः1.80 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उत्तर प्रदेश द्वारा जुलाई 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) संशोधित पाठ्यग्रम जनवरी 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया जायेगा। यह पाठ्यग्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम् उपयोग कक्षा-शिक्षण में करें। इस हेतु बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 स्तर पर विषेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6-8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्य पुस्तकों का विकास एन0सी0ई0आर0टी0 के तत्वाधान में किया जा रहा है। यह पाठ्य पुस्तकें एन0सी0ई0आर0टी0 के विशिष्ट संस्थानों राज्य सन्दर्भ समूह के

सदस्यों/शिक्षकों बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही है। इन पाठ्य पुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001-02 में की जायेगी। तथा इसके उपरान्त जुलाई 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्य पुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा। तथा यह शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराई जायेगी। जिससे 16000 बच्चे लाभान्वित होंगे। तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 20 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पाठ्य सामग्री :-

सर्व शिक्षा अभियान के अ न्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी। जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तथा भावी जीवन के लिए अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनापयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सके। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उपलब्ध कराई जायेगी।

7. गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका :-

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना :-

डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जाएगी। जनपद, विकास खण्ड, न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का आयोजन तथा क्रियान्वयन अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास शोध एवं मूल्यांकन नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण सामग्री विकास ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ो का विश्लेषण आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों को समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपर्युक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता सम्वर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत कार्यवाही की जायेगी-

क्षमता का विकास करना :-

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदन करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विषय आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने की बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 सम्न्वयाकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने वैकल्पिक शिक्षा वी0ई0सी0 प्रशिक्षण, ई0सी0सी0ई0 प्रशिक्षण समेकित प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए संस्थागत क्षमता विकास कार्यक्रम को लागू किया जायेगा। इनके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वंयसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम् शोध मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए0बी0एस0ए0/एस0डी0आई0 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापक और बी0आर0सी0 के समन्वयक एन0पी0आर0सी0 के संयुक्त संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणें के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्यों को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता का विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक सन्दर्भ समूह का सुदृढ़ीकरण :-

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथ अनुश्रवण करने गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कायक्रमों तथ प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीड बैंक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संसाधन समूह गठित किया गया है। जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त वाह्य विशेषज्ञ शिक्षा विद् योग्य शिक्षक आदि सदस्य है। अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा उण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता सम्वर्द्धन हेतु एन0सी0आर0टी0 के सहयोग से क्षमता विकास कार्यशाला डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। यह कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण विषय शिक्षण तथा स्कूल का प्रबन्ध तथा शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केन्द्रित होगी। तथा प्रत्येक वर्ष पांच दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जाएगी।

गुणवत्ता सुधार में स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध है उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण

संस्थान की क्षमता का विकास अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनरों की क्षमताओं के विकास मे लिया जायेगा। उसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी।इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा। तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वयंसेवी स्वैच्छिक संगठनो का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण :-

डायट के प्रवक्ताओं को कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी हैं अतः इस प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। उसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में जो भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है। जैसा कि ऊपर वर्णित है। इस हेतु कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना :-

शिक्षा सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान कर एन0पी0आर0सी0 पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल अध्यापक की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

डी0पी0ई0पी0 III के अन्तर्गत शिक्षकों को रुपये 500/- अनुदान के रूप में दिया जाना हैं इस उद्देश्य है कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट पुस्तक अन्य पठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषयाधारित पाठ्सक्रम और पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका हैं इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा। तथा सभी शिक्षकों को प्रति वर्ष रुपये 500/- अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मैटेरियल मेले भी आयोजि किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगाई जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर

डायट में कराई जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशालाओं/गोष्ठियों का आयोजन :-

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालाओं एवं गोष्ठियां डायट पर की जायेगी। वर्तमान में डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की आकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ्य का प्रस्तुतीकरण सामग्री निर्माण आदि का निर्माण कार्य किया जाता है इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्य योजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्त शिक्षण सामग्री शिक्षकों में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि विन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषय पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियां आयोजित की जायेगी।

1. बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।

2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री, निर्माण।

3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।

4. छात्र-छात्रओं की अधिगत सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु आइटम का निर्माण।

5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा-कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन :-

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम कक्षा शिक्षण निरीक्षण प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यवहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं शिक्षक, प्रशिक्षक निरीक्षक तक पहुंचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेट सहयोग

से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च हेतु अपनी परियोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वयित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने और इन शोध परियोजनाओं का सुचारु रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एन0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से जनपद स्तर पर क्लास रूम की आब्जर्वेशन स्टडी भी की जायेगी।

एक्शन रिसर्च :-

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 5 दिवसीय कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेट, इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0 लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूति समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्तक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार है :-

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?

2. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?

3. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग ?

4. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके ?

5. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास ?

6. कार्य निष्पादन के आधार पर चिन्हित कमजोर विद्यालयों में प्रबन्धन के मुद्दे ?

7. विद्यालय विकास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय ?

8. महिला शिक्षिकाओं का रोल-परसेप्सन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियां ?

9. कक्षा में धीमीगति से सीखने-वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक ?

10. जहां बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर कम है उसके कारणों की पहचान ?

11. विद्यालयों के सन्दर्भ में समुदाय के सहयोग के अभाव के कारणों का अध्ययन ?

12. बच्चों की विद्यालय में अनियमित उपस्थिति के कारणों का अध्ययन ?

13. मध्यान्तर के पश्चात् विद्यालय से छात्रों के पलायन के कारणों का विश्लेषणात्मक निरूपण ?

14. अध्यापकों के पठन-पाठन के स्तर में वृद्धि हेतु प्रत्येक 6 माह बाद मूल्यांकन ?

आंकड़ो का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग :-

ई0एम0आई0एस0 के द्वारा प्राप्त आंकड़ो के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गांव/प्रत्येक विद्यालय की मूल समस्या/आवश्यकता की जानकारी मिलती है। इसके द्वारा ब्लाकवार ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किस स्थान पर ड्राप आइट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई0एम0आई0एस0 आंकड़े के विश्लषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रेपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई0एम0आई0सी0 से प्राप्त आंकड़ो का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा क्रियान्वयन में हो सकेगा।

मूल्यांकन प्रणाली :-

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली को जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित है किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन0पी0आर0सी0 स्तर पर तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी0आर0सी0 स्तर पर की जाये तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर हो, साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत् व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी।

एस0सी0ई0आर0टी0 उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत् व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण माड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा। वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक प्रशिक्षण माड्यूल से एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा। तथा मुख्यतः एतद् विषयक डायट, बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सके।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारणी द्वारा प्रदर्शित है :-

क्र. सं.	कार्यक्रम	प्रतिभागी	अवधि
1.	विजनिंग कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य, डी0पी0ओ0 स्टाफ, ए0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 एवं बी0आर0सी0 समन्वयक।	04 दिन
2.	शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	चुने हुए प्रशिक्षक	10 दिन
3.	शिक्षा मित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण	शिक्षा मित्र, आचार्य जी	
	1. आधार-भूत प्रशिक्षण		30 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		15 दिन
4.	वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण	अनुदेशक	
	1. आधार-भूत प्रशिक्षण		15 दिन
	2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण		10 दिन
5.	वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
6.	ई0सी0सी0ई0 केन्द्र के अनुदेशकों	ई0सी0सी0ई0 केन्द्रों की कार्यकत्रियां	07 दिन

	का प्रशिक्षण	तथा सहायिकाएं	
7.	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	05 दिन
8.	ए0बी0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0 का प्रशिक्षण	ए0बी0बी0एस0ए0, एस0डी0आई0	05 दिन
9.	ग्राम शिक्षा समति के प्रशिक्षण हेतु बी0आर0सी0 का प्रशिक्षण	बी0आर0सी0 के सदस्य	03 दिन
10.	कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	डायट स्टाफ,उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक	01 दिन
11.	अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण	चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण	05 दिन
12.	उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण	उर्दू शिक्षक	05 दिन
13.	सेवा पूर्वागमं प्रशिक्षण	नवीनयुक्त सहा0 अध्यापक प्राथमिक विद्यालय	10 दिन
14.	नेतृत्व प्रशिक्षण	प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक	05 दिन
15.	एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0, एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्व्यक व चयनित शिक्षक	05 दिन
16.	मैटरियल मेला	चुने हुए शिक्षक	03 दिन
17.	सतत् व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण	बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक	03 दिन
18.	अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आर0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन
19.	कार्यानुभव प्रशिक्षण	डायट स्टाफ, बी0आ0सी0 एन0पी0आर0सी0 समन्वयक	03 दिन

20.	अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाल (हिन्दी/स्थानीय बोली)	चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएं	03 दिन
21.	प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास	प्राथमिक/उ0प्रा0, हाईस्कूल, इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक	03 दिन
22.	गणित शिक्षण हेतु सामग्रली विकास कार्यशाला।	प्रािमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इ0 कालेज के चुनें हुए शिक्षक	03 दिन
23.	अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला	अकादमिक सन्दर्भ समूह के सदस्य	05 दिन
24.	कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग सम्बन्धी कार्यशाला	बी0आर0सी0 समन्वयक, चुने हुए वियालय के शिक्षक	02 दिन
25.	बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फलर्निंग मैटीरियल का विकास सम्बन्धी कार्यशाला	चुने हुए शिक्षक	05 दिन
26.	वास्तविक शिक्ष्ज्ञण समय को बढ़ाने हेतु प्रशिक्षा कार्यशाला	बी0आर0सी0/एन0पी0आर0सी0 समन्व्यक	02 दिन
27.	संस्थागत क्षमता विकास कार्यशाला	डायट के संकाय सदस्य	03 दिन
28.	बाल श्रमिकों हेतु सेचालित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों हेतु शिक्षण सामग्री का विकास	डायट संकाय सदस्य	05 दिन

आकदमिक सुपरविजन बी0आर0सी0 की समेकित भूमिका :-

आकादमिक सुपरविजन में डायट बी0आर0सी, एन0पी0आर0सी0 की समेकित भूमिका रहेगी। एन0पी0आर0सी0 अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी0आर0सी0 को देगा, तथा समीद्क्षा करके बी0आर0सी0 प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए0आर0जी0 के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेण्डा तैयार करेंगे। डायट जनपद स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन भ्रमण, कार्य का अनुश्रवण तथा श्रेणीकरण के माध्यम से प्रभावी कार्य संकृति का

विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकिय उच्च प्राथमिक विद्यालयों हाईस्कूल, इण्टर कालेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0, ई0जी0एस0 केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के सन्दर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत चलायी गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों में बी0आर0सी0, एन0पी0आर0सी0 का उनके कार्यनिष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी0आर0सी0 की भूमिका :-

ब्लाक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

: सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण-आयोजन करेंगे।

: विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।

: वैकल्पिक शिक्षा, ई0जी0एस0 शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।

: समुदाय के सदस्यों का बी0आर0सी0 के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वयक स्थापित करेंगे

: ई0एम0आई0एस0 ऑकड़ा का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

: अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन0पी0आर0सी0 तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।

: बी0आर0सी0 स्तर पर गुणवत्ता विकास सन्दर्भ समूह विकसित करेंगे।

: शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षक को सहयोग प्रदान करेंगे।

: स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।

: बी0आर0सी0 स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

: प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन0पी0आर0सी0 की भूमिका :-

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

: शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।

: विद्यालयों वैकल्पिक शिक्षा, ई0सी0सी0ई0 तथा ई0जी0एस0 केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।

: वी0ई0सी0 के सदस्यों डब्ल्यूएमसी/पीटीए/एमटीए सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।

: ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।

: स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।

: शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।

: स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।

: एन0पी0आर0सी0 अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्त्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

नवाचार कार्यक्रम :-

डायट द्वारा विभिन्न ग्रामों के जन समुदाय जिसमें ग्राम शिक्षा समिति स्कूल न जाने वाले बच्चों के अभिभावक, व्यवसाय करने वाले बच्चों के अभिभावक, ग्राम प्रधान, सम्मिलित थे तथा न्याय पंचायत संकुल प्रभारी उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक के साथ ए0पी0जी0डी0 के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि जो बच्चे अपने व्यवसाय में संलग्न होने के कारण विद्यालय मे नहीं आते है या जिन्होनें प्राथमिक स्तर की पढ़ाई पूर्ण कर विद्यालय जाना वन्द कर दिया है। उन्हें पुनः विद्यालय में लाने के लिए ठहराव बनाए रखने के लिए तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने हेतु कौशल विकास

में दक्ष करने के लिए कार्यनुभव प्रशिक्षण बहुत प्रभावी होगा। इसी प्रकार यदि लड़कियों को उनकी इच्छानुसार फैशन डिजाइनिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग, फूड प्रजर्वेशन आदि का प्रशिक्षण देने से उनका उ0प्रा0 स्तर पर विद्यालय में ठहराव बनाए रखने के लिए सहायता मिलेगी।

इससे पूर्व डी0ई0पी0 जनपदों में उ0प्रा0वि0 में बालिकाओं के लिए इसका पाइलट प्रोजेक्ट चलाया जा चुका है जिसके परिणाम बहुत सकारात्मक रहे हैं। इससे न केवल बालिकाओं के नामांकन में वृद्धि हुई है। अपितु उनका ठहराव बना रहा है।

बालिकाओं के लिए कार्यानुभव कार्यक्रम उनके ठहराव में अत्यन्त सहायक होता है। ठहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से ड्राप आउट नहीं हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता हैं कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करता है।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के सभी विकास खण्डों में तीन-तीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इस कार्य में यह योजना है कि प्रत्येक उ0प्रा0वि0 की स्थानीय आवश्यकता के आधार पर वहाँ बच्चों को ऐसे कौशल में प्रशिक्षित किया जाए।

कार्यानुभव प्रशिक्षण इस प्रकार नियोजित किया जायेगा कि एक बार विद्यालय में कच्चा माल उपलब्ध कर दिया जाएगा। उस कच्चे माल से जो सामान तैयार होगा उसका विक्रय करके प्राप्त बचत धनराशि में से कुछ अंश बालक-बालिकाओं को पारिश्रमिक के रूप में प्रदान किया जाएगा तथा मूल धनराशि से पुनः कच्चा माल लिए जाएगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया निरन्तर बिना किसी अतिरिक्त बोझ के चलती रहेगी। उक्त कार्यानुभव प्रशिक्षण ब्लाक संसाधन केन्द्र की आवश्यकता के आधार पर सभी उ0प्रा0 विद्यालय में लागू किया जायेगा।

2. बच्चों के लिए सामग्री विकास :-

पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर पूरक शिक्षण सामग्री विकसित की जायेगी। जिसमें स्थानीय उपलब्ध विशेषज्ञों जनपद स्तर पर प्रचलित विभूतियाँ भौगोलिक ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी आदि हो सकती है। उनको प्रचलित पाठ्यक्रम के साथ रखा जायेगा जिससे बच्चे अपने स्थानीय महत्व के स्थानों महान व्यक्तियों आदि के बारे में जान सके एवं उनसे प्रेरणा ले सके इस मैटेरियल के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयास

किये जायेंगे। विषय वस्तु के विकास के लिए विभिन्न स्तरों पर प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक के शिक्षकों स्थानीय शिक्षा विदों समाज सेवी व्यक्तियों की कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी।उपलब्ध स्थानीय साहित्य से भी योगदान लिया जायेगा।

3. कक्षा की प्रक्रिया में समुदाय की भागीदारी बढ़ाना :-

ग्राम शिक्षा समितियों के गठन के माध्यम से समुदाय को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों की बैठकें प्रतिमाह आयोजित किये जाने की व्यवस्था है। लेकिन व्यवहारिक रूप से यह देखने में आता है कि बैठकें नियमित रूप से आयोजित नहीं होती है और जब आयोजित होती है तो उनका मुख्य केन्द्र विद्यालय परिसर की समस्याओं तक ही इस ओर भी बढ़ाया जायेगा। उसके लिए समुदाय के लोग अभिभावकों को कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया देखने के लिए आमंत्रित करेंगे। जिससे उनमें बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा हो और बच्चों की शिक्षा पर विद्यालय के साथ साथ घर पर भी ध्यान दिया जाये। समय-समय पर अभिभावकों को उनके बच्चों की उपलब्धि के लिए बच्चों को सम्मानित किया जायेगा। ऐसा करके स्थानीय अच्छे कार्यकर्ताओं का विद्यालय शिक्षण से सहयोग भी मिल सकेगा। विद्यालय से जुड़कर समुदाय इसे अपना ही विभिन्न अंग स्वीकार कर लेगा। यह सोच विद्यालय की प्रगति/विकास में महत्वपूर्ण होगी।

अध्याय 10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि 2001 से 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयुवर्ग के सभी बालक/बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबन्ध कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबन्ध टीम भावना पर आधारित होगा। और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त जन सहभागिता सुनिश्चित कर सकें। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा। यह परिवर्तन सहभागिता आधारित होंगे। उससे सबसे निचले स्तर पर जवाब देही दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों का, छात्रों की उपस्थिकात सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबन्धतन्त्रः संवेदनशील और लचीली प्रणाली :-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं की सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुए विकेन्द्रीकरण शैक्षिक प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सावजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यपक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्य के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जवावदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध-प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक कवधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने का साथ उ0प्र0 सर्व शिक्षा अभियान के एक प्रबन्ध तन्त्र तैयार किया है जो निम्नवत दर्शाया जा सकता है।

निर्णय कर्ता समितियाँ	सर्वशिक्षा अभियान की प्रबन्ध पंक्ति	सहायक अकादमिक संस्थायें
साधारण सभा और कार्यकारिणी समिति	राज्य परियोजना कार्यालय	एस0सी0ई0आर0टी0एस0 आर्ठ0ई0 स्टेट एस0आई0ई0टी0 एन0जी0ओ0 आदि
यू0पी0ई0एफ0पी0पी0बी0 जिला शिक्षा परियोजना समिति	जिला परियोजना कार्यालय	डायट एन0जी0ओ0 आदि
क्षेत्र विकास समिति ब्लाक ग्राम शिक्षा समिति	शिक्षा अधिकारी विद्यालय प्रधानाध्यापक अध्यापक	ब्लाक संसाधन केन्द्र संकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा - नीति निर्धारण :-

ग्राम शिक्षा समिति :-

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया जिसमें निम्न लिखित सदस्य हैं -

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक और यदि वहाएं से अधिक स्कूल हो तो अध्यापकों में से ज्येष्ठतमसदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचित होगा
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्ष्‍ज्ञक महिला होगी)

   जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ना निर्दिष्ट किये जायेंगे। सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :-

ग्राम शिक्षा समिति निम्न लिखित कार्य सम्पादन करेगी।

क. पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण ओर प्रबन्धन क्रना।

ख. ऐसे बेसिक स्कूलों को विकास, प्रयास और सुधार के लिये योजनायें तैयार करना।

ग. पचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपाचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को अभिवृद्धि और विकास करना।

घ. बेसिक स्कूलों, उनके भवनो और उपकरणों के सुधार के लिए जिला पंचायत का सुझाव देना।

ङ. ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थित को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें।

च. पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी नीति से जैसे निहित की जाये। लघ्यु दण्ड देने की सिफारिश करना।

छ. बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा सौंपे जायें।

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण परिवेश में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता सुनिश्चित करने में सफल हुई हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत की भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय इसे अधिक प्रभावी बना तैयार करने और इसका समय बद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विद्यालयों में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण।

इसी समिति का अधिकारी एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यो, आंगनवाड़ी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण्सा, पोषाहार, पोषाहार वितरण का नियन्त्रण निःशुल्क पाठ्य न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी03आर0सी0)

इस जनपद में भी पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-1 के अन्तर्गत कराया जा चुका है। उसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। उनकी प्रशिक्ष्ज्ञण के माध्यम से और अधिक सक्रिय प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित करना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों मे गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माणआदि की योजना तैयार करना।

5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन सूक्ष्म योजना।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :-

जिला के भांति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित है :इ

1.	ब्लाक प्रमुख	अध्यक्ष
2.	सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक	सदस्य-सचिव
3.	विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान	सदस्य
4.	विकास खण्ड का एक वरिष्तम प्रधानाध्यापक	सदस्य

अधिकारी एवं दायित्व :-

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संधान केन्द्र के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णाय का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों इ111 समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार/जे0जी0एस0 वाई के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिक के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन इ ब्लाक स्तर :-

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेंगे तथा नियमित रूप से पर्यविक्षण व अनुश्रवण करेंगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियो, ब्लाक साधन केन्द्र न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्य स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हे आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेंगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध

कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेषज्ञ भूमिका एवं उत्तर दायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तर दायित्व निम्न लिखित होंगे :-

1. सर्व शिक्षा अधिकाश की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्व्यन।

2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।

3. ग्राम शिक्षा समितियों का प्रभावी बनाना।

4. ब्लाक परियोजना समिति की बै।ठक कराना एवं उनके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना।

5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक आंकड़े एकत्रित कर संकलित करना।

6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का विवरण सुनिश्चित करना तथा सूचना एकत्र करना।

7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।

8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बाल/बालिकाओं को निःशुल्क नियुक्तियों सुनिश्चित करना।

9. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समितियों के बीच समन्वय स्थापित करना।

12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई0जी0एस0 तथा ए0आई0ई0 के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति प0 विद्यालय निरीक्षक केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व में ही निर्मित ब्लाकसांध्यान केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान हमें विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वाहन करेंगे। इस उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल साथ यात्रा भत्ता तथ रख-रखाव हेतु नियत धनराशि 18,000=00 प्रति वर्ष प्राति सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया

जायेगा। तथा उनपके शासकी दायत्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्ति किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-111 संचालित हो चुका है और सभी विकास खण्डों, ब्लाक संसाधनो केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्ति किये जा चुके हैं। और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यपकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर विस्तार को दृष्टिगत रखत हुये प्रत्येक ब्लाक सांधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा। जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना के कार्यों के पर्यवेक्षण सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रम के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक गुणवत्ता सम्बर्द्धन व समथन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समयसूचना के एकत्रीकरण समय सूचना के एकत्रीकरण एवं पर्यवेक्षण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर एवं कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढ़ीकृत करने की योजना है जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एकलाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। सिकी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :-

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना ।
2. विद्यालयों को एकेमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना है कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडिमिक आवश्यकताओं का आंकलन एवं संकलन करना, शैक्षिणित आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडिमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिखा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।

6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग एवं अन्य विभाग के अधिकारियों के समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।

7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल के बाहर बच्चों के संबंध में वस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूटरइज्ड विवरण तैयार करना।

8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय इ समय पर एकत्रीकरण व सेम्पल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियो के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमइ 111 के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष, मुख्य विकास अधिकरी एंव सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है :-

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	उपाध्यक्ष
3.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य इ सचिव
4.	प्राचार्य डायट	सदस्य
5.	जिला श्रम अधिकारी	सदस्य
6.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
7.	वित्त एवं लेखाधिकारी (बेसिक शिक्षा)	
8.	अधिशासी अभियन्ता (आई0ई0एस0)	सदस्य
9.	अधिशासी (आर0ई0एस0)	सदस्य
10.	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
11.	दो शिक्षा विद् (विश्व विद्यालय एवं महा विद्यालय से) जिलाधिकारी द्वारा नामित	सदस्य
12.	दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम से (एक वर्ष के लिये)	

13. दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राजस्व पुरस्कार प्राप्त)

14. स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के आधार एवं दायित्व :-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमइ 111 के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तर्गत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने के अधिकार हैं। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभगिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण, के संबंध में उसके निर्णय प्रभारी होंगे। प्रवेश, धारक, गुणवत्ता संर्वधन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिए संस्थाओं का निर्धारण्सा एवं पचार प्रसार के लिये सभी कार्य इसी तकनीकी पर्यवेक्षण समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 से संबंधि प्रस्ताव का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमइ 111 के अन्तर्गत प्रत्यक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गई है जिसकी सदस्यता निम्नि प्रकार है :इ

1.	जिला पंचायत अ ध्यक्ष	अध्यक्ष
2.	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्यइ्सचित
3.	अपर जिलामजिस्ट्रेट (नियोजन)	पदेन सदस्य
4.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	पदेन सदस्य
5.	जिला विद्यालय निरीक्षक	पदेन सदस्य
6.	अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थित में विद्यालय उप निरीक्षक	पदेन सदस्य
7.	तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से	

		वेतन पर
4.	सलाहकार	02 रु0 10,000/-नियत वेतन प्रतिपद
5.	ई0एम0आई0एस0 अधिकारी	01 रु0 10,000/- नियत वेतन प्रतिपद
6.	कम्प्यूटर आपरेटर/सांख्यिकी सहायक	03 रु0 7,000/- नियत वेतन प्रतिपद
7.	सहायक लेखाधिकारी	01 प्रतिनियुक्ति पर
9.	लिपिक 01 नियत मानदेय के आधार पर	01 नियत मानदेय के आधार पर
10.	परिचारक	01 नियत मानदेय के आधार पर

उपरोक्त में से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमइ III के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारियों एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अ धिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उसके प्रति उत्तरदायी होगें। जनपद में कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अ तिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सहायक बेसिक शिक्षा अधिकरी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्वहोगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्त्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकि पर्यवेक्षण की व्यवस्था :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य की तकनीकी

प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्ता सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं के कराया जायेगा। जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध है मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा। । । के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु रु0 1,000/- प्रति अतिरिक्त कक्षा-कक्षन्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु रु0 500/- तथा प्रति शौचालय हेतु रु0 200/- की दर से अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय भवनप् में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दरू में संसोधन का प्राविधन रखा जायेगा। अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजूकेशनल मैंजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्ट्म (ई0एम0आई0एस0) :-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रव्ण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम0आई0एस0 स्थापित किया जायेगा। वेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम0आई0एस0 डाटा केप्चर प्रणाली व प्राथमिक स्तर पर डायस साफ्टवेयर सीापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आकड़े उपलब्ध है। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटावेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चीकृत कराने की व्यवस्था की जायेगा। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिक्षा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिखा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया गया। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपर्युक्त एम0ई0एस0 तथा प्रोजेक्ट मानिटरिंग युनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा वैकल्पिक/नवाचार शिक्षा योजना का प्रति वर्ष शैक्षिक आंकड़ों के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटर ई0एम0आई0एस0 के संचालनार्थ एक ई0एम0आई0एस0 अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/सांख्यिकी सहायक रखे जायेंगे जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार की शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय अपने स्तर पर ही ई0एम0आई0एस0 के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्टतैयार कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा। जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी के कार्य एवं दायित्व :-

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटरइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनाती ई०एम०आई०एस० अधिकारी के निम्नलिखित अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे :-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (बी०आर०सी० समन्वयक एन०पी०आर०सी० समन्वयक, प्रधानाध्यापकों)एक प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- भरे हुये प्रपत्रों की सैम्पूल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो उल्लिखित करना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर 2001 के अन्त डाटा एन्ट्री पूर्ण करना तथा रिपोर्ट्र तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकास खण्ड वार जनपद की ई०एम०आई०एस० रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार करना तथा बेसिक शिक्षा अधिकाररियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिये नोडल अधिकारी के रूप कार्य करना राज्य स्तरीय बैठकों/कार्यशालाओं में प्रतिभाग करना।
- माईक्रोप्लानिंग डाटा कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिर्पोट तैयार कर किसी सम्बन्धित को प्रस्तुत/प्रेषित करना।

ई०एम०आई०एस० अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीकी आदि में अभष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण :-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्यहेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, स्कूल प्रभारी, बी०आर०सी० समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अ धिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और इन्हें ई०एम०आई०एस० सम्बन्धीन प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इसके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिसमें आंकड़ों की शुद्धता की

जांच हो सके।

1. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समयऽसमय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना :-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चत करले हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा, जिला समन्व्यकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी0आर0सी0 समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा इसी प्रकार प्राचार्य डायट द्वारा संकाय सदस्यों व बी0आर0सी0 समन्वयाकों की मासिक बैठक आयोजित कि जायेगी और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभति कठिनाइयों पर फीड बैंक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं का राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक मे अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही साथ समयऽसमय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा और कर्मियों का निराकरण करते हुये सुधार लाया जायेगा। प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराइज्ड पी0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगी जिसका विश्लेष्ण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधर पर कार्ययोजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई0एम0आई0एस0 डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डीकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन मे किया जायेगा तथा यथा आवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्ययोजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष मे प्राप्त अनुभव अनुभूति कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डीकेटर्स को ध्यान रखते हुये आगे के वर्ष मे कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (ग्राम्य पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और उसमें एनपी0आरसी0 समन्वयक/सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई0एम0आई0एस0 का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मेनेज स्तर पर)

एस0सी0ओ0/सीमेंट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रेजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशनप सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आँकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच :-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली दूसर तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सितम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त होरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उसके द्वारा जो सूचना भर कर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से यह सूचना की पुष्टी स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो शुद्ध करने का अवसर प्रज्ञपत हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग :-

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण महत्वपूर्ण इन्डीकेटर्स जैसेजी0ई0एस0, एन0ई0आर0, ड्राप आउट दर, रिपीटीशन दर अध्यापक अनुपात कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डीकेटर्स का उपयोगा डिसिजन सपोर्ट सिस्टमूस में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और। कार्ययोजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/संशोधन किया जा सके। डायट के अन्तर्गत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नही हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों संख्या का विश्लेषण एक ही स्त्रोत से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता

है। अतः यह व्यवस्था प्रास्तावित है कि माईक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आकड़ों ताकि ई0एम0आर्ट0एस0 से प्राप्त आंकड़ो का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा (ई0एम0आर्ट0एस0) तदानुसार कार्ययोजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/संसोधन आमप्ठ होगा। टी0एम0आई0एस0 एम0 माईक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा।

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान।

2. छात्र गारन्टी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आध्यार परवस्तियों की प्राथमिकता निर्धारण।

3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता की पहचान।

4. एकल अध्यापकी विद्यालयों का चिन्हीकरण।

5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधयार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्कता वाले विद्यालयों की पहचान।

6. वालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों चिन्हींकरण।

7. निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के विरतरण हेतु लाभार्थी समहों की संख्या का आंकलन।

8. अवस्थापना सम्बन्धीन मांग का आंकलन व निर्धारण।

9. शिक्षकों का विवरण।

10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालयों निरीक्षर का रोस्टर।

11. विकलांगतावार आंकड़ो के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग संबंधी विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा जिसके लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा, और उत्तरदायी बनाया जायेगा।

कोहार्ट स्टडी :-

छात्र-छात्राओं के ठीराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्रापआउट पर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक

बार कोहर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेन्ट द्वारा कराया जायेगा यह स्टडी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रू0 दो लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम :-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्ट प्रति माह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर उनसे सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का अध्ययन आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 (एल0ए0सी0ए0) के अन्तर्गत कम्प्यूटराइज्ड वित्तीय प्रबन्ध प्रणाली विकसित की जा रही है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :-

गुणवत्ता में सुधार के लिये जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमड़ ।।। के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यपक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुये इसको और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके

निम्नलिखित कार्य होंगे :-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर, सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनितकर प्रशिक्षित कराना।
2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करा तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों और लक्ष्यों कार्यक्रमों, शिक्षा विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिये शोध कार्य करना और उसके परिणामों/

निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।

5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्ता मूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों मार्ग दर्शन करना।

6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रियाकलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।

7. जिला स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों के समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिककार्यों में नियोजन

8. जिला स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।

9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिये बेशलाइन सर्वक्षण करना।

10. शिक्षा के लिये नवाचार कार्यक्रम विकसित कराना।

11. शैक्षिक आंकड़ों (ई0एम0आई0एस0 के माध्यम से संचालित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

12. शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित करना।

निधि का हस्तान्तरण (फ्लो आफ फण्ड) :-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमेंटके अप्रेजल के पश्चात एवं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम-III के अनुमोदन के बाद जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधर पर राज्य परियोजना कार्यालय एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एंव जिला शिक्षा एव प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण आकादमी पर्यवेक्षण आदि गुणवत्त कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संसनि द्वारा प्रशिक्षण आकादमी पर्यवेक्षण आदि गुणवत्त कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0पी0 आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे ग्राम शिक्षा समिति, स्वयं सेवा संस्थाओं, अध्यापकों आदि की सीधे खातों के माध्यमों से हस्तान्तारित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।।। की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसे के अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकारी प्रतिनिर्धारित है। अतः रु० [illegible] - मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धी अधिकारी कर्मचारी द्वारा संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।।। के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोर रखने के वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोर रखने के वित्तीय नियम स्पष्ट निर्धारित है। परवेश एवं प्रोक्योरमेंट के लियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित कये गये हैं जो परिजनों में भी अपनाये जायेंगे तथा सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संसोधन की कोई आवश्यकता होगी तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।।। द्वारा की जायेगी लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभिया के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथमवर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिफ्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्रम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है जिनके बैंक में पूर्व से ही संचालित है। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय का प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित का विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवयुक्त की जायेगी।

फन्ड फ्लो डॉयग्राम

राज्य परियोजना कार्यालय

जिला परियोजना कार्यालय	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
1. बी0आरसी0 एवं एन0पीआर0सी	बी0आर0सी0 एव0 एन0पी0आर0सी0
2. ग्राम शिक्षा समिति	
3. अध्यापक	
4. स्वयं सेवी संस्था आदि	

सम्प्रेक्षण व्यवस्था :-

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम।।। के अन्तर्गत प्रति वर्ष शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखा जोखा का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इंडिपेन्डेन्ट आडिट) चार्टर्स एकाउन्टेन्ट के माध्यम से किया जायेगा। यह वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद

प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टड एकाउन्टेन्ट का चयन एवं टर्म्स आफ रिफरेन्स फार आडिट का निर्धारण जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम III द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखा-जोखा का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रति वर्ष किया जायेगा।

मीडिया

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर होर्डिंग्स लगाये गये हैं, जनपद स्तर पर प्रदर्शनी, गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसका कवरेज स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है।

आकाशवाणी द्वारा उ०प्र० के ।। रिले केन्द्रों के माध्यम से शैक्षिक गोष्ठियों / वाद विवाद / वार्ताओं के प्रसारण की योजना प्रस्तावित है

विभिन्न विभागों से समन्वय सम्बन्धी प्रस्ताव

भारतीय संविधान में 86th संशोधन के अन्तर्गत 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा का मौलिक अधिकार बना दिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु 31 दिसम्बर 03 तक नामांकन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रारम्भिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु एक अध्यादेश भी संसद में विचारार्थ प्रस्तुत है। शिक्षा के सार्वजनीकरण को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न विभागों से सहयोग अपेक्षित है जिससे शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यह आवश्यक है कि विभिन्न विभागों से सर्वभौमिकरण हेतु अपेक्षित सहयोग प्राप्त किया जाए तथा दायित्व निर्धारण हेतु बिन्दुओं पर विचार विमर्श किया जाए।

क्रम सं.	विभाग	अपेक्षित कार्यवाही
1.	नगर विकास विभाग	असेवित वार्डों में विशेषकर नवीन परिषदीय विद्यालयों हेतु निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराना।
2.	ऊर्जा विभाग	ब्लाक स्तरीय, न्याय पंचायत स्तरीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराना।
3.	विकलांग कल्याण विभाग	• District-wise Special School को designate करने का कष्ट करें जिनमें ऐसे विशिष्ठ विद्यालय जिनके पास Expert है तथा severe disabled बच्चों को पढ़ाने की क्षमताए हैं, उनको जनपद के अन्य severely disabled आउट आफ स्कूल बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु एक standard व्यवस्था कराने के लिए सहमति देने का कष्ट करें। • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से संचालित CRR/CFC/DDRC से उपकरणों का

		वितरण बच्चों के लिए सुनिश्चित कराना।
4.	श्रम विभाग	• शिक्षा से वंचित बाल श्रमिकों की सर्वेक्षण के आधार पर NCLP विद्यालयों में समस्त बाल श्रमिकों का नामांकन कराना। • बच्चों को श्रम से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने में सहयोग कराना।
5.	आई.सी.डी.एस. विभाग	भारतीय संविधान के राज्य हेतु नीति निर्देशक तत्वों में 0-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा आदि की व्यवस्था हेतु राज्यों को निर्देश प्रदत्त हैं। अतः प्रदेश के सभी विकास खण्डों तथा नगरीय क्षेत्रों में भारत सरकार को सुविचारित प्रस्ताव हेतु आग्रह किया जाय। परियोजना का शत–प्रतिशत आच्छादन हेतु। ➢ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की उपयोगिता पर कोई संदेह नहीं है। अतः समस्त स्कूलों को ई.सी.सी.ई. कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना आवश्यक है।
6.	पंचायत विभाग/ ग्राम विकास विभाग	1. विद्यालयों की बाउंड्री वाल हेतु धन उपलब्ध कराना। 2. ग्राम स्तर पर गठित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से शिक्षा हेतु जागरूकता पैदा करना।
7.	युवा कल्याण	1. ग्राम स्तर पर गठित युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के माध्यम से शिक्षा के पक्ष में वातावरण सृजन करना। 2. विद्यालय से बाहर चिन्हित बच्चों के नामांकन हेतु इन दलों को उत्तरदायित्व प्रदान करना। विशेषकर शहरी क्षेत्रों के 14 वर्ष तक के धुमन्तु

		बच्चे।
8.	प्रोबेशन विभाग (महिला एवं बाल–कल्याण विभाग)	शहरी क्षेत्रों में 14 वर्ष तक के घुमन्तू, कचरा बीनने वाले बच्चों तथा 'भीख' मांगने वाले बच्चों को आश्रय ग्रहों में दाखिल कराना ताकि उनके लिए शिक्षा व्यवस्था कराई जा सके।
9.	सूडा	शहरी क्षेत्रों में सूडा के सी.डी..एस केन्द्रों में विद्यालय संचालित किये जाने की व्यवस्था हेतु सहयोग प्राप्त करना।
10.	समाज कल्याण विभाग	विभिन्न जनपदों में संचालित आश्रम पद्धति विद्यालयों में शिक्षा से वंचित बच्चों आवासीय ब्रिज कोर्स के माध्यम से औपचारिक विद्यालयों की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु सहयोग प्राप्त करना।
11.	स्वैछिक संस्थाए एवं अन्य सामाजिक संगठन	शिक्षा के सार्वभौमिकरण, शत–प्रतिशत नामांकन ठहराव एवं गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान किये जाने हेतु यथावश्यकता अनुसार सहयोग प्राप्त कराना

वर्ष 2005-06 में ....04.... प्राथमिक एवं ....04.... उच्च प्राथमिक विद्यालयों का आकंलन प्रस्तावित है।

एम.आई.एस. एवं नवीन सर्वे के अनुसार प्राथमिक स्तर पर शौचालय की आवश्यकता का प्रस्ताव निम्नवत् है। वर्ष 2002-03 में 10 की प्राप्ति हो चुकी है। कुल लक्ष्य 450 का है।

वर्ष	प्रस्तावित लक्ष्य	
2004-05	300	
2005-06	140	
2006-07	—	
योग	440	

ANNUAL WORK PLAN AND BUDGET 2003-2004
District - HAMIRPUR

(Rs. In Thousand)

S. No.	Head	Spillover Physical	Spillover Financial	Approved Fresh Proposals 2003- Unit Cost	Approved Fresh Proposals 2003- Physical	Approved Fresh Proposals 2003- Financial	Total Proposals Physical	Total Proposals Financial	Remark
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
(I)	BRC						0	0.00	
1	Asstt.Coordinator(1 No.) @ 9 for 12 Months			9.00		0.00	0	0.00	12 Month
2	Furniture/fixture & Equipments			10.00		0.00	0	0.00	
3	Travilling Allowance & Meeting			6.00	7	42.00	7	42.00	
4	Maintenance of equipments			0.00	0	0.00	0	0	
5	Maintenance of building			0.00	0	0.00	0	0	
6	TLM			5.00	7	35.00	7	35.00	
7	Contegency			12.50	7	87.50	7	87.50	
	TOTAL BRC	0	0.00		21	164.50	21	164.50	
(II)	CRC						0	0.00	
8	Furniture/fixture & Equipments			5.00		0.00	0	0.00	
9	Salary Cordinator @12 for 12 Months					0.00	0	0.00	12 Month
10	TLM			1.00	59	59.00	59	59.00	
11	Contegency			2.50	59	147.50	59	147.50	
12	Meeting & TA			2.40	59	141.60	59	141.60	12 Month
	TOTAL CRC	0	0.00		177	348.10	177	348.10	
(III)	CIVIL WORKS						0	0.00	
13	New Primary School			259.00	19	4921.00	19	4921.00	Spill.Handpump
14	New Upper Primary School	18	1224.00	280.00	46	12880.00	64	14104.00	Spill.Handpump
15	Additinal Classrooms PS			70.00	0	0.00	0	0.00	
16	Additinal Classrooms UPS			70.00	9	630.00	9	630.00	
17	Toilets PS			10.00	0	0.00	0	0.00	
18	Toilets UPS			10.00	7	70.00	7	70.00	
19	Reconstruction PS			191.00	0	0.00	0	0.00	
20	Reconstruction UPS			383.00	0	0.00	0	0.00	
21	Drinking Waters PS			15.00	0	0.00	0	0.00	
22	Drinking Waters UPS			15.00	0	0.00	0	0.00	
23	Repair PS			20.00	0	0.00	0	0.00	
24	Repair UPS			70.00	0	0.00	0	0.00	
25	Updation of Microplaining			250.00	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Civil Works	18	1224.00		81	18501.00	99	19725.00	
(IV)	EGS (.845*25*No.of EGS Centres)			0.845	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL EGS	0	0		0	0.00	0	0.00	
(V)	AIE						0	0.00	
31	AIE (P.S.) (0.845x25xNo.)			0.845	0	0.00	0	0.00	
32	AIE (U.P.S.) (1.2x30xNo.)			1.20	21	756.00	21	756.00	
32.1	Bridge Course at NPRC level (0.845x40xNo.)			0.845	61	2061.80	61	2061.80	
33	Bridge Course (P.S.) (3.0x60xNo.)			3.000	1	180.00	1	180.00	
	TOTAL AIE	0.00	0.00		83.00	2997.80	83.00	2997.80	
	TOTAL EGS/AIE	0	0.00		83	2997.80	83	2997.80	
(VI)	FREE TEXT BOOKS						0	0.00	
34	Free Text Books PS			0.05	3640	182.00	3640	182.00	
35	Free Text Books UPS			0.15	29335	4400.25	29335	4400.25	
	TOTAL Text Book	0	0.00		32975	4582.25	32975	4582.25	
(VII)	IED								
	TOTAL IED	0	0.00	1.20	1335	1602.00	1335	1602.00	
	INNOVATIVE ACTIVITIES				0	5000.00	0	5000.00	
	TOTAL Computer Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL ECCC				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Girls Education				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL SC.ST Intervention				0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Innovative Activities	0	0.00	0.00	0	5000.00	0	5000.00	
(XII)	MAINTENANCE						0	0.00	
57	P.S.			5.00	721	3605.00	721	3605.00	
58	U.P.S.			5.00	175	875.00	175	875.00	
	TOTAL Maintenance	0	0.00		896	4480.00	896	4480.00	
(XIII)	DPO								
	TOTAL DPO	0.00	0.00			1460.00	0	1460.00	
(XIV)	RESEARCH, MONITORING & EVALUATION						0	0.00	
71	P.S.			1.40		0.00	0	0.00	
72	U.P.S.			1.40	193	270.20	193	270.20	
	TOTAL Research, Monitoring & Evaluation	0	0.00		193	270.20	193	270.20	
(XV)	SCHOOL GRANT						0	0.00	
73	School Improvement Grants PS @ 2			2.00	18	36.00	18	36.00	
74	School ImprovementGrants UPS @ 2			2.00	273	546.00	273	546.00	
	Total School Grant	0	0		291	582.00	291	582.00	

[illegible]

District - HAMIRPUR

(Rs. In Thousand)

o.	Head	Spillover		Approved Fresh Proposals 2003-			Total Proposals		Remark
		Physical	Financial	Unit Cost	Physical	Financial	Physical	Financial	
1	2	7	8	9	10	11	12	13	14
I)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2002-03)					-	0	0.00	
	Salary of Asstt Teacher PS			9.00	0	0.00	0	0.00	12 Months
	Salary of Asstt Teacher UPS			10.00	54	6480.00	54	6480.00	12 Months
	Salary of Additional Teachers PS			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
	Salary of Additional Teachers(PS) Shiksha Mitra @2.25			2.25	0	0.00	0	0.00	11 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2002-0	0	0.00		54	6480.00	54	6480.00	
II)	SALARY OF TEACHERS SANCTIONED IN (2003-04)						0	0.00	
	Salary of Asstt. Teachers' 2003-04 (P.S.)			9.00	19	1026.00	19	1026.00	6 Months
	Salary of Asstt.Teachers' 2003-04 (U.P.S.)			10.00	138	8280.00	138	8280.00	6 Months
	Salary of Additional Teachers (PS)			8.00	0	0.00	0	0.00	6 Months
	Salary of Fresh SM (PS)			2.25	19	256.50	19	256.50	6 Months
	Salary of Fresh SM (PS) to improve PTR			2.25	0	0.00	0	0.00	6 Months
	TOTAL Salary of Teachers sanctioned in (2003-0	0	0.00		176	9562.50	176	9562.50	
	TOTAL TEACHERS' SALARY	0	0.00		230	16042.50	230	16042.50	
II	TEACHER GRANT (TLM)						0	0.00	
	Teacher Grants PS @ 0.5			0.50	150	75.00	150	75.00	
	Teacher Grants UPS @ 0.5			0.50	1283	641.50	1283	641.50	
	TOTAL Teacher Grant	0	0.00		1433	716.50	1433	716.50	
X)	TEACHING LEARNING EQUIPMENTS						0	0.00	
	TLE PS @10			10.00	19	190.00	19	190.00	
	TLE UPS @50	18	900.00	50.00	46	2300.00	64	3200.00	
a)	TLE UPS @50 Not covered under OBB	70	3500.00	50.00	0	0.00	70	3500.00	
	TOTAL Teaching Learining Equipments	88	4400.00		65	2490.00	153	6890.00	
()	TEACHER TRAINING						0	0.00	
	Induction Traininmg of SM for 30 days @ Rs.70/- per day			0.07	19	39.90	19	39.90	
	In-service Training (HT,AT,SM & BRC NPRC) for 20 days @ Rs.70/- per day			0.07	92	128.80	92	128.80	
	Teachers (UPS) for 15 days @ Rs.70/- per day			0.07	563	591.15	563	591.15	
	TOTAL Teacher Training	0	0.00		674	759.85	674	759.85	
I)	STRENGTHENING OF VEC						0	0.00	
	VEC Training @ Rs. 30/- for 2 days for 8 persons			0.48	0	0.00	0	0.00	
	TOTAL Strengthening of VEC	0	0.00		0	0.00	0	0.00	
II	EMIS CELL						0	0.00	
	TOTAL EMIS Cell	0	0.00			244.00	0	244.00	
II	STRENGTHENING OF DIET								
	TOTAL DIET	0	0.00				0	0.00	
	GRAND TOTAL		5624.00			60240.70		65864.70	

SARVA SHIKSHA ABHIYAN
Hamirpur

(In thousands)

	Heads/Sub Heads Activity	Unit	2002-2003		2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007		Total	
		Cost	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
A	**ACCESS**													
A1	New Primary School Unserved	259	0	0	19	4921	0	0	4	1024	0	0	23	5945
A2	New Upper Primary Schools	451	18	8118	46	12880	0	0	4	1120	0	0	68	22118
A3	Salary of PS Asst. Teacher(2002-03)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A4	Salary of Asst. Teacher(3 no.) in new school (2001-02/02-03)	10	54	5220	54	6480	54	6480	54	6480	54	6480	270	31140
A5	Salary of Shiksha Mitra 2003-04/05-6	2.25	0	0	19	256.5	19	470.25	23	569.25	23	569.25	84	1865.25
A6	Salary of Assistant Teachers(PS) 2003-04/05-06	9	0	0	19	1026	19	2052	23	2484	23	2484	84	8046
A7	Salary of Assistant Teachers(UPS) 2003-04 (six months)/05-06	10	0	0	138	8280	138	16560	150	18000	150	18000	576	60840
A8	Teaching Learning Equipment		0	0	0		0		0		0			
A8.1	PS	10	0	0	19	190	0	0	4	40	0	0	23	230
A8.2	UPS	50	29	1450	46	2300	0	0	4	200	0	0	79	3950
A9	TLE UPS not covered OBB	50	70	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	70	3500
A10	Assessment Surve For UPS Per Year	200	0	0	0	0	1	200	1	200	1	200	3	600
	Total		0	**18288**	0	**36333.5**	0	**25762.25**	0	**30117.25**	0	**27733.25**		**138234.25**
	Interventions for out of school children		0	0	0		0		0		0			
A11	Alternative Schools		0	0	0		0		0		0			
A11.1	EGS (for 25 child per center))	0.85	0	0	0	0	0	0	112	2366	112	2366	224	4732
A11.2	Honraria	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.3	Training	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.4	Contingency	0.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.5	Equipment	1.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A11.6	Adm. & Management Cost	6.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A12	AIE Primary(including all models of DPEP(per child)- Shiksha Ghar	0.85	0	0	0	0	25	528.125	138	2915.25	138	2915.25	301	6358.625
A13	AIE Upper Primary	1.2	0	0	21	756	58	2088	58	2088	58	2088	195	7020
A14	Back to school camps(per child)(for 40 children per center)	1.5	0	0	0	0	25	1500	25	1500	25	1500	75	4500
A15	Bridge/Remedial course PS	180	0	0	1	180	1	180	1	180	1	180	4	720
A16	Bridge Course at NPRC level	0.85	0	0	61	2061.8	59	1994.2	59	1994.2	59	1994.2	238	8044.4
A17	Strengthening Maqtab/Madarsa(per center)	15.4	0	0	0	0	11	168.85	11	168.85	11	168.85	33	506.55
A18	Updation Of Microplanning	250	0	0	0	0	1	250	0	0	1	250	2	500
	ACCESS Subtotal		0	**18288.00**	0	**39331.30**	0	**32471.43**	0	**41329.55**	0	**39195.55**	**0**	**170615.83**
R	**RETENTION**		0	0	0		0		0		0			
R1	Reconstruction - PS	191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R2	Reconstruction - UPS	383	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R3	**Additional Classrooms**		0	0	0		0		0		0			
R3.1	Additional Classroom Primary Schools	70	0	0	0	0	653	45710	38	2660	33	2310	724	50680
R3.2	Addl. Classroom Upper Primary Schools	70	14	980	9	630	200	14000	200	14000	25	1750	448	31360
R4.1	Toilets Upper Primary	10	0	0	7	70	52	520	50	500	0	0	109	1090
R4.2	Toilets Primary	10	10	100	0	0	300	3000	140	1400	0	0	450	4500
R5.1	Drinking Water Primary	18	0	0	0	0	70	1260	17	306	0	0	87	1566
R5.2	Drinking Water Upper Primary	18	0	0	0	0	30	540	15	270	0	0	45	810
R6.1	Repair & Maintenance of School Primary	5	0	0	721	3605	740	3700	740	3700	744	3720	2945	14725
R6.2	Repair & Maintenance of School UPS	5	175	875	175	875	239	1195	239	1195	243	1215	1071	5355
R7.1	Salary of Addl. Teachers PS@8 pm(02-03)	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2.25	0	0	0	0	0	0	292	7227	311	7697.25	603	14924.25
R7.3	Salary of Additional Teacher (PS)	8	0	0	0	0	292	28032	311	29856	328	31488	931	89376
R7.5	Salary of Fresh SM(PS) to improve PTR(11 mths)	2.25	0	0	0	0	292	7227	19	470.25	17	420.75	328	8118
R10.1	School Improvement grant(p.a./school) Ps	2	0	0	18	36	740	1480	744	1488	744	1488	2246	4492
R10.2	School Improvement grant(p.a./school) UPs	2	175	350	273	546	273	546	277	554	277	554	1275	2550
R12	**Promoting Girls Education**		0	938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	938
R12.1	Summer Camps	4.5	0	0	0	0	70	315	70	315	70	315	210	945
R12.2	MCDA	75	0	0	0	0	15	1125	15	1125	15	1125	45	3375
R12.3	Meena Manch	4	0	0	0	0	20	80	20	80	19	76	59	236
R12.4	SUPW for Girls Per School	25	0	0	0	0	102	2550	102	2550	102	2550	306	7650
R12.5	Trg./Refresher courses for Gender Coordinators	0.07	0	0	0	0	1	1.4	1	1.4	1	1.4	3	4.2
	Opening of ECCE centers		0	0	0		0		0		0		0	0
R13	Strengthening ICDS centers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.1	Development & Distribution of ECCE Materials		0	0	0		0		0		0		0	0
R13.2	TLM(per center)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.3	Additional Honn. Of Instructor + Worker(per mth.)	0.38	0	0	0	0	0	0	100	375	100	375	200	750
R13.4	Contigency(per center)	1.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R13.5	Training		0	0	0		0		0		0			
R13.5a	Induction & Recurring	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R16	Community Mobilization		0	0	0		0		0		0			
R16.1	MTA/PTA training for 2 days per person	0.07	0	0	0	0	0	0	979	2741.2	979	2741.2	1958	5482.4
R16.2	Bal Mela at NPRC(5 pa per NPRC)	5	0	0	0	0	0	0	59	295	59	295	118	590
R16.3	Trg. of VEC/Community Leaders/person/day/BEC/WEC	0.48	0	0	0	0	314	150.72	314	150.72	314	150.72	942	452.16
R17	Award to Best VEC (2 no.)	25	0	0	0	0	2	50	2	50	2	50	6	150
R18	Award to Best Shiksha Mitra	5	0	0	0	0	1	5	1	5	1	5	3	15
R19	Special Interventions for SC/ST children	66.7	0	2211	0	0	1	66.7	1	66.7	1	66.7	3	2411.1
R20	Computer Edu. For UPS(equip.)/UPS-Innovative Prog.	60	0	0	0	5000	5	300	5	300	5	300	15	5900
R21	School Health Check up/School PS+UPS	2.5	0	0	0	0	979	2447.5	979	2447.5	979	2447.5	2937	7342.5
	RETENTION Sub Total		0	**5454**	0	**10762**	0	**114301.3**	0	**74128.77**	0	**61141.52**	0	**266787.61**
Q	**QUALITY IMPROVEMENT**		0	0	0		0		0		0			
Q1	Training Programmes		0	0	0		0		19		17			
Q1.1	Induction Training for Shiksha Mitra(/perseon for 30 days)	2.1	0	0	0	0	292	613.2	23	48.3	17	35.7	332	697.2
Q1.2	Induction Trg. For Asst. Teacher(/person for 30 days)	0.07	116	243.6	19	39.9	0	0	16	33.6	0	0	151	317.1
Q1.3	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) HT + AT for PS	1.4	422	590.8	0	0	632	884.8	636	890.4	636	890.4	2326	3256.4
Q1.4	In-service Teachers Trg.(/person for 20 days) UPS	1.05	0	0	563	591.15	563	591.15	575	603.75	575	603.75	2276	2389.8
Q1.5	In-service Teachers Shiksha Mitra(/personfor 20 days)	0.07	0	0	92	128.8	63	88.2	555	777	574	803.6	1284	1797.6
Q1.6	Induction Training of EGS & AIE workers(/person for 30 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	21	44.1	0	0	21	44.1
Q1.7	Trg. Of BRC coordinators/Asst. Coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	59	41.3	0	0	59	41.3
Q1.8	Trg. Of NPRC coordinators(/person for 10 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q1.9	Trg. Of resource persons at DIET(/person for 20 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q.10	ABSA/SDI Trg.(/person for 5 days)	0.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2	IED Provision for disable children	1.2	0	0	1335	1602	1350	1620	1362	1634.4	1382	1658.4	5429	6514.8
Q2.1	**IED**-Medical Assessement	2.3	295	118	0	0	0	0	0	0	0	0	295	118
Q2.2	Printing of Modules	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.3	Funds for NGOs	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.4	Pre Integrated Skills ICDS workers training	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.5	Support Services/Residential Camps	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.6	Training of Master Trainers	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.7	Training on IED to teachers(17.2 th. /batch of 32 teachers	17.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.8	Aids and Appliances	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Q2.9	Parents Councelling and IEP formation	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.10	Awareness workshop	5.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.11	Extra Curricular Activities	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.12	Foundation Course by RCI	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q2.14	Master Trainer training @ 1.31x2x2	1.31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q3	AWPB Review & Trg. Of Plg. Teams by SIEMAT(5 days)	2.5	0	0	0	0	1	2.5	1	2.5	1	2.5	3	7.5
Q4	Trg. On EMIS by SIEMAT(3 days)	2.0	0	0	0	0	1	2	1	2	1	2	3	6
Q5	Teacher Learning Material		0	0	0		0		0		0			
Q5.1	Teacher grant (Teachers+Shiksha Mitra)	0.5	0	0	150	75	2611	1305.5	2657	1328.5	2691	1345.5	8109	4054.5
Q5.2	Teacher Grant (UPS)	0.5	509	254.5	1283	641.5	1327	663.5	1339	669.5	1339	669.5	5797	2898.5
Q5.3	Free Text book PS	0.05	0	0	3640	182	66998	3349.9	70638	3531.9	71943	3597.15	213219	10660.95
Q5.4	Free Text book UPS	0.15	10182	1527.3	29335	4400.25	31161	4674.15	31833	4774.95	32708	4906.2	135219	20282.85
Q5.5	School Library	0.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Q5.6	Dev. Printing & Dist. of AS Trg. Modules	0.05	0	0	0	0	0	0	113	5.65	0	0	113	5.65
Q5.7	Children Learning Evaluation (PS) 3 times	15	0	0	0	0	1	15	1	15	1	15	3	45
Q5.8	Children Learning Evaluation(UPS) 3 times	7.5	0	0	0	0	1	7.5	1	7.5	1	7.5	3	22.5
Q5.9	School Awards (Academic Olympiad)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	QUALITY Sub Total		0	**2734.2**	0	**7660.6**	0	**13817.4**	0	**14410.35**	0	**14537.2**		**53159.75**
C	**CAPACITY BUILDING**		0	0	0		0		0		0			
C1	DIET Capacity Building		0	0	0		0		0		0			
C1.1	Equipments/Furniture/Computer	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.2	Telephone/Fax	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.3	Maintenance of Computer Room	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.4	Educational Tour & Survey	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.5	Travelling Allowance	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.6	Hiring	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.7	POL and Maintenance of Vihicle	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.8	Seminar	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.9	Research/Action Research	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.10	Exposure Visit	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.11	Salary of Computer Operator	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.12	Salary of Driver (where applicable)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.13	Consumable/Computer Stationary	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C1.14	Contingency	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2	Block Resource Center		0	0	0		0		0		0			
C2.1	Civil Construction	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.2	Salary Coordinator @ of 12 for 12 mths	12	0	0	0	0	0	0	7	1008	7	1008	14	2016
C2.3	Asstt. Coordinator (1 no.) @10 for 12 mths	5.5	0	0	0	0	0	0	14	924	14	924	28	1848
C2.4	Chokidar one no. for 12 mths @ 3.0	3	0	0	0	0	7	252	7	252	7	252	21	756
C2.5	Equipment/Furniture Fixture	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2.6	Travelling Allowance & Meetings	6	0	0	7	42	7	42	7	42	7	42	28	168
C2.7	Maintenace of Equipment	2	0	0	0	0	7	14	7	14	7	14	21	42
C2.8	Maintenace of Building	10	0	0	0	0	7	70	7	70	7	70	21	210
C2.9	TLM(per center)	5	0	0	7	35	7	35	7	35	7	35	28	140
C2.10	Consumables	5.0	0	0	0	0	7	35	7	35	7	35	21	105
C2.11	Contigency	12.5	0	0	7	87.5	7	87.5	7	87.5	7	87.5	28	350
C2.12	Monthly Review Meeting of CRC Coordinators/meeting	0.3	0	0	0	0	84	302.4	84	302.4	84	302.4	252	907.2
C2.13	Contigency - ABSA	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	School Complex (NPRC)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3.1	Construction	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

C3.2	Equipment/Furniture Fixture	5	0	0	0	0	0	0	59	295	59	295	118	590
C3.3	Books for Library/Book Bank TLM	1	0	0	59	59	0	0	0	0	0	0	59	59
C3.4	Contingency	2.5	0	0	59	147.5	0	0	0	0	0	0	59	147.5
C3.5	Monthly Review Meeting at CRC & TA	2.4	0	0	59	141.6	59	141.6	59	141.6	59	141.6	236	566.4
C4	District Project Office/Management		0	762	0	1460	59	0	59	44958	59	0	177	47180
C4.1	Staffing		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.2	BSA/AAO/DC	15	0	0	0	0	10	1800	10	1800	10	1800	30	5400
C4.3	Salary of AE	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.4	Equipment Maintenance	30	0	0	0	0	2	60	2	60	2	60	6	180
C4.5	Furniture/Fixtures	30	0	0	0	0	5	150	5	150	5	150	15	450
C4.6	Books/Magazine/News papers	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
C4.7	POL For ABSA/SDI Per Head per Month	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.8	Travelling Allowances	10	0	0	0	0	0	0	20	200	20	200	40	400
C4.9	Consumaables	40	0	0	0	0	2	80	2	80	2	80	6	240
C4.10	Telephone/FAX	30	0	0	0	0	3	90	3	90	3	90	9	270
C4.11	Vehicle Maintenance & POL	100	0	0	0	0	2	200	2	200	2	200	6	600
C4.12	Pay to JE	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4.13	Hiring of Vehicle	10	0	0	0	0	12	120	12	120	12	120	36	360
C4.14	Supervision & Monitoring per school PS	1.4	0	0	0	0	740	1036	740	1036	740	1036	2220	3108
C4.15	Supervision & Monitoring per school UPS	1.4	175	285.6	193	270.2	239	334.6	239	334.6	239	334.6	1085	1559.6
C4.16	Contingency	100	0	0	0	0	1	100	1	100	1	100	3	300
C4.17	AWP & B	10	0	0	0	0	2	20	2	20	2	20	6	60
	Total		0	**1047.6**	0	**2242.8**	0	**4990.1**	0	**52375.1**	0	**7417.1**		**68072.7**
C5	MIS		0	0	0		0		0		0			
C5.1	MIS Cell Furnishing	200	0	0	0	244	0	0	0	0	0	0	0	244
C5.2	Salary of Computer Programmer	12	0	0	0	0	12	1728	12	1728	12	1728	36	5184
C5.3	Salary of Computer Operator for 12 mths	7.5	0	0	0	0	0	0	12	1080	12	1080	24	2160
C5.4	Purchase of Computer & Equipment MIS Equipments	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5.5	Furnishing of MIS cell	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.6	Computer Software	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.7	Upgradation and Networking	30	0	0	0	0	0	0	1	30	1	30	2	60
C5.8	Prining & Distribution of Data Formats	40	0	0	0	0	0	0	1	40	1	40	2	80
C5.9	Maint. of Equip.& Consumables	20	0	0	0	0	0	0	1	20	1	20	2	40
C5.10	Computer Consumable	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
C5.11	Training Of Computor Staff	10	0	0	0	0	0	0	1	10	1	10	2	20
C5.12	Monitoring, Management & Collection of Formats	25	0	0	0	0	0	0	1	25	1	25	2	50
	CAPACITY Sub Total		0	**1047.6**	0	**2486.8**	0	**6718.1**	0	**55373.1**	0	**10415.1**	**0**	**76040.7**
	GRAND TOTAL		0	**27523.8**	0	**60240.70**	0	**167308.25**	0	**185241.77**	0	**125289.37**	**0**	**565603.89**

Year-wise Amount Proposed And Percentage Of Major Intervention												**Hamirpur**
			2002-03		**2003-04**		**20004-05**		**2005-06**		**2006-07**		**Total**
Civil			9198.0		18501.0		65030.0		21280.0		4060.0		118069.0
Management			285.6		270.2		5738.6		7208.6		7208.6		20955.6
Programme			18040.2		41469.5		96539.6		156753.2		114020.8		426579.3
Total			**27523.8**		**60240.7**		**167308.2**		**185241.8**		**125289.4**		**565603.9**
Percentage - Civil			**33.4**		**30.7**		**38.9**		**11.5**		**3.2**		**20.9**
Percentage - Management			**1.0**		**0.4**		**3.4**		**3.9**		**5.8**		**3.7**
Percentage - Programme			**65.5**		**68.8**		**57.7**		**84.6**		**91.0**		**75.4**
Percentage - Total			**100**		**100**		**100**		**100**		**100**		**100**